

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL
BENCH NEW DELHI

349

O.A. No. 446/2022

BALWINDER KUMAR VS STATE OF HARYANA

श्रीमान् जी,

श्रीमान् कुमार पुत्र लखीराम आपकी सेवा में निम्नलिखित

कागजात प्रस्तुत कर रहा हूँ :-

1. PAGE - 4
2. Annexure - 1-17

दीन-स अमित

BENCH, NEW DELHI

O.A. No.446/2022

Balwinder Kumar

vs.

State of Haryana

Status report in compliance of order dt. 26-07-

2022

R/Sir,

The applicant most respectfully submits as under:-

1. यहकि माननीय कोर्ट ने जो कमैटी नियुक्त की थी उसमे श्री नितिन मैहता रिजनल ऑफिसर हरियाणा स्टेट कन्ट्रोल बोर्ड यमुनानगर हरियाणा नोडल ऐजन्सी कमैटी डारेक्टर माईनस एण्ड जियोलोजी, डिपार्टमेंट गर्वनमेंट ऑफ हरियाणा स्टेट पी.सी.बी. डी.एफ.ओ. डिप्टी कमीशनर यमुनानगर माननीय एनजीटी के आदेश पर डिप्टी कमीशनर यमुनानगर ने एसडीएम बिलासपुर की अध्यक्षता मे निम्नलिखित कमैटी का गठन किया। जिसमे

1. श्री जसपाल गिल एस.डी.एम. बिलासपुर
2. श्री नरेश कुमार ए.ए.ई. एच.एस.पी.सी.बी. यमुनानगर
3. श्री योगेश कुमार बीडीपीओ छछरौली प्रताप नगर
4. श्री अमन कुमार माईनिंग आफिसर यमुनानगर
5. श्री मोहित राणा माईनिंग इस्पेक्टर यमुनानगर
6. श्री सुरेश कुमार नायब तहसीलदार
7. श्री आन्नद रावल नायब तहसीलदार प्रताप नगर

(Handwritten signature)

1. यहकि इस कमैटी के द्वारा जांच की गई उस कमैटी मे दोषीगण श्री अमित कुमार पुत्र सताब सिंह पुत्र पवन सिंह वासी छोटा कोहलीवाला भूड माजरा, जिला यमुनानगर, नम्बरदार संदीप कुमार पुत्र प्रेम चंद गांव कोहलीवाला, यमुनानगर, सुभाष चंद पुत्र श्री पाला राम गांव माण्डेवाला, जिला यमुनानगर, किरपाल सिंह पुत्र बाबू राम गांव माण्डेवाला, महामंत्री भाजपा सोनू उर्फ बिल्ला पुत्र प्रेम चंद वासी माण्डेवाला उक्त दोषीगण कमैटी के साथ कोहलीवाला की पंचायती भूमि पर गये जिनके annexure no.21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 फोटो के साथ संलग्न है। ये लोग मौका पर निरिक्षण के लिए गये जिससे साफ स्पष्ट होता है कि पूरी कमैटी ने दोषीगण के साथ मिलकर रिपोर्ट तैयार की व आपकी सेवा मे प्रस्तुत की। जिस जगह दोषीगण कमैटी को लेकर गये साथ मे अपनी काले रंग की स्कॉरपीयो व फॉरचयुनर गाडी से कोहलीवाला की पंचायती जमीन पर गये व यह कमैटी के लोग माण्डेवाला की पंचायती जमीन पर नही गये व वन विभाग व कमैटी ने अपनी रिपोर्ट मे कहा कि कोहलीवाला की पंचायती जमीन पर 4 साल पुराने पेडे लगे हुये है। जबकि जनाब भूडकला पंचायत मे सिर्फ 5 हैकटेयर भूमि पर पौधा रोपण किया गया। जोकि खुदाई के बाद साल 2021 व 2022 मे किया गया जिसकी सख्या 5500 के करीब है। इससे पहले यहां पर खैर के कई साल पुराने पेड जो अवैध खननकारीयो द्वारा उखाड दिये गये व बेच दिये गये। जो कमैटी द्वारा फोटो ग्राफी की गई वह इस जगह की है जो आपकी सेवा मे प्रस्तुत है और माण्डेवाला मे आज भी खनन जारी है। जिसका खसरा न.24, 7//19, 20, 21, 22, 24, 25, 6//15, 16,

अमित कुमार

ANXR

17 जोकि माण्डेवाला पंचायत 352 पर आज भी खननकारियो द्वारा

खनन जारी है जिसका संगठीत कमैटी द्वारा कोई मौका नही किया गया।


2. यहकि जनाब संगठीत कमैटी द्वारा जो रिपोर्ट दोषीगण के साथ मिलकर तैयार की गई वह पूरी तरह से झूठी है व जनाब संगठीत कमैटी ने कोर्ट को गुमराह किया है। माण्डेवाला घाट खनन प्रतिबंधित क्षेत्र है जिसमे खनन नही हो सकता व जनाब इतने बडे स्तर पर अवैध खनन हो रहा है जोकि स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि राजनीतिक हस्तक्षेत्र कितना है। व प्रशासन दोषीगण को बचाने का कार्य कर रहे है और आज भी अवैध खनन बदस्तुर जारी है। जनाब से प्रार्थना है कि दोषीगण की अवैध सम्पति की जांच की जाये ताकि माननीय कोर्ट को पता चल सके कि साल 2016 से खनन करने से पहले दोषीगण के पास कितनी चल अचल सम्पति थी और खनन करते हुये आज दिनांक 11.01.2023 तक कितनी सम्पति है व नोट बंदी के बाद से दोषीगण ने खननकार्य से कितनी सम्पति अर्जित की व किन किन रिश्तेदारो व दोस्तो, नौकरो के नाम हस्तातरित की है इस पूरे घटनाक्रम की हरियाणा राज्य की जांच ऐजन्सी को छोड कर किसी अन्य राज्य की जांच ऐजन्सी से जांच करवाई जाये या फिर सीबीआई से इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाये व मुझ प्रार्थी को जांच मे शामिल किया जाये। ताकि माननीय कोर्ट को पूरी सच्चाई का पता चल सकें और दोषीगण व संगठीत कमैटी के खिलाफ गलत रिपोर्ट देने की ऐवज मे कानूनी कार्यवाही की जाये। जब तक जांच पूरी ना हो इस क्षेत्र को पूरी तरह से प्रतिबंध किया जाये व बीडीपीओ श्री योगेश कुमार व मौजूदा सरपंच श्री बालेश देवी पत्नी श्री अमित कुमार व नम्बरदार संदीप कुमार को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाये व संगठीत कमैटी व पूरे मामले की जांच करवाई जाये। मुझे जिन

अमित कुमार

मुझे जिन प्वाइंट पर एतराज है वह एतराज के साथ संलग्न है व सभी अवैध खनन इन लोगो ने की है जोकि इनके पास जे.सी.बी. मशीने, एच.एम. डम्पर व स्क्रीनिंग प्लाट स्टोन क्रैसर है तत्काल इन सभी स्क्रीनिंग प्लाटो व स्टोन क्रैसरो को बंद किया जाये। ताकि बची हुई पंचायत की भूमि को अवैध खनन से बचाया जा सके व दोषीगण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्यवाही की जाये व खनिज की रिकवरी की जाये।

SP-30511

354



← सविन नरहराज
 ← अश्विनी कर्मा कुलकर्णी


← अमित कर्माज

← अश्विनी कर्मा

← सुभाष चव्हाण

अश्विनी कर्मा

34/12/19



Belgarh, Haryana, India

Yamuna Nagar Stone Crusher Zone, Belgarh, Haryana, India


Lat 30.249909° Long 77.512503°

06/10/22 01:14:43 PM

Google

356

356
12/4/22



Belgarh, Haryana, India

Yamuna Nagar Stone Crusher Zone, Belgarh, Haryana, India


Lat 30.249869° Long 77.51247°

06/10/22 01:12:57 PM

357

Annexure 24

21/10/22
 3/11/22
 2/11/22
 2/11/22
 2/11/22
 2/11/22




Google

358

Annexure 25

314
Rung




359

Annexure 26


Handwritten notes in red ink, likely in Hindi, with arrows pointing to specific individuals in the photograph below. The notes include phrases like 'श्री ३५६ नं०-३५६' and 'श्री ३५६ नं०-३५६'.

Handwritten note in red ink with an arrow pointing to a person in the photograph, possibly identifying them as 'श्री ३५६ नं०-३५६'.




360


Handwritten notes in red ink with arrows pointing to individuals in the photo:
1. सहायक एग्जिक्यूटिव
2. अमित कुमार
3. श्री. रजत, दिल्ली
4. अमित कुमार
5. एग्जिक्यूटिव



361

1/19/22
 2/19/22
 3/19/22
 4/19/22
 5/19/22






Belgarh, Haryana, India

Unnamed Road, Yamuna Nagar Stone Crusher Zone, Belgarh,
Haryana 135106, India

Lat 30.249951° Long 77.512446°

06/10/22 12:52:24 PM

Google




Belgarh, Haryana, India

Yamuna Nagar Stone Crusher Zone, Belgarh, Haryana, India

Lat 30.249922° Long 77.512543°

06/10/22 01:01:25 PM




Belgarh, Haryana, India

Yamuna Nagar Stone Crusher Zone, Belgarh, Haryana, India

Lat 30.249915° Long 77.512469°

06/10/22 01:21:28 PM

Google



Belgarh, Haryana, India


Unnamed Road, Yamuna Nagar Stone Crusher Zone, Belgarh,
Haryana 135106, India

Lat 30.25005° Long 77.512429°

06/10/22 12:52:02 PM

Google

367




Belgarh, Haryana, India

Unnamed Road, Yamuna Nagar Stone Crusher Zone, Belgarh,
Haryana 135106, India

Lat 30.249951° Long 77.512446°

06/10/22 12:52:32 PM

Google



Belgarh, Haryana, India

Yamuna Nagar Stone Crusher Zone, Belgarh, Haryana, India

Lat 30.249655° Long 77.512218°

06/10/22 01:09:52 PM

Google

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPLE
BENCH, NEW DELHI

O.A. No. 446/2022

BALWINDER KUMAR VS STATE OF HARYANA

श्रीमान् जी,

कलिकुमार पुत्र लखीराम आपकी सेवा में निम्नलिखित
कागजात प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1. PAGE 7
- 2 Annexure 1 - 21

लखीराम

बलिन्द्र कुमार पुत्र लखी राम आपकी सेवा मे जिस केस न.ओ.ए.446/2022 है उसकी ऐवज मे मैं खनन से संबंधित कुछ कागजात आपकी सेवा मे प्रस्तुत कर रहा हूँ जोकि इस प्रकार है।

1. प्रार्थी ने नकल निशानदेही के लिए सवाल दिनांक 12.01.2006 गौश्वारा न.12758 केस न.19 नि0 दे0 जोकि ग्राम पंचायत की भूमि कोहलीवाला मे हुई थी।
2. जवाब न.1687 दिांक 05.09.2022 को मूल रूप मे नकल का सवाल प्रार्थी को वापिस कर लिखा जाता है कि पूर्व पृष्ठ पर वाछित नकल का रिकॉर्ड दिनांक 31.12.2015 को उपायुक्त के आदेशनुसार नष्ट किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थी को नकल नही दी गई व जनाब अगर इस निशानदेही का पूरा रिकॉड मंगवा लिया जाये तो उससे स्पष्ट हो जायेगा कि साल 1992 से लेकर 2004 तक स्पष्ट हो जायेगा कि कितनी जमीन बोली पर दी गई थी व कितनी बाकी थी। जोकि अवैध खनन की शुरूआत कागजात नष्ट करवाने से की गई व जनाब यह अवैध खनन पूर्व एम.एल.सी. हाजि इकबाल, बाला वासी मिरजापुर, जिला सहारनपुर उतरप्रदेश से भी बडी मात्रा मे अवैध खनन हुआ है।
3. सल 2016 मे ग्राम माण्डेवाला व कोहलीवाला की पंचायती भूमि की स्थिति annexure 1 मे स्पष्ट रूप दर्शाया गया है कि पंचायती भूमि के अन्दर खैर के पुराने पेड जिनकी सख्या 2 लाख के करीब थी।

Annexure
1-

लि-ड ९७११०

4. साल 2016, 17, **371** की भूमि की स्थिति यह थी
annexure 1 में स्पष्ट है
5. साल 2017-18 में पंचायती शामलात भूमि के करीब 5-10 मीटर
की दूरी पर स्क्रीनिंग प्लाट लगे हैं जोकि दोषीगण के हैं। *Annexure 2*
6. साल 2016 में पंचायती भूमि की स्थिति annexure 3 में
स्पष्ट है जोकि दोषीगण के स्क्रीनिंग प्लाट जिनके नाम इस प्रकार हैं
देव भूमि स्क्रीनिंग प्लाट, श्रीराम स्क्रीनिंग प्लाट, जय महा लक्ष्मी
स्क्रीनिंग प्लाट, शिव शक्ति स्क्रीनिंग प्लाट, नीलकंठ स्क्रीनिंग प्लाट हैं
जोकि आज खनन करते हुये इन स्क्रीनिंग प्लाटों से पंचायत की भूमि
की दूरी करीब 1 किलोमीटर हो चुकी है।
7. साल 2018-19 में पंचायती भूमि की स्थिति annexure 4
में स्पष्ट है।
8. साल 2019 में पंचायती भूमि की स्थिति annexure 4, 5
& 6 में स्पष्ट है
9. साल 2020 जुलाई अगस्त माह में पंचायती भूमि की स्थिति
annexure 7 में स्पष्ट है
10. साल 2020 में पंचायती भूमि की स्थिति annexure 8 में
स्पष्ट है भूमि को पूरी तरह से खुदाई करने के बाद गेहूँ की बिजाई की
गई और पोपलर के पेड़ लगा दिये गये जिन्हे करीब 3 साल में काट
लिये जाते हैं और ~~भी~~ भी पोपलर के पेड़ पंचायती की खुदाई वाली
भूमि पर करीब 20-25 एकड़ में खड़े हैं।

G. P. S. S. M. A.

11. इसके बाद माण्डेवाला व कोहलीवाला मे पंचायती व शामलात भूमि पर बची हुई जमीन पर आज बदस्तुर खनन जारी है जिसका मे annexure 9 मे पैन ड्राईव स्पष्ट है
12. ग्राम पंचायत माण्डेवाला मे जितनी भी पंचायत की भूमि है गाव नैनावाली से माण्डेवाला तक जो पीर उस भूमि मे जगल व गांव जिसके बीच मे करीब 1 किलोमीटर तक माण्डेवाला पंचायत की जमीन है जिसमे 50 फुट गहरी नहर रूपी खुदाई कर दी गई है व जनाब इस जमीन मे से जो 2-4 एकड जमीन बची है उसके भी दोषीगण खुदाई कर रहे है जिनके किला नम्बर 24, 7//19, 20, 21, 25, 24, 6//15, 16, 17 मे खुदाई हो रही है। *Annexure 9*
13. साल 2016 मे सरपंच केला देवी अपनी कार्यकाल के दौरान भूमि की बोली की थी। जोकि श्योपाल पुत्र साधु राम वासी दादूपुर छावनी को खनन के लिए दिया गया था जिसमे दर्शाया गया कि 62 एकड भूमि की बोली की गई जिसका प्रस्ताव दिनांक 08.09.2003 बीडीपीओ के रिपोर्ट के अनुसार *10,11* annexure ~~4~~ क्रमांक न.1421 दिनांक 10.10.2022 पर पेज न.39 पर दर्शाया गया है ।
14. ग्राम पंचायती कोहलीवाला निम्नलिखित जोकि 62 एकड भूमि है ग्राम पंचायत भूडकला द्वारा दिनांक 04.12.2009 प्रस्ताव न.4 और उपायुक्त महोदय के पत्र क्रमांक 8914 दिनांक 3.01.2000 की अनुपालना मे दिनांक 24.12.2009 को समतल करने के लिए 2 साल के लिए पट्टा पर दिया गया। पेज न.40 प्वाईट न.6 पर *10,11* annexure ~~4~~ मे दर्शाया गया है और यह भूमि साल 2003 मे ही समतल हो गई थी उसे दोबारा


SP/12/2022

से खनन के लिए पट्टे पर दिया गया। **373** annexure 11 अगर पट्टे पर दिया गया तो इसका राजस्व कहा गया। जबकि सच्चाई यह है कि साल 2000 में जो केला देवी सरपंच द्वारा बोली करवाई गई थी वह 4 एकड़ भूमि की बोली थी। जोकि सरपंच रघुबीर द्वारा साल 2006 में जो पंचायत की निशानदेही व पैमाईश करवाई गई थी उसमें स्पष्ट है कि कितनी भूमि खुदी हुई थी व कितनी बची हुई थी।

15. ग्राम पंचायत प्रस्ताव न.1 दिनांक 22.01.2010 के अनुसार हरियाणा खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी विभाग के पत्र एस/1/2008/45162/67 दिनांक 14.11.2008 के अनुसार ग्राम पंचायत भूडकला ने वही जमीन दोबारा पट्टे पर दे दी। जिसका पेज न. 40 प्वाइंट न.7 पर annexure 4

16- पेज न.41 प्वाइंट न.17 दिनांक 20.08.2011 के अनुसार कोहलीवाला की पंचायती भूमि से 20-25 टाली चोरी होने का प्रस्ताव डाला गया। परन्तु यह भूमि पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 22.01.2010 व 24.12.2009 के अनुसार पहले ही खनन के लिए पट्टे पर दे दी गई थी। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि पंचायत के सारे प्रस्ताव अवैध खनन को संरक्षित करने के लिए डाले हुये हैं।

17. साल 2020 के बाद भी कोहलीवाला व माण्डेवाला में पंचायत व शामिल व केंद्र सरकार की भूमि पर अवैध खनन बदस्तुर जारी है जबकि माननीय एनजीटी कोर्ट द्वारा इस क्षेत्र को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया हुआ है। लेकिन दोषीगण अपने स्क्रीनिंग प्लॉटो व कैंसरो को चला



374
रहे है और जेसीबी एचएम डंपरों द्वारा खनन कर रहे है। जोकि 40-50 फुट खनन पैन ड्राईव व अखबार की कर्टींग मे मौजूद है। *Annexure*

18. माननीय एनजीटी कोर्ट से दरखास्त है कि मैं बलिन्द्र कुमार साल 2016 से लेकर 2023 तक लगातार खनन के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ जबकि दोषीगण ने प्रशासन से मिलकर मेरे खिलाफ ही मुकदमा साल 2018 मे दर्ज करवा दिया गया। मेरे पास ना ही एच एम है ना ही जेसीबी है ना ही डंपर है और ना ही क्रैसर स्क्रीनिंग प्लाट है व ना ही मैने आज तक कोई अवैध खनन नहीं किया है।
19. जनाब से प्रार्थना है कि दोषीगण की साल 2016 से लेकर अब तक की सम्पति की जांच की जाये व दोषीगण के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई जाये।
20. दिनांक 22.10.2018 को उपायुक्त महोदय श्री गिरिश अरोडा जी ने पंचायत की भूमि माण्डेवाला, कोहलीवाला, नैनेवाला, ताजेवाला व भूडकलां की पंचायती जमीनो का प्राईवेट गाडी से दौरा किया और पाया कि अवैध खनन मे शामिल कई एच एम और मशीने स्क्रीनिंग प्लाट व क्रैसर चलते हुये पंचायती जमीनो से अवैध खनन कर रहे थे। जिस पर उपायुक्त महोदय ने कहा कि बडे स्तर पर खनन जारी है जो संबंधित विभागो की मिलीभगत से हो रहा है। पंचायती व शामलात व कैन्द्र सरकार की भूमि पर कोहलीवाला गांव की 607 कनाल भूडकला की 433 कनाल माण्डेवाला की 709 कनाल डोईवाला की 43 कनाल व ताजेवाला की पंचायती जमीनो पर अवैध खनन होना पाया गया जो 50 फुट की गहरी खाईयो मे बदल दिया गया व मौका पर खनन जारी था। उपायुक्त महोदय ने तुरन्त संबंधित विभागो को पत्र भेज कर रिपोट

SPRINT

मांगी व दोषीगण व अधिकारियों पर कार्यवाही की जा सके। उपायुक्त के पत्र से स्पष्ट हो गया कि कितने बड़े पैमाने पर अवैध खनन जारी है। व उपायुक्त महोदय ने कहा कि खनन अधिकारी व पंचायती अधिकारी इस खनन में शामिल है। annexure 15

21. annexure 16 इस दिनांक 16.07.2022 में एसडीएम बिलासपुर जसपाल गिल ने खनन क्षेत्र माण्डेवाला, कोहलीवाला, नैनेवाला, ताजेवाला व भूडकलां की पंचायती जमीनो ब्यान दिया कि खनन माफियो ने 300 मीटर गहरी खाई खोद दी गई है लेकिन एसडीएम ने दोषीगण के साथ मिलकर कोई दौरा ना किया और ना ही कोई कार्यवाही की।
22. annexure 17 दिनांक 15.01.2016 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया जिसमें जिला उपायुक्त व पुलिस अधिकारी को अवैध खनन रोकने के लिए जिम्मेदारी दी गई और अगर अधिकारी अवैध खनन को रोकने में नाकामयाब रहते हैं तो अवैध खनन के लिए इन्हे जिम्मेदार ठहराया जायेगा।
23. कोहलीवाला में ब्लॉक एनजीटी के आदेशानुसार 13.59 हैक्टेयर भूमि पर व भूड माजरा में 9.95 हैक्टेयर पर ही खनन करने के लिए इज्जाजत दी गई थी। दोषीगण ने कोहलीवाल, माण्डेवाला व सारी पंचायती भूमि व अपने निजी कई खेतों को भी खुदाई 60-70 फुट तक कर दिया। खनन अभी भी जारी है। annexure 18
24. annexure 19 दिनांक 23.05.2022 को बीडीपीओ के कार्यालय में प्रार्थी पेश हुआ जिसमें मैंने माण्डेवाला व कोहलीवाला में खनन बारे उच्च अधिकारियों दरखास्ते दी हुई थी। जिस पर बीडीपीओ योगश

ए. लाल शर्मा

कुमार ने अपने कार्यालय में बुलाया व वहां पर पहले से ही मौजूद दोषीगण थे। जिस पर हमारी समझौते के लिए बहस हुई व मुझे डराया धमकाया गया।

- 25- annexure 20 दिनांक 29.10.2017 को वर्तमान सरपंच मोहन राम व पूर्व सरपंच सुभाष चंद पर उपायुक्त यमुनानगर के आदेशानुसार पंचायती जमीन पर अवैध खनन करने का दोषी पाया गया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया व सरपंच मोहन राम को सस्पेंड करवाया गया व मोहन राम व पूर्व सरपंच ने सत्ताधारी पार्टी को ज्वाइन किया व इन पर लगे मुकदमों को बीडीपीओ योगेश कुमार व खनन अधिकारी की व राजनीतिक मिलीभगत से रद्द करवा दिया गया। जोकि बीडीपीओ योगेश कुमार ने अपनी रिपोर्ट में कई पर नहीं दर्शाया है। *ANXR-21*
26. पूर्व सरपंच सुभाष चंद व मोहन राम सुभाष चंद का नौकर है व आरक्षित सीट होने की वजह से मोहन राम को सरपंच बनाया गया व मोहन राम के जितने भी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर है व सब फर्जी है। इनको वैरीफाई करवाया जाये।
27. मैम्बर पंचायत ग्राम भूडकला में कुल 11 मैम्बर पंचायत है जिनमें से सुभाष चंद के पुत्र की पत्नी अनुराधा पत्नी सुधीर उर्फ गुल्लू जोकि मैम्बर पंचायत है सोम नाथ, सुभाष चंद के पट्रोल पम्प पर नौकर है शशीबाला पत्नी राजिन्द्र सिंह जोकि सुभाष चंद के स्क्रीनिंग प्लॉट पर नौकर है। व जनाब जो दो मैम्बर आशिक अली व जुलफान ये पांच मैम्बर पंचायत ही पूरी पंचायत प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हैं जबकि मैम्बर 11 हैं। इन सब की आपस में मिलीभगत है जिसमें दोषीगण व संबंधित विभाग शामिल है।

सुधीर कुमार

Application for Getting Copy



Kind of Case	Name of Parties	Under Section	Place	Name of the Court	Date of Decision/ Pending for	Purpose	Description	Signature of the applicant
	श्री. म.						<p>श्री. म. का लाल निशान देही दिनांक 12-01-2006</p> <p>गौशारा नं 12758 का लाल निशान देही दिनांक 19-11-2006 का लाल निशान देही</p> <p>का लाल निशान देही का लाल निशान देही</p> <p>अर्थात् - प्रो. दी. कार!</p> <p>आपकी ओर लाल निशान देही</p> <p>रजिस्ट्रार</p>	

Name & Address of the applicant

नाम - लाल-सुभार 510 मी लक्ष्मी राम
 माता - श्री. म. का लाल निशान देही
 पता - गौशारा (35106)
 पिता - श्री. म. का लाल निशान देही
 मोबा - 8930440087, 9129205779


379



380



381



382



383



384



385









SanDisk

www.sandisk.com

Cruzer Blade™ USB 2.0 Flash Drive

System Compatibility			
✓ Windows 7	✓ Windows 8	✓ Windows 10	✓ Mac OS X v10.9+

- Store, transfer and share video, music and other files
- 1GB = 1,000,000,000

Product Code : SDCZ50-032G-035
 Product Description : Country Of Origin : Malaysia
 CZ50 32GB, 1GB=1 Billion bytes. Storage also used for memory optimization and performance. User storage is less than full capacity.

Generic Name : USB Flash Drive
 MRP : Rs. 650.00 (incl. of all Taxes)
 Package Contains : USB Flash Drive -1N
 Month and Year of Mfg. : May-2022 Net Quantity : 1N
 Month and Year of Import : May-2022
 Manufacturer : Western Digital (UK) Ltd.
 Plot 301A, Mk. 13, Batu Kawan,
 Simpang Ampat, Penang, Malaysia 14100

Importer : Redington India LTD
 Regd. Office : SPL, Guindy House 95, Mount Road,
 Guindy Chennai 600032 India22

Customer Care : The Manager-Customer Service
 SPL, Guindy House 95, Mount Road, Guindy Chennai
 600032 India22

SanDisk, the SanDisk Western Digital Corp. trademark of Apple

Tel: 1800 182 2055
Email: IndiaSupport@sandisk.com

or trademarks of others. Mac OS is a active owners.



Made in Malaysia

ANXR-9

Europe & Asia: SanDisk International • Third Floor, Broadmeadow Hall, Applewood Village, Swords, Dublin, Ireland
Americas: Western Digital Technologies, Inc. • 951 Sandisk Drive, Milpitas, CA 95035, U.S.A.
© 2019 Western Digital Corporation or its affiliates. All rights reserved.
Western Digital Technologies, Inc. is the seller of record and licensee in the Americas of SanDisk® products.

390

03/05/2022

ANYK
9




391

ANYR-9




392

ANR-9



393

ANYR-9




श्री ६५ नव वि. दक्षिणी 394

जेजावाला देहजा बेलीबूड

AMXR-9


युग्मनागर

- समस्या समाजा बहिष्कार :-
- उपग्रह = 36 X 40 क्वचम
 - कक्ष = 5 फूट 6 इंच
 - कक्ष = 66 इंच
 - प्राच = 19 इंच
 - कक्ष = (मी) एक इंच






20

36 24
24



395

AMR-9



173

366

212

397

8. ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव न० 04 दिनांक 24.12.2009 के अनुसार उपायुक्त महोदय, के पत्र क्रमांक 8914 दिनांक 03.01.2008 का अनुपालना में गांव कोहलीवाला की उंची-नीची भूमि को समतल करने के लिए गटका, पत्थर, रेत उठाने के लिए पंचायती भूमि को दो वर्ष हेतू पट्टा पर देने के लिए दिनांक 24.12.2009 को बोली करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया (प्रति साथ सलंगन-6)।
7. ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव न० 01 दिनांक 22.01.2010 के अनुसार हरियाणा सरकार विकास एवं पंचायत विभाग, चण्डीगढ़ के पत्र एस-1-2008/45162-67 दिनांक 14.11.2008 के अनुसार ग्राम पंचायत भूडकलां के गांव कोहलीवाला की पंचायती भूमि 36 एकड़ 7 कनाल 8 मरले को समतल करने के लिए गटका, पत्थर, रेत व बजरी उठाने के लिए ठेका पर देने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया (प्रति साथ सलंगन-7)।

ग्राम पंचायत भूडकलां की पंचायती भूमि पर हो रहे अवैध खनन बारे की गई कार्यवाही निम्न प्रकार से है:-

8. ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव न० 01 दिनांक 25.05.2000 के अनुसार पॉवर हाउस न० 02 के साथ लगते पंचायती रकबा से पूर्व सरपंच कर्ण सिंह द्वारा ठेकेदार के साथ मिली भगत करके 30 फुट गहरे खड्डे खुदवा दिये गये हैं। इसलिए पूर्व सरपंच कर्ण सिंह के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है (प्रति साथ सलंगन-8)।
9. ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव न० 01 दिनांक 23.02.2005 के अनुसार ग्राम पंचायत भूडकलां के गांव कोहलीवाला की पंचायती भूमि से अवैध खनन करने की एवज में राजवीर, शिवकुमार पुत्र जयपाल, रिषि पाल पुत्र बचित्र सिंह निवासी गांव कोहलीवाला के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है (प्रति साथ सलंगन-9)।
10. ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव न० 01 दिनांक 23.05.2005 के अनुसार ग्राम पंचायत भूडकलां के गांव कोहलीवाला की पंचायती भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध खनन करने बारे शक होने के कारण पंचायती भूमि की निशानदेही करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है (प्रति साथ सलंगन-10)।
11. ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव न० 01 दिनांक 06.10.2008 के अनुसार खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा मौका देखा गया जिसके उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पारित करके 11 लोगों के विरुद्ध अवैध खनन करने की एवज में कानूनी कार्यवाही हेतू प्रस्ताव पारित किया गया।(प्रति साथ सलंगन-11)।
12. खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक दिनांक 15.06.2009 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रस्ताव न० 01 दिनांक 15.06.2009 पारित करके 11 लोगों के विरुद्ध पंचायती भूमि पर अवैध खनन करने की एवज में एफ०आई०आर० दर्ज करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया(प्रति साथ सलंगन-12)।
13. ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव न० 01 दिनांक 21.10.2009 के अनुसार गांव कोहलीवाला में पंचायती भूमि में अवैध खनन करने की एवज में एफ०आई०आर० दर्ज करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया (प्रति साथ सलंगन-13)।
14. ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव न० 01 दिनांक 09.12.2009 के अनुसार ग्राम पंचायत की पंचायती भूमि में उपमण्डल अधिकारी(ना०), बिलासपुर के दिनांक 03.12.2009 को मौका निरीक्षण उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा रात के समय अवैध खनन रोकने के लिए पुलिस की ड्यूटी लगाने बारे प्रस्ताव पारित किया गया (प्रति साथ सलंगन-14)।

[Handwritten signature]

[Handwritten note: Annex 12]

AMKR = 10
11
प्रेषक

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी,
प्रतापनगर।

सेवा में

उपमण्डल अधिकारी(ना0),
बिलासपुर।

क्रमांक 1421

/एसईपीओ दिनांक 10.10.2022

विषय:- Original Application No. 446/2022 titled as Balwinder Kumar Vs State of Haryana Pending before Hon'ble NGT, New Delhi.

सन्दर्भ:- उपायुक्त महोदय, यमुना नगर के कार्यालय के पत्र क्रमांक 5538/एम0ए0 दिनांक 04.10.2022 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषय बारे माननीय उपायुक्त महोदय, यमुनानगर द्वारा विषयाधीन मामले में आपकी अध्यक्षता में गठित कमेंटी द्वारा मौका निरीक्षण उपरान्त ग्राम पंचायत भूडकला की पंचायती भूमि में हुए अवैध खनन के सम्बंध में जो रिपोर्ट मांगी गई वह रिपोर्ट तथ्यों सहित इस प्रकार है।

इस सम्बंध में आपकी सेवा में अवगत करवाया जाता है कि ग्राम पंचायत भूडकला का रिकार्ड का अवलोकन करने उपरान्त यह पाया गया कि ग्राम पंचायत की पंचायती भूमि में खनन होने का रिकार्ड सन् 1995 से मिलता है और यह खनन केवल अवैध खनन ना होकर ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती भूमि को प्रस्ताव पारित कर खनन हेतु दिया गया है जोकि निम्न प्रकार से है:-

1. ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव न0 01 दिनांक 06.10.1998 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत रकबा में से खनन विभाग द्वारा रेत, बजरी, पत्थर निकालने के लिए वर्ष 1995 से रायल्टी बोली पर दी हुई है परन्तु ठेकेदारों द्वारा रायल्टी की 10 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत को जमा नहीं करवाई गई जिस कारण ग्राम पंचायत द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध भू-राजस्व के तहत वसूली हेतु कार्यवाही की गई है (प्रति साथ सलंगन-1)।
2. ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव न0 02 दिनांक 29.08.1999 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 29.08.1999 से 28.08.2002 तक महावीर पुत्र श्री भगवान सिंह निवासी गुलाबगढ़ को पंचायती भूमि खनन करने के लिए पट्टा पर दी गई थी (प्रति साथ सलंगन-2)।
3. ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव न0 02 दिनांक 20.08.2002 के अनुसार ग्राम पंचायत भूडकला के गांव कोहलीवाला की पंचायती भूमि को खनन हेतु पट्टा पर देने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है (प्रति साथ सलंगन-3)।
4. ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव न0 01 दिनांक 28.12.2002 के अनुसार ग्राम पंचायत भूडकला की पंचायती भूमि पूर्व में ही खुदी होने के कारण उसको समतल करने के लिए रेत, बजरी, गटका व पत्थर खुदाई करके उठाने के लिए पट्टे पर देने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है (प्रति साथ सलंगन-4)।
5. ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव न0 01 दिनांक 08.09.2003 के अनुसार ग्राम पंचायत भूडकला के गांव कोहलीवाला की पंचायती भूमि जिस पर पूर्व की पंचायतों द्वारा खनन करवाया हुआ है जिसमें उंचे नीचे टीले उठाने के लिए श्योपाल पुत्र साधूराम निवासी दादपुर छावनी को खनन के लिए पट्टा पर दिया गया है (प्रति साथ सलंगन-5)।

[Handwritten Signature]

ANR-15

399

22/10/18

अमर उजाला
पिन 341945
22/10/2018

22-10-2018

अवैध खनन पर डीसी के पत्र से हड़कंप, कई विभागों और पंचायतों को खनन के लिए बताया जिम्मेदार

अमर उजाला ब्यूरो

यमुनानगर। पंचायतों में हो रहे अवैध खनन को लेकर दोबारा यमुनानगर के पंचायत व खनन विभाग को जो पत्र लिखा है उसमें इन विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। दोबारा यमुनानगर के पंचायत विभाग, खनन विभाग को जो पत्र लिखा है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भूदकला व लाजेंडिंग को पंचायती तहसील पर अवैध खनन हो रहा है। इस पत्र में ग्राम पंचायत, खनन, पुलिस, सड़क व पंचायत विभाग के अधिकारियों को मिलीभगत को ध्यान में रखा है कि इनको जागरूकता के बिना खनन हो रहा है। दोबारा पंचायत व खनन विभाग से इस मामले को तुरंत रिपोर्ट मंगी है।

भूदकला और लाजेंडिंग की पंचायती तहसील पर हो रहा अवैध खनन, डीसी ने मांगी रिपोर्ट

दोबारा में दोबारा यमुनानगर के कुछ दिग्गज लोगों को पत्र, भूदकला, लाजेंडिंग एवं लाजेंडिंग में हो रहे अवैध खनन का जवाब लिखा। दोबारा में अपने पत्र में लिखा है कि मोक, पार, टिपरा, टैक्टर-ट्राली, पंचायत व तहसील के माध्यम से बिना किसी विचारण तथा बेरोक-टोक अवैध खनन हो रहा था। इसी के संवर फेरेट या जो सीजुर वही से या फिर उन्हें जानबूझकर धिंदाग तथा सार्वजनिक वृद्धों को परभाव न हो सके। दोबारा के पत्र में कहा गया है कि अवैध खनन को जागरूकता हो नहीं थी, बरकरार पंचायती भूमि पर कई अवैध खनन प्लॉट चलाने को ध्यान भी नहीं रखा है।

पंचायती भूमि में 50 फीट से लेकर 150-200 फीट तक गहरे गड्ढे करके अवैध खनन किया गया है, यानी कि अब तक जो अवैध 100 फीट तक अवैध खनन के लक्षण जहाँ थे। दोबारा के पत्र में तुरंत 200 फीट तक बताया गया है। दोबारा के पत्र में कहा गया है कि पंचायती तहसील में इस प्रकार की रहे अवैध खनन से प्रभाव होता है कि इस खनन में सड़क, सड़क एवं पंचायत तथा अन्य संकेत अधिकारियों को मिलीभगत है, क्योंकि इनके साथ पत्र पर कार्य पंचायत, खनन, पुलिस व सड़क एवं पंचायत विभाग को जागरूकता के बिना किया गया अवैध है। यानी स्पष्ट रूप से इन विभागों को अवैध खनन के इस खेल में शामिल बताया गया है। अवैध खनन के इस मामले को जांच दोबारा में जो पत्र लिखा है उसमें बताया गया है कि इस तरह को विभाग भूमि में अवैध खनन पाया गया। इसमें भूदकला पत्र की 433 काल, जिलाधिकारी की

607 काल, जिलाधिकारी की 41 काल, जिलाधिकारी की 209 काल, जिलाधिकारी की 19 काल तहसील पर अवैध खनन होना पाया गया। दोबारा में पंचायत व खनन विभाग को पत्र पर भेज कर तुरंत विस्तृत रिपोर्ट मंगी है। इसके अवैध खनन में शामिल दोबारा अधिकारियों पर कार्रवाई को ज्ञात करें। दोबारा के इस पत्र में स्पष्ट हो गया है कि बिना किसी विचारण या अवैध खनन पत्र पर है। पत्र तक खनन करने में तुरंत सभी संकेत विभाग व पंचायतों तक इसमें शामिल है। दोबारा के इस पत्र के बाद तहसील विभागों में हड़कंप मचा हुआ है। इसमें जागरूक होने लगे पत्र पर है। उल्लेखनीय है कि इन मामलों में एफ.आई.डी.आर. का कार्य मामले को दूरित कर लगे जा रहे हैं। अवैध खनन इसके जागरूकता पत्रों पर है। इसके जागरूकता पत्रों में कई तरह तक जागरूकता लक्ष्य रहा है।

सरकार जिम्मेदारों से नहीं बच सकती : सतपाल

बिना किसी तरह के विचारण या अवैध खनन को रोकना व इस पर कार्रवाई करना सरकार को जिम्मेदार है। इसमें सरकार अवैध विभागों में बच नहीं सकती।

डीसी के पत्र का जवाब भेज दिया है: बीडीपीओ

इस पत्र में जिलाधिकारी के कार्रवाई के पत्र पर जवाब भेजा है। जिलाधिकारी के पत्र पर जवाब भेजा है। जिलाधिकारी के पत्र पर जवाब भेजा है। जिलाधिकारी के पत्र पर जवाब भेजा है।

यमुनानगर अंतर्गत की जांच खनन मामलों की मिलीभगत से खनन रोकना



श्रीमान् जी,

400



IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPLE
BENCH NEW DELHI

Regarding →: OA NO. 44/2022

BALWINDER KUMAR V/S STATE OF HARYANA

श्रीमान् जी,

कृपया कृपया S/O जी लक्ष्मी राव आपकी सेवा में निम्न लिखित
आपत्तियों प्रस्तुत कर रही हूँ।

1. PAGE NO = 1 to 25 अलग-अलग

2. ANNEXURE = 16

अवैध खनन करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा: जसपाल गिल

①

Ames-
No. 16

यमुनानगर-प्रदेश एजेंडा न्यूज/रविन्द्र चौहान

प्रताप नगर क्षेत्र के भूडकलां जंगल से ताजेवाला तक खनन माफिया ने लगभग 300 मीटर खाई रूपी नहर खोद डाली। अब इस मामले का संज्ञान लेते हुए बिलासपुर एसडीएम जसपाल सिंह गिल का कहना है कि अवैध खनन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वह खुद निरीक्षण करेंगे और जांच की जाएगी राजस्व विभाग में जिन लोगों की जमीन में खुदाई हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कुछ एरिया में पंचायती जमीन पर भी खुदाई होने की चर्चा है। उसकी भी जांच कराई जाएगी। छछरौली एरिया में पिछले लंबे समय से अवैध खनन के मामले सुर्खियों में है। बता दें कि रायल्टी कंपनी में दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। जिसका फायदा खनन माफिया उठा रहा है। प्रताप नगर थाना क्षेत्र में पडने वाले मांडेवाला गौ सदन के पास खनन माफिया पिछले दो ढाई साल से जमकर खनन कर रहा है। मगर संबंधित विभाग यहां कोई उचित कार्यवाही नहीं कर रहा। जागरूक लोगों का कहना है कि खनन विभाग अगर यहां ईमानदारी से काम करता तो इस एरिया में इतने बड़े स्तर पर अवैध खनन ना होता। लोगों का आरोप है कि खनन माफिया ने नैनो वाली गांव के पण्डित साहू की शक्ति को भी नहीं बख्शा। शान्त रूप शक्ति का बचा



की फीस अटकी • समय पर किस्तें जमान कराने पर माइन एंड जियोलाजी विभाग ने लिये क्रशर जोन के पांच घाटों का ठेका रद्द, सिक्वोरिटी जूब

402

यूज | लिजरायाद

रल्ले बाला स्टोन क्रशर में की गवर्नमेंट फीस की अदा नहीं करने पर खनन ब्लॉक का ठेका रद्द कर समय पर कॉन्ट्रैक्ट राशि देने पर ठेका कंपनियों की भी जन्त कर ली गई है। योलॉजी विभाग हरियाणा आदेश के मुताबिक केशर ए ब्लॉक, बेलगढ़ साउथ यल्टी कंपनी, मलिकपुर र भूइकलां ब्लॉक के किया गया है। विभाग से

मिली जानकारी के मुताबिक भूइ माजरा ब्लॉक के 9.95 हेक्टेयर एरिया में 7 साल के लिए 2,93,50,000 प्रतिवर्ष रॉयल्टी की दर से ठेका दिया गया था। सरकार की ओर से घाट का रिजर्व प्राइस 2 करोड़ 65 लाख रखा गया था। लेकिन ठेका कंपनी की ओर से सरकार की फीस समय पर अदा नहीं की गई। खनन विभाग की ओर से 12 मई 2022 को ठेका कंपनी की ओर 17 करोड़ 18 लाख की राशि बकाया खड़ी है। बेलगढ़ साउथ ब्लॉक को 9 साल के लिए मुबारकपुर रॉयल्टी कंपनी को 19 करोड़ 63 लाख 50 हजार में आवंटित किया गया था। 28 हेक्टेयर एरिया के लिए सरकार की ओर से बेलगढ़ साउथ ब्लॉक के लिए 4 करोड़

60 लाख रिजर्व प्राइस रखा गया था। ठेका कंपनी की ओर से 12 मई 2022 तक 19 करोड़ 20 लाख की बकाया सरकारी फीस जमा नहीं कराए जाने पर कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है। कंपनी की 4 करोड़ 90 लाख 87500 की सिक्वोरिटी राशि भी जन्त कर ली गई है।

इसी प्रकार नार्दन रॉयल्टी कंपनी को 8 साल के लिए 8 करोड़ 70 लाख 50000 में दी गई। विभाग की ओर से घाट के लिए 8 करोड़ 40 लाख रिजर्व प्राइस रखा गया। विभाग की ओर से माइनिंग के लिए 31, 84 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई। कंपनी की ओर से 8 करोड़ 25 लाख की सरकारी फीस नहीं भरी जाने पर कंपनी के 2 करोड़

ठेका कंपनी पर 22.67 करोड़ रुपए की राशि ब भूइकलां ब्लॉक में 12.62 हेक्टेयर एरिया खुदाई के लिए चिन्हित किया कंपनी की ओर 12 मई 2022 तक 22 करोड़ 67 लाख की राशि बक डायरेक्टर माइन्स एंड जियोलाजी विभाग हरियाणा की ओर से जारी आ 5 घाट का ठेका तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। गौरतलब है कि र में रॉयल्टी को लेकर दो गुटों के बीच एक साल से तनातनी बनी हुई है स्टोन केशर संचालकों को भी भुगतना पड़ रहा है।

17 लाख 62500 की सिक्वोरिटी राशि जब कंपनी की ओर से 12 करोड़ 6 लाख की राशि करोड़ 6 लाख की राशि जाने पर कॉन्ट्रैक्ट रद्द 8 साल के लिए 4 करोड़ 59 लाख 50000 में प्रति वर्ष के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। जिसमें सरकार का रिजर्व प्राइस 4 करोड़ 65 लाख 50000 दिया गया। लेकिन करोड़ 58 लाख रुपए रखा गया। लेकिन

2

दिशा कमेटी की मीटिंग लेने पहुंचे थे सांसद • मीटिंग के एजेंडे से बाहर जाकर अधिकारियों को अवैध खनन पर लगाने को कहा सांसद कटारिया बोले-अवैध खनन से हथिनीकुंड बैराज को खतरा, अधिकारी खनन माफिया पर सख्त एक्शन ले

भास्कर न्यूज़ | खिजराबाद/यमुनानगर

यमुनानगर में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा, यह बात सांसद रतन लाल कटारिया को भी पता है। सांसद को सांसद दिशा कमेटी की मीटिंग लेने पहुंचे तो उन्होंने मीटिंग के एजेंडे के बाहर जाकर अधिकारियों को कहा कि यमुनानगर में खनन माफिया हबो है। अवैध खनन से हथिनीकुंड बैराज को खतरा है। इसलिए इन्हें रोकने के लिए सख्त एक्शन लिया जाए। हालांकि मीटिंग में माइनिंग विभाग की ओर से कोई नहीं था। सांसद का कहना था कि डीसी को आदेश दिए हैं कि खनन माफिया पर सख्त एक्शन लिया जाए।

उपर, खनन जोन में अवैध खनन को लेकर तीन दिन से चल रहे विवाद के बाद सफाया है। एक पक्ष की ओर से टैंट लगाकर कुछ लोगों को वहां बैठा दिया गया है। इनके तीनों समय के खाने का इंतजाम भी वही किया गया। यहां हर समय करीब 200 लोगों का खाना बन रहा है। टैंट लाने के बाद से खनन जोन डोईबाला में वाहनों की आवाजाही बहुत कम हो गई। कहा जा रहा है कि डर के मारे माल न तो कोई लेने आ रहा है और न ही लेकर जा रहा है। वहीं, कहा जा रहा है कि अवैध खनन में सरकार में ही बैठे लोगों का ही हाथ है। सरकार में बैठे दो राजनेता जोन में अपने वर्चस्व को लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा खनन जोन दो

बबल गुट का धरना जारी है बल्लेवाला घाट के पास 200 लोगों के लिए बन रहा लंगर



खिजराबाद। बल्लेवाला घाट के समीप लंगर तैयार करते हलवाई।
बबल गुट की ओर से लगभग 200 लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है। पिछले 2 दिनों से हलवाई लगाकर बावहायदा 200 लोगों का खाना तैयार किया जा रहा है। युक्तों की टोलियां बल्लेवाला धर्म कटि के आसपास डेरा जमाए हुए हैं। बता दें कि महाबली स्टोन क्रशर डोईबाला के कर्मचारी अंकित की शिकायत पर खिजराबाद पुलिस इंद्रपाल सिंह बबल, रामपाल कांबोज राम,

गुचरण सिंह, पूर्व संपंच बीबीपुर दुक्की इनाम, विजय यादव, विजय और समेत अन्य पर धमकाने, बंधक बनाने का केस दर्ज किया हुआ है। हालांकि बबल का कहना है कि सभी आरोप झूठे हैं। वे अपना पैसा लेने क्रशर पर गए थे। उधर, खिजराबाद थाना प्रभारी पृथ्वी सिंह का कहना है कि दर्ज केस में जांच चल रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए जल्द बुलाया जाएगा। अभी कोई

माफिया ने 50-50 फीट तक जमीन खोदने वाली सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि खनन का कुछ काम ही तरीके से होता है। यह काम होना चाहिए। उन्होंने खुद सांसदों व वैध खनन की अनुमति देने के लिए बात उठाई थी, लेकिन हर दिन सुनने को मिल रहा है कि खनन माफिया ने 50-50 फीट तक अवैध खनन कर दिया। इससे हथिनीकुंड बैराज को खतरा हो सकता है। उन्होंने दीक्षा कमेटी का चेयरमैन होने के नाते आदेश दिए हैं कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। मुझे यह खतरा दिख रहा है कि माफिया के लंगर रात के अंधेरे में खनन करते हैं उनसे हथिनीकुंड बैराज से खतरा है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए।

दो गुटों के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई

क्रशर जोन में रॉयल्टी कारोबार को लेकर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दो गुटों के बीच चल रही तनातनी का असर स्टोन क्रशर कारोबार पर भी पड़ रहा है। रॉयल्टी कारोबार में दर्जनों स्टोन क्रशर मंचालक भी शामिल हैं। लेकिन विवाद के चलते पूरा कारोबार प्रभावित हो रहा है। मैसर्स रामा स्टोन क्रशर के मंचालक भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि पूर्व विधायक के पास रॉयल्टी के लगभग एक दर्जन घाटों का ठेका है, लेकिन बरसात व लेकर की छुट्टी के कारण खनन कार्य प्रभावित हो रहा है। जिस कारण क्रशर यूनिट को कच्चे माल की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। वहीं, दूसरी ओर क्रशर जोन में जारी तनातनी के चलते माल की पर्याप्तता पर भी असर पड़ रहा है। बीते 2 दिनों से इक्का-दुक्का गाड़ी भी सड़क पर नजर आ रही है।

5 लाख 36 हजार 750 खनन के तौर पर खानों में खनना दो। उसकी बातों में आकर बुरत मोहित के पिता कर्मचारी के खाने में पैसा डलवा दिया। कुछ दिनों बाद फिर से मोहित का कौन आया और कहा कि दोनों का

शौ लेकिन तब समय पर उतरने पैसा नहीं दिया। अब आरोपी घरे मांगने पर जान में धमकी दे रहा है। खिलासों ने भारी बलबोरे सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इसी कारण आरोपी के साथ उजाड़ करने लगे। अविध करने पर आंगण ने मारपोट की और जान से भरणे की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

अवैध खनन में लिप्त लोगों पर की जाए कड़ी कार्रवाई : उपायुक्त

यमुनानगर, 22 जून (ब्यूरो): जिले में कहीं भी किसी प्रकार का अवैध खनन न होने पाए इसके लिए कठोर कदम उठाए जाएं और अवैध खनन में लिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। अवैध खनन संभावित क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी को व्यवस्था भी की जाए।

यह आदेश उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने उपायुक्त कार्यालय में खनन विभाग की जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी के अधिकारियों की बैठक में दिए। इस बैठक में जिला यमुनानगर में गांव ताजेवाला, बेलगढ़, कोहलीवाला, मांडेवाला, कन्यावाला, नैनावाली, डांडीपुर, बीबीपुर, घोड़ो पीपली, मोहिदीनपुर, नगली-32, भगवानपुर और भट्टवाला में अवैध खनन को रोकथाम, पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार सरकारी भूमि/पंचायती भूमि को नुकसान पहुंचाने वाले व इस जमीन पर अवैध खनन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने वाले, सिंचाई विभाग द्वारा नदी के साथ लगाए गए तटबंधों की सुरक्षा, स्टडी को कोई नुकसान न हो जिससे नदी के पानी का प्राकृतिक प्रभाव प्रभावित न हो, तटों व स्टडी के पास खनन/अवैध खनन को रोकथाम, खनन कार्य के लिए डेके भर दिए गए खनन ब्लॉक/स्टोन क्रेशर/स्क्रिनिंग प्लांट को शुरू करने से पहले पर्यावरण अनुमति लेने वाले, पर्यावरण की शर्तों की पालना हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय द्वारा सुनिश्चित करने, खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों में ओवरलोडिंग की रोकथाम वाले तथा वन क्षेत्र में अवैध खनन को रोकथाम के लिए वन विभाग की नियमानुसार कार्रवाई पर विस्तार से चर्चा की गई और उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उपायुक्त ने विकास एवं पंचायत विभाग के



अधिकारियों के साथ बैठक करते उपायुक्त।

अधिकारियों का निर्देश दिए कि अपनी पंचायती भूमि की निशानदेही करवाएं और जी.ओ. फैसिंग करवाएं ताकि पंचायती भूमि से कोई भी अवैध खनन न करने पाए। उन्होंने सभी उपमंडलाधीशों को निर्देश दिए कि वह माइनिंग जोनों में नियमित रूप से स्वयं चेकिंग करें और सभी अधिकारी आपस में समन्वय से कार्य करें तथा सभी अधिकारियों का क्वार्टररूप गुप्त बनाकर अलग-अलग दिनों में अलग-अलग क्षेत्रों में इयूटी लगाएं ताकि अवैध खनन को पूरी तरह से रोका जाए।

उन्होंने अवैध खनन को रोकने की कार्रवाई में तेजी लाई जाए और कहीं भी अवैध खनन न होने दिया जाए। उन्होंने पुलिस विभाग, खनन विभाग, पंचायत विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ-साथ अन्य विभागों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे अवैध खनन को रोकने में तथा ओवरलोडिंग पाए गए वाहनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने में कोई कोताही न बरतें।

इस अवसर पर जगाधरो के एस.डी.एम. सुशील कुमार, रादौर के एस.डी.एम. सतिन्द्र सिवाच, डी.एस.पी. सुभाष चंद्र, रामफल कटारिया, गुरजीत सिंह, रोहित शर्मा, स्वर्ण सिंह जंजीर सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

कार्यक से जरा की सलाह दी, तब उन पर गुस्सा

और खूबसूरत तस्वीरों के जरिए नौसा हमेशा लोगों का ध्यान खींच लेती है। महज 19 साल की नौसा की

बहादुरपुर के ग्रामीणों ने दी शिकायत तो बीडीपीओ ने खनन अधिकारी को कार्रवाई के लिए लिखा

405

ताजेवाला के समीप खनन माफिया ने अब नैनोवाली की पंचायती जमीन खोद डाली



दुर्घत छावड़ा

ताजेवाला, धमुनानगर (धमुनापोस्ट न्यूज नेटवर्क)

खनन माफिया ने ताजेवाला-बहादुरपुर, मांडेवाला एरिया में आतंक मचाया हुआ है। बहादुरपुर पंचायत के अंतर्गत गांव नैनोवाली की पंचायती भूमि को भी खनन माफिया ने खोद डाला है। यहां पर भी पंचायत को लाखों का नुकसान पहुंचाया गया है। ग्रामीण की शिकायत पर बीडीपीओ ने खनन अधिकारी को कानूनी कार्रवाई करने व अवैध खनन का मूल्यांकन करने के लिए लिख दिया है। बीडीपीओ प्रतापनगर को बहादुरपुर के ग्रामीणों ने शिकायत दी है कि गांव नैनोवाली की पंचायती भूमि में कुछ लोगों द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। इससे पंचायत की जमीन से लाखों की खनन सामग्री चोरी कर ली गई है। इस खनन में ताजेवाला के एक व्यक्ति का हाथ है जो अपनी जेसीबी व एचएम की सहायता से लगातार अवैध खनन कर रहा है। ग्रामीणों की इस शिकायत के बाद बीडीपीओ प्रतापनगर ने खनन अधिकारी को पत्र लिखा है, पत्र क्रमांक 772

दिनांक 21 जून 2022 के अनुसार ग्रामीणों ने इस मामले में शिकायत दी है। इसलिए उपरोक्त शिकायत पर कानूनी कार्रवाई की जाए व पंचायती भूमि से हुए अवैध खनन का मूल्यांकन करवा कर कार्यालय को अवगत कराएं, ताकि आगामी कार्रवाई की जा सके।

इस बारे में बीडीपीओ प्रतापनगर जोगेश कुमार ने बताया कि उनके पास जो शिकायत आई थी व उन्होंने तुरंत खनन अधिकारी को भेज दी है। मूल्यांकन के बाद अवैध खनन करने वालों से रिकवरी की जाएगी।

वहीं ताजेवाला एरिया में केवल ताजेवाला नहीं, भूइकला से ताजेवाला के इस कच्चे रास्ते पर दक्षिण की ओर जंगल के बिल्कुल नजदीक प्राइवेट लैंड, पंचायती जमीनें एक पूरी नहर की तरह खोद डाली गई हैं।

यहां पर मांडेवाला गोसदन के समीप तो खनन 100 फुट तक जा चुका है। इस रास्ते पर पंचायतों द्वारा बेरीकेड भी लगवाए गए थे, मगर बेरीकेड को बाइपास कर हर रोज सैकड़ों अवैध खनन से भरे वाहनों का निकलना जारी है।



प्रतापनगर (सुनील) : 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक एनजीटी के आदेश अनुसार बेल गढ़ में खनन पूर्ण रूप से बंद है। बावजूद इसके बेल गढ़ में रात दिन अवैध खनन जारी है। अवैध खनन करने वाले बिना किसी डर के दिन हो या रात किसी भी समय बेल गढ़ में अवैध खनन करते हुए दिखाई देते हैं। माइनिंग



बेल गढ़ में जोरों पर चल रहा अवैध खनन।

विभाग की टीम व एसआईटी की टीम भी रात दिन बेल गढ़ में गश्त करती है। बावजूद इसके बेल गढ़ में इतने बड़े पैमाने पर हो रहा अवैध खनन एसआईटी व माइनिंग विभाग की नाकामी या मिलीभगत के होने को दर्शाता है। जिस प्रकार बेल गढ़ में रात दिन अवैध माइनिंग हो रही है उससे नहीं लगता की माइनिंग विभाग व अवैध माइनिंग रोकने के लिए बनाई गई स्पेशल टीम अपनी ईमानदारी से बेल गढ़ में ड्यूटी कर रहा है। दिन हो या रात किसी भी समय बेल गढ़ में अर्थ मूविंग मशीन से अवैध माइनिंग होती हुई देखी जा सकती है। लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी इस और ध्यान देना मुनासिब नहीं समझता यह भी एक सोचने का विषय है। इस बारे में जब जिला माइनिंग अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि मैं अभी कहीं बैठा हूँ बाद में बात करूंगा।

नाईट डोमिनेशन के दौरान सट्टा खाई वाली करते एक आरोपी गिरफ्तार

यमुनानगर (ओमपाहवा) : पुलिस महानिदेशक हरियाणा के दिशा-निदेशों

र
ह
द
स
5
ल
हत
मौर

प्रशासन के अलर्ट मोड पर रहने से ताजेवाला व भट्टवाला में नहीं हो पाया अवैध खनन, खनन अधिकारी का हुआ तबादला

-यमुनापोस्ट लगातार अवैध खनन पर खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित कर रहा था, जिसके बाद खनन माफिया का सारे बांब ही रहे हैं फेल

दुर्घटना घटना

यमुनापोस्ट (यमुनापोस्ट न्यूज नेटवर्क)

यमुनापोस्ट में लगातार अवैध खनन पर सभ खी खबरों के बाद शनिवार को प्रशासन को अधिकारी एकदम अलर्ट मोड पर आ गए। इसकी वजह से रात को भट्टवाला व ताजेवाला में अवैध खनन करने वाले मायूस होकर रह गए। विलासपुर की एसडीएम द्वारा खनन, पुलिस, पंचायत समेत सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया व उन्हें तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया। इसके साथ ही बीडीपीओ विलासपुर द्वारा भट्टवाला में दौरा कर ग्राम सचिव व खनन निरीक्षक की ड्यूटी लगा दी गई, ताकि रात को अवैध खनन न होने पाए। इसी दौरान जिला खनन अधिकारी का भी तबादला कर दिया गया है।

यमुनापोस्ट लगातार भट्टवाला, ताजेवाला, लाकड़ एरिया समेत अन्य एरिया में हो रहे अवैध खनन पर प्रमुखता से खबरें प्रकाशित कर रहा है। इसी के चलते खनन माफिया को अवैध खनन का

मीका नहीं मिल पा रहा। शनिवार को भी ताजेवाला व भट्टवाला में अवैध खनन की सूचना यमुनापोस्ट द्वारा पहले से अधिकारियों को दे दिए जाने के बाद रात भर खनन माफिया अवैध खनन नहीं कर पाया।

एसडीएम विलासपुर जसपाल सिंह गिल ने यमुना गिलते ही खनन अधिकारी, पंचायत अधिकारियों, पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा व किसी भी प्रकार का खनन होने पर तुरंत कार्रवाई करने को आदेश दिए। विलासपुर के बीडीपीओ जोगेश कुमार ने अपने स्टाफ के साथ रणजीतपुर एरिया के भट्टवाला का दौरा किया उन्होंने ग्राम सचिव व खनन निरीक्षक की ड्यूटी लगाई ताकि यहां पर पंचायती जमीन पर अवैध खनन न हो सके।

उधर ताजेवाला में तीन चार दिन अवैध खनन बंद होने के बाद शुक्रवार रात को अवैध खनन हुआ, मगर शनिवार को अधिकारियों की सख्ती की वजह से व माइनिंग गार्ड्स के मीके पर चले जाने के बाद अवैध खनन नहीं हो पाया। सूत्र बताते हैं कि रात को लगभग 10 बजे के बाद जैसे ही अवैध

खनन शुरू हुआ इसकी सूचना माइनिंग गार्ड्स को दी गई, उस समय पूरा स्टाफ बेलगढ़ में मौजूद था, मगर वहां से जैसे ही उनकी टीम ताजेवाला पहुंची तो खनन माफिया को तबत लौटना पड़ा। सुबह तीन-चार बजे के करीब टीम जैसे ही वापस लौटी उसके बाद फिर से खनन का प्रयास किया गया।

वही एसडीएम जसपाल सिंह गिल ने बताया कि जैसे ही कहीं पर अवैध खनन की शिकायत मिलती है वह तुरंत सभी विभागों को सचेत कर देते हैं, इसकी वजह से खनन माफिया पर काफी लगाम लग गई है। अन्य विभाग भी उनको इस मामले में काफ़ी सहयोग दे रहे हैं, इस तरह खनन माफिया को सट नहीं दी जा सकती। उन्होंने खनन अधिकारी को भी सुनिश्चित किया है कि वह विशेष तौर पर ध्यान रखें।

वहीं इस दौरान खनन अधिकारी गुरजीत सिंह का तबादला कर दिया गया है, उनकी जगह अब सचिव भीमान को नए खनन अधिकारी का नार्ज दिया गया है।



Jishan Khan and 3 others

1 Comment • 1 Share



Like



Comment



Share

People You May Know



कोलीवाला में पंचायती जमीन पर अवैध खनन, बीडीपीओ ने खनन अधिकारी को चोरी से निकाली गई खनन सामग्री के मूल्यांकन के लिए लिखा पत्र

दुष्यंत भावड़ा

प्रतापनगर, खमनानगर/खमनापोस्ट न्यून नेटवर्क)

कोलीवाला में पंचायती जमीन में हुए अवैध खनन को लेकर बीडीपीओ प्रतापनगर ने खनन अधिकारी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पंचायती जमीन पर हुए अवैध खनन पर कार्रवाई करने के साथ चोरी हुई खनन सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए लिखा है, ताकि खनन चोरों पर इसकी रिकवरी डाल कर नुकसान की भरपाई की जा सके। बताया जाता है कि अगर केवल भूकला की पंचायती जमीन में हुए अवैध खनन का मूल्यांकन किया जाए तो करोड़ों रुपयों की खनन चोरी की रिकवरी वनीगी।

पंचायती जमीन पर पिछले कई वर्ष से लगातार खनन चल रहा है। खंड कार्यालय द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की जाती रही है। जिसमें कई लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मगर इस सबके बावजूद अवैध खनन लगातार होता रहा है। पंचायती जमीन को 60 से 70 फीट तक खोद डाला गया है इस पंचायती जमीन पर लगे सीकड़ों खैर के पेड़ भी उखाड़ डाले गए।

मगर इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद किसी भी

पंचायत ने जमीन की न तो निशानदेही करवाई, न ही तार-बाड़ करवाई। बताया जाता है कि पिछले लगभग आठ दस वर्ष में ही अवैध खनन सबसे अधिक हुआ है। पंचायत की जमीन के साथ ही वन विभाग का जंगल भी है। खनन चोर खनन सामग्री की चोरी करते हुए जंगल की ओर बढ़ गए हैं।

पुनितार खनन विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता।

पंचायती जमीन पर हुए अवैध खनन के मामले में जिलती भी एफआईआर करवाई गई है उसमें शायद ही किसी पर कोई ठोस कार्रवाई की गई हो। खनन विभाग द्वारा कभी किसी मामले को गंभीरता से फालो नहीं किया, पंचायत विभाग ने खनन विभाग को लिख दिया, इसके बाद खनन विभाग ने पुलिस को। एफआईआर दर्ज हो गई, बस मामला खत्म।

मगर इस बार बीडीपीओ जोगेश कुमार ने जिला खनन अधिकारी को पंचायती जमीन से चोरी हुई खनन सामग्री का मूल्यांकन करने को कहा है, ताकि चोरों से रिकवरी वसूली जा सके। वैसे तो खनन विभाग से उमीद करना ही मुश्किल है, क्योंकि इससे पूर्व किसी भी पंचायती जमीन की चोरी हुई खनन सामग्री का मूल्यांकन नहीं किया गया, न ही पंचायत विभाग को सूचित किया गया।

YAMUNAPOST

वेतीफ खबर, वेतीफ अंदाज

रेवेन्यू विभाग से रिकार्ड मांगा तो खनन विभाग से घोरी हुए माल के मूल्यांकन के लिए लिखा पत्र ताजेवाला में पंचायती जमीन पर अवैध खनन के मामले में खनन माफिया से रिकवरी की तैयारी

द्वारा छात्र

प्रधानी, प्रवाहनपर(व्यवसायिक न्यूज नेटवर्क)

ताजेवाला में पंचायती जमीन से अवैध खनन के मामले में बीडीपीओ ने खनन अधिकारी को पत्र लिखकर पंचायती जमीन से हुई माइनिंग का प्ल्यांकन करने को कहा है। ताकि पंचायती जमीन से खिटाता माल घोरी हुआ है उस मामले में अवैध खनन करने वालों से रिकवरी की जा सके। इसके साथ ही नापव तहसीलदार प्रतापनगर को भी उक्त सप्तल नंबरों की कुल जमीन बताने को कहा है। बीडीपीओ ने पत्र की कपी डीपी, एसडीएम खिलारापुर डीडीपीओ यमुनानगर को भी भेजी है।

पंचायत विभाग ने ताजेवाला में हुई माइनिंग मामले में सख्त टाला अपना लिया है। इस मामले में अब तक पंचायत के ससरा नंबर 63 / 2, 155 / 1/2 में खिटाता भी अवैध खनन हुआ है, यानी खिटाते माल की घोरी हुई है उसकी रिकवरी की जाएगी। इसके मद्देनजर बीडीपीओ छछरौली जोगेश कुमार ने खनन अधिकारी को लिखे पत्र में कहा है कि पंचायती भूमि में अवैध खनन के मामले में आपके कार्यालय को एफआईआर के लिए लिखा गया है। इसलिए आपसे अनुरोध किया जाता है कि उक्त ससरा नंबरों में किए गए अवैध खनन का मूल्यांकन करवा कर यह बताएं कि गाम पंचायत को उक्त अवैध खनन से खिटाती हानी हुई है। ताकि गाम पंचायत हुई हानी की रिकवरी अवैध खनन करने वालों से वसूल सके। एक अनुमान के मुताबिक एक एकड़ में से ही 60 लाख से अधिक

का अगर खनन हुआ हो तो सीमा करेजों में देरती है। इस पत्र के बाद अवैध खनन करने वालों को जरूर सबक मिलेगा, क्योंकि अभी तक यही होता था कि जिस भी जमीन पर अवैध खनन हुआ है उसमें कारवाई के लिए पुलिस को एफआईआर के लिए लिखा जाती थी, जिसके बाद मालता दब जाता था। मगर पंचायत को हुए करेजों के नुकसान की बसुली नहीं की जाती थी। अब अगर पंचायत विभाग वसुली करने लगा तो घोरी किए हुए माल की रकम खनन माफिया को वापस करनी पड़ेगी, नहीं तो राजस्व विभाग को उसकी संपत्ति की कुर्की के लिए लिखा जा सकता है। ऐसे में शायद पंचायती जमीनों पर अवैध खनन पर कुछ लगाने लगे।

अवैध खनन करने वालों की रिकवरी नोटिस भेजा जाए

इस बारे में जब बीडीपीओ जोगेश कुमार से बात की गई तो उनका कहना था कि इस मामले में खनन विभाग को लिखा गया है इसके साथ ही रेवेन्यू विभाग से भी उक्त ससरा नंबर की सही लोकेशन व कुल खिटाता रकमा उसमें पड़ता है उसके बारे में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि खनन माफिया अब पंचायती जमीनों को खाँद कर भाग नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जैसे ही खनन विभाग रिपोर्ट देगा। इसके बाद खनन करने वालों को रिकवरी के नोटिस भेजा जाएगा।

भद्रस्थाना की 107 एकड़ पंचायती जमीन पर खनन माफिया की नजर, कई एकड़ जमीन पर हो चुका है अवैध खनन

कांता की खनन सामग्री हड़ती, भाजपा नेता का कहना कि कारवाई न करे जाने अधिकारियां न हो सिकरी

दुबई शहर का विमानस्थल (दुबई अंतराष्ट्रीय विमानस्थल)।

विमानस्थल शहर से पास बद्रस्थान की पंचायती जमीन खनन माफिया के विमानों पर है। वंचितता की 107 एकड़ जमीन पर लोगों ने अवैध खनन कर रहे हैं इससे बाद यह इस जमीन को खनन माफिया से जाली कराते लेकर खुदका रहे हैं। अगर पंचायत विभाग न तो जमीन की विमानदेही कराता उसे खुदकापों का प्रयास कर रहा है न ही अवैध खनन को रोकने का। पंचायत नगर कीर्तिपुर में खनन के दो अवैधकारी एक दूसरे को पर निरंतर दृष्टि कर रहे हैं। वहीं खनन विभाग को तो यही कोई विमानदेही है ही नहीं। इस बारे में पंचायत नेता कीर्तिपुर में खनन से हुए गुप्तचारा की विमानदेही अधिकारियों पर खनन की चर्चा की है।

करीब 100 गुप्तचारा पंचायत को ही हुआ है। अगर इस खनन में पंचायत विभाग का रक्षक होता—जाला है, विभाग के अधिकारियों कापुके के बापुके जनों पर खनन विभाग को पर निरंतर गुप्त कर रहे हैं पंचायत नगर खनन विभाग जग पर कार्रवाई करने के लयास चुकतीं यह कर रहे पंचायत है। इनके में अवैध खनन का काम पंचायत यकीन

जमीन की पंचायत नगर पर उनके अधिकार को विमानों का अवैध रूप खनन है उन्हें माफिया कोई भी हो, माफिया विभाग खुदकी स खनन जग में न जाने वाली अवैध पर खुदका नहीं को का सकता। कहीं वंचितता विभाग की न ही अवैध की विमानदेही कराता रहा है न ही उनको कार्रवाई कराता कर अपने कदों में लेने का प्रयास कर रहा है।

मैंने बताया है दास में यकीन करतीं परकर 01



खनन के लिए गुप्तचारा की विमानदेही अधिकारियों से ही खनन की जाती है।

पंचायत विभाग के भद्रस्थान की पंचायत पर खनन माफिया की खनन करने हुई है। विमान विभाग एक बंद में यकीन पर खनन करके खनन हो रहा है। बीच में गुप्तचारा पंचायत की कार्यवाही के बाद खनन में कुछ बची बाईं की, अगर अवैध विमानों गुप्तचारा से यकीन से विमान-नगरों के बाद अवैध खनन कर रहा है। पंचायत नगर के विमानों से ही अवैध खनन गुप्त हो जाता है। अगर पर कुछ-कुछ गुप्तचारा से अवैध खनन विमान करा है। इनको बाद गुप्तचारा पर हर जगह अवैध खनन हो रहा है। गुप्तचारा का खनन है कि पंचायत नगर से करा एकड़ के खनन जमीन को अवैध रूप से खनन कर गुप्त है। यकीन पर एकड़ से अगर 500 एकड़ के खनन कराती की यकीन का अवैधता पंचायत नगर ही पंचायत के

विमानों विमानों की खनन विमानों के खनन पर विमानों के बाद विमानों में गुप्तचारा पंचायत पर एकड़के बाद खनन करवाते की, अगर यह खनन एक अवैधकारियों विमानों कराती है। यकीन पंचायत में पंचायत से कार्रवाई को बाद ही खनन विभाग गुप्तचारा कर सकता है, वह यकीन पद

मैंने इस बारे में पंचायत नेता न गुप्तचारा अवैध खनन पर खनन है कि खनन का प्रयास कराती है, अगर अगर अधिकारियों कार्रवाई से यकीन है तो यकीन हुई खनन पंचायत की विमानों पर अधिकारियों पर कराती यकीन माफिया को कराती से कार्रवाई नहीं कराता कराती। खननों पंचायत कि इस तरह से अगर पंचायती यकीन कराती कराती रही तो विभाग खनन का करवाता करा माफिया ख खनन। उनको खनन है कि यह दृष्टि करती की यकीन की नीचे में खनन के खनन करवाती कराती का नकराया नहीं अवैध पंचायत से ही यह विमानों पर पंचायत नगर खनन कराते

अपना यह पंचायत यह खनन के खनन (खनन)। इस खनन के बारे में पर यकीनकीं खननका नकराया से गुप्तचारा ही पंचायत कराता का कि उनको यकीनकीं को यकीन करने व कार्रवाई करने को कराती है।

ताजेवाला पंचायती जमीन में अवैध खनन

YAMUNAPOST

देलीक खबर, देलीक अंदाज

ताजेवाला पंचायती जमीन में फिर हुआ अवैध खनन, डीसी के आदेशों पर बीडीपीओ, एसएचओ, आरएफओ, एसडीओ की टीम ने दौरा कर की पुष्टि

★ खनन विभाग को चौकी स्थापित करने को कहा, मूल्यांकन के साथ खनन करने वाले पर कार्रवाई करने को लिखा पत्र ★

दुर्गात छावड़ा

प्रतापनगर, यमुनानगर (यमुनापोस्ट न्यूज नेटवर्क)

बीडीपीओ प्रतापनगर ने खनन अधिकारी को ताजेवाला के रांगडान बांस में पंचायती जमीन में हुए अवैध खनन को लेकर एक व्यक्ति पर कार्रवाई करने व पंचायती भूमि में हुए अवैध खनन का का

मूल्यांकन करने को कहा है। इसके साथ ही इस एरिया में विभाग की एक चौकी स्थापित करने को कहा है, ताकि भविष्य में अवैध खनन पर अंकुश लगाया जा सके।

जिला खनन अधिकारी को लिखे पत्र क्रमांक 89 दिनांक 22 जनवरी 2022 में कहा गया है कि बीडीपीओ की जानकारी में आया कि ताजेवाला के रांगडान बांस की पंचायती भूमि के खसरा नंबर पर

अवैध खनन किया जा रहा है। इस बारे में डीसी द्वारा गठित कमेटी में वन राजिक अधिकारी कलेसर रंज, एसडीओ सिंघाई विभाग, थाना प्रबंधक प्रतापनगर व बीडीपीओ प्रतापनगर द्वारा 21 जनवरी 2022 को मौका किया गया, जिसमें पाया गया कि गांव के ही इमरान ने अपनी निजी भूमि

पर खनन कर लगभग 40 से 50 फुट गहरे गडहड़े खोद दिए हैं। उसके साथ ही पंचायती भूमि पड़ती है जिस पर भी मौका पाकर अवैध खनन किया जाता है। उक्त व्यक्ति पर पहले भी कार्रवाई के लिए खनन विभाग को लिखा गया है, तथा थाना प्रतापनगर में पहले भी उक्त व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया जाता है

कि उक्त भूमि आबादी के नजदीक पड़ती है व अवैध खनन होने से गांव की आबादी के लिए भी खतरा बढ़ता जा रहा है। इसलिए खनन अधिकारी उक्त व्यक्ति पर अपनी निजी जमीन पर नियमों से अधिक खुदाई करने पर कार्रवाई करें तथा पंचायती जमीन को हुए आर्थिक नुकसान की प्राकलन रिपोर्ट से बीडीपीओ कार्यालय को अवगत

कराएं। ताकि पंचायत को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई को लेकर आगामी कार्रवाई की जा सके, इसके साथ ही उक्त जगह के नजदीक विभाग की स्थाई चौकी लगाई जाए ताकि भविष्य में होने वाले नुकसान से बचा जा सके।



दी में यादे बाढ़ आई तो कटाव को संभावना से इंकार नहीं किया
कता।

agran

ublish:Thu, 20 Jan 2022 05:42 PM (IST)

pdated:Thu, 20 Jan 2022 05:42 PM (IST)





सैकड़ों करोड़ का कच्चा माल रत-बजरी चोरी हो चुका है ताजेवाला व लाकड़ एरिया से, खनन ब्लाक बनाते तो खजाना पैसों से भर जाता

सरकारी खजाने को कई सौ करोड़ का लग चुका है चूना, दिन-रात चलता है दोनों जगह अवैध खनन



दुर्गेश साहसू

सामवेतार, लखनऊ चणुसागर (चणुसागर) न्यून गैलरी

सामवेतार में अवैध खनन निरत जारी है। विभाग की जांचकर्ताओं ने बताया उनके क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ रुपये की चूना है, दुर्गेश साहसू का कहना है कि लखनऊ एरिया में भी लखनऊ में अवैध खनन शुरू हो गया है। सामवेतार में लखनऊ एरिया में दुर्गेश साहसू का कहना है कि खनन करके पता पर खनन ब्लाक की नीलामी करवा दी गई है। अवैध खनन करके सामवेतार एरिया में खनन करके पता पर खनन ब्लाक की नीलामी करवा दी गई है।

चणुसागर लखनऊ में अवैध खनन करके पता पर खनन ब्लाक की नीलामी करवा दी गई है।

लखनऊ में भी दिन-रात चूना चोरी हो रही है। चूना चोरी करके पता पर खनन ब्लाक की नीलामी करवा दी गई है।

यहां में चूना चोरी का अवैध कारोबार हो रहा है। चूना चोरी करके पता पर खनन ब्लाक की नीलामी करवा दी गई है।

दुर्गेश साहसू का कहना है
 चूना चोरी करके पता पर खनन ब्लाक की नीलामी करवा दी गई है।

दुर्गेश साहसू का कहना है कि लखनऊ एरिया में चूना चोरी करके पता पर खनन ब्लाक की नीलामी करवा दी गई है।

दोनों जगह अवैध खनन जारी है।

लखनऊ एरिया में अवैध खनन
 लखनऊ एरिया में अवैध खनन करके पता पर खनन ब्लाक की नीलामी करवा दी गई है।

लखनऊ एरिया में अवैध खनन करके पता पर खनन ब्लाक की नीलामी करवा दी गई है।

चणुसागर लखनऊ में अवैध खनन
 चणुसागर लखनऊ में अवैध खनन करके पता पर खनन ब्लाक की नीलामी करवा दी गई है।

3

2 Shares


Like

Comment

Share

कोलीवाला व उसके आस-पास एरिया में धड़ल्ले से चलता है अवैध खनन

-11 बजे तक चलता है अवैध खनन का घंटा, तब तक विभाग का स्टाफ उस एरिया में नहीं फटकता



छापीली (यमुनाशील न्यू नेटवर्क)

कोलीवाला व उसके आस-पास के एरिया में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। स्टोन क्रशर व स्क्रीनिंग प्लांट संचालक अपने आस-पास की खाली पड़ी जमीनों को खोद रहे हैं। खनन विभाग तो कार्रवाई करता ही नहीं है, अब स्पेशल एनफोर्समेंट टीम भी उसी राह पर चल पड़ी है, मौके पर नहीं पहुंचना या लेट पहुंचना। यह सब कार्रवाई न करने की नीयत को दर्शाता है।

कोलीवाला में एक बड़ा एरिया 50 से 80 फीट या उससे अधिक खोद दिया गया है। इसमें मंचायती जमीन, प्राइवेट लैंड सब शामिल है। मगर कभी कभार कार्रवाई के नाम पर एफजाइआर करवा कर इतिश्री कर ली जाती है। मगर काम

फील्डिंग लगाने का यानी गाड़ियों की भूवर्गेट व लोकेशन शेयर की जाती है। अब सवाल यह है कि अगर इस तरह के क्लॉटसाएण्य ग्रुप बने हुए हैं तो उसमें अधिकतर खनन करने वाले लोगों के ही नंबर होंगे, क्यों अपने खुफिया सूत्रों से पता लगाकर इन ग्रुपों पर कार्रवाई नहीं होती है।

वैसे भी खनन चोर अगर मौके से भाग जाते हैं तो वह छोदी गई जमीन तो अपने साथ उठा कर नहीं ले जाते। जमीन के रेवेन्यू रिकार्ड से पता चल जाता है कि किसकी जमीन है वह उसने किसको खोदने के लिए दी है। मगर बात फिर वहीं नीयत पर आ जाती है।

समस्या केवल अवैध खनन की नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि जो व्यापारी नंबर एक में काम कर रहा है, उसे बाजार में टिकना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग बीते एक दशक

सूचना

उका अमर उजाला न मिलने पर
लेखित नम्बरों पर सम्पर्क करें:

19610115

उजाला में समाचार एवं विज्ञापित देने हेतु
पते पर सम्पर्क करें

अमर उजाला कार्यालय

45, शिवाजी पार्क, कियर मेला सिंह चौक
यमुनानगर-135001

पहुँचाया गया। जमाना फिर चल रहा है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

उसका निवासी गुलाम दीन ने बताया कि वे दो भाई हैं। दोनों ही अलग-अलग रहते हैं। उसके पास दो लड़के और पांच लड़कियाँ हैं, जबकि उसके बड़े भाई सलामुदीन के पास तीन लड़के व दो लड़कियाँ हैं। उसका उसके बड़े भाई के साथ भूमि विवाद चल रहा है। चार सितंबर को सुबह करीब 11.30 बजे वह अपने लड़के अकरम के साथ घर पर बैठा हुआ था। तभी उसके बड़े भाई सलामुदीन के तीनों लड़के अलीजान, नायत अली व रमजान उनके घर पर आए। अलीजान ने अवाज लगाकर उनसे कहा कि बाहर निकल हम देखते हैं कि तुं हमारी आबादी की जमीन में से कैसे जगह लेता है। अलीजान की आवाज सुनते

सिर में मारी लेकिन मैंने अपना बाया हाथ ऊपर कर लिया, इससे कुल्हाड़ी उसके बाए हाथ की कोहनी पर लगी। इसके बाद नायत अली व रमजान ने उस पर कस्सी के बिंडे व रॉड से हमला कर उसे घायल कर दिया। जब उसका बेटा अकरम बीच बचाव करने आया तो आरोपी अलीजान ने कुल्हाड़ी का बिंडा उसे मारा। इसके बाद तीनों आरोपियों ने उसके बेटे अकरम पर भी लोहे की रॉड व डंडों से हमला कर घायल कर दिया। उनके शोर मचाने पर उनके पड़ोस के जन्नत, उमरदीन और श्रवण मीके पर आ गए। उन्हें देखकर तीन आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देकर मीके से फरार हो गए। लोगों ने उन्हें घायल अवस्था में कार में बिठाकर सीएचसी सादौरा में पहुँचाया। पुलिस ने आरोपी अलीजान, नायत अली व रमजान के खिलाफ मारपीट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।

अवैध खनन रोकने को लेकर गुमथला अनाज मंडी में महापंचायत आज

रादौर। यमुनानदी में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए बुधवार को सुबह नौ बजे गुमथला अनाजमंडी प्रभावित गांव के हजारों लोगों की महापंचायत को कामयाब बनाने के लिए मंगलवार को ग्रामीणों ने हुंकार मरी। ग्रामीण महापंचायत को लेकर लगातार तीसरे दिन बाढ़ प्रभावित गांव के लोगों के बीच पहुंचे और उन्हें दलबल के साथ गुमथला महापंचायत में पहुंचने के न्यौते दिए। मंगलवार को समाजसेवी एडवोकेट वरयाम सिंह व पूर्व जिला परिषद सदस्य शिव कुमार संधाला के नेतृत्व में ग्रामीण गांव कण्डरीली, खुखनी, चौगावा, पीबारी, हंसु का माजरा, संधाला आदि गांव में पहुंचे। सभी से हाथ जोड़कर महापंचायत में पहुंचने की अपील की गई। वहीं ग्रामीण यमुनानदी पार गांव पीबारी व डेरों में भी पहुंचे। उधर महापंचायत को लेकर कमेटी की ओर से सभी बाढ़ प्रभावित गांवों में मुनादी करवाकर महापंचायत में सभी से पहुंचने की अपील की गई। इस अवसर पर एडवोकेट वरयाम सिंह व शिवकुमार संधाला ने बताया कि महापंचायत में क्षेत्र के लोग कड़े फैसले लेंगे। किसी भी सुरत में अवैध खनन बंद नहीं किया जाएगा। अवैध खनन के कारण यमुना में बाढ़ आने पर किसान अपनी सैकड़ों एकड़ भूमि व फसलों से हाथ धो चुके हैं। जिसके लिए नहरी व खनन विभाग पूरी तरह से जिम्मेवार है। यदि खनन विभाग ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई करता तो आज ग्रामीणों को अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष न करना पड़ता।

लापरवाही

दो दिन से वायरल हैं कोलीवाला में पंचायती जमीन पर अवैध माइनिंग की वीडियो
खनन अधिकारी कहते हैं मुझे 5 बजे के बाद न करें कॉल

अमर उजाला व्यरो

खिजराबाद। कोलीवाला पंचायती जमीन में शिकायत के बावजूद अवैध खनन जारी है। खनन विभाग ने एक ट्रॉली पकड़कर थाने में छोड़ कर खानापूर्ति कर ली। वहीं पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। लिहाजा मंगलवार को भी जेसीबी मशीन द्वारा डंपर व ट्रैक्टर ट्रालियों से खनन का काम जारी रहा।

सोशल मीडिया पर कोलीवाला की पंचायती जमीन में अवैध खनन की वीडियो पूरा दिन वायरल होती रही। सोशल मीडिया पर ही इस पर लोगों के कमेंट आते रहे। किसी ने कहा कि पंचायती हो या सरकारी ये खनन करने वाले तो ऐसे ही खनन करेंगे। किसी ने कहा कि जब तक ये सरकार है तब तक क्षेत्र में से अवैध खनन नहीं रुकेगा। लोगों का तो यहां तक कहना है कि जिला खनन कार्यालय पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। कुछ अधिकारी खनन माफिया से भी मिले हुए हैं और वहां से मोटी कमाई कर रहे हैं। वहीं, जिला खनन अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया और यह कहकर फोन डिसकनेक्ट कर दिया कि सुबह



पंचायती जमीन पर हो रहा अवैध खनन।

नौ से पांच बजे तक मेरी ड्यूटी है, इसके बाद मुझे कॉल न करें। सरपंच कर दिया था सस्पेंड: पंचायती जमीन में पहले भी अवैध खनन होता रहा है। ग्रामीणों के बार बार शिकायत करने के बाद पंचायत विभाग की ओर से तत्कालीन खंड विकास अधिकारी जोगेश कुमार ने सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था और इस पर कार्यवाही होते ही सरपंच को डीसी ने सस्पेंड के आदेश

दहेज की मांग पर पांच महिलाओं सहित आठ लोगों के खिलाफ केस दर्ज

रादौर। गांव मसाना रांगडान की एक महिला को उसके ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की गई। प्रभावित महिला की शिकायत पर रादौर पुलिस ने ससुराल पक्ष की पांच महिलाओं सहित आठ लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। गांव मसाना रांगडान निवासी नीलम ने बताया कि 20 मार्च, 2017 को उसकी शादी गढी मुस्तफाबाद निवासी राकेश कुमार के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। लेकिन शादी के बाद उसके पति राकेश, सास रोशनी देवी, ससुर सोमनाथ, मीनाक्षी, कोमल, राज कुमार, अमरजीत कोर निवासी गढी मुस्तफाबाद व संतेश निवासी रायपुर कामी माजरा ने दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी।



शाम को सात बजे क्या टाइम है बात करने का। मुझे नौ से पांच बजे तक ही फोन किया करें। ऊपर से खनन विभाग के अधिकारियों ने बात करने की समय सीमा तय कर दी।

-गुरजीत सिंह, जिला खनन अधिकारी

दे दिए थे। सरकार के दबाव के कारण कुछ दिन बाद वही सरपंच दोबारा से बहाल कर दिया गया।

माफिया कर रहे मोटी कमाई, हिस्सा सभी को: कोलीवाला में पंचायती जमीन में से खनन सामग्री भरके स्क्रीन प्लाट संचालक मोटी कमाई कर रहे हैं। क्योंकि पंचायती जमीन में से फ्री की खनन सामग्री लेकर स्क्रीन संचालक इसका फायदा उठा रहे हैं।

खनन विभाग और पंचायत विभाग इस ओर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर खनन विभाग के अधिकारी भी सक्रिय नहीं हैं और खनन विभाग के अधिकारी नौ से पांच बजे तक की अपनी ड्यूटी बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि माइनिंग व पंचायत विभाग के अधिकारियों तक हिस्सा पहुंच रहा है।

सादीरा से नरेश सिद्धल आदि मौजूद रहे।
रणजातपुर स माहनलाल गुप्ता, खारवन स
आनल
कुमार, एच नरबाद स

पंचायती जमीन में अवैध खनन कराने पर कोलीवाला के सरपंच को किया सस्पेंड

डीसी ने डीडीपीओ और बीडीओ खिजराबाद की रिपोर्ट के आधार पर की कार्रवाई

अमर उजाला ब्यूरो

खिजराबाद।

कोलीवाला की पंचायती जमीन में हो रहे अवैध खनन और उसकी शिकायतों को लेकर डीसी ने सरपंच मोहनलाल को सस्पेंड कर दिया है। डीसी ने यह कार्रवाई डीडीपीओ गगनदीप सिंह और बीडीपीओ खिजराबाद के कोलीवाला में हुए खनन के दौर के बाद मिली रिपोर्ट के आधार पर की।

जानकारी के अनुसार कोलीवाला की पंचायती जमीन में अवैध खनन के काम को अंजाम दिया जा रहा था। इस बारे में अमर उजाला में खबर भी प्रकाशित की गई थी। इसके बाद अधिकारियों ने कोलीवाला पंचायती जमीन में हो रहे अवैध को लेकर दौरा किया, जहां अधिकारियों ने पंचायती जमीन में अवैध खनन हुआ पाया। इस बारे में डीडीपीओ गगनदीप सिंह की ओर से खिजराबाद थाने में 29 अगस्त को

2017

घोटाघड़ी के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

जीरकपुर। पुलिस ने पंचकूला के एक युजुर्ग की शिकायत पर 2 लोगों खिलाफ उसके लाठी रुपये की ठगों करने का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता वीर विक्रम सिंह निवसो रोड-26 पंचकूला ने बताया कि उसके जानकार जसविंदर सिंह ऊर्फ भोला ने कहा कि टकोरी के बराह कार्पेस में महिला ने दूर एड ट्रेल्स का दफार खाता है। वह पैसे बिना करके अर्ध गुनाफा कमाया जा सकता है। शिकायतकर्ता के अनुसार, जसविंदर की बातों में आकर महिला की कंपनी में 7 लाख 12 हजार रुपये नियेश किए। जिसकी एज में महिला ने 13 फीसदी ध्याज देने का कदम किया था। आरोप है कि तब शर्ता के कुछ समय बाद महिला ने न तो ब्याज देना शुरू किया और न ही उसकी रकम वापस की। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। जांच के बाद पुलिस ने जसविंदर और महिला के खिलाफ झूठा दर्ज कर लिया है।

शिकायत दी गई। अधिकारियों ने कोलीवाला के सरपंच और भूतपूर्व सरपंच सुभाष और मौजूदा सरपंच मोहनलाल दोनों के खिलाफ शिकायत देकर पंचायती जमीन में अवैध खनन करने का मामला दर्ज कराया था। इस पर कार्रवाई करते हुए डीसी ने 12 सितंबर को कोलीवाला के सरपंच मोहनलाल को तुरंत प्रभाव से निर्लंबित कर दिया। इस बारे में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी जोगेश

कुमार शर्मा ने बताया कि कोलीवाला गांव की पंचायती जमीन में पिछले कई दिनों से शिकयतें मिल रही थीं। इसके बारे में अधिकारियों को अवगत कराया गया और पंचायती जमीन में दौरा किया गया, जहां पंचायती जमीन में अवैध खनन हुआ पाया गया। इसकी शिकायत खिजराबाद थाने में की गई, जहां पूर्व सरपंच और मौजूदा सरपंच दोनों पर पंचायती जमीन में अवैध खनन करने का मामला दर्ज किया गया।

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including names like 'मौजूद रहे' and 'अमर उजाला'.

27

अमर उजाला

यमुनानगर



उस सेवा बंद,
गुस्साएं
उत्र-छात्राओं
ने लगाया ज्ञान

04

रनिवार • 15.09.2018

सुप्रभात

भादपद शुक्लपक्षा, पक्षी, विक्रम संवत् 2075

सम्पूर्णकर्म परिष्कारकर्ता विवेकियोगोत्तमोऽनन्तमपु।
देहो व सपदे कृतो य सति कृतो भवति कामाक्ष्य उपोसः।।
अच्छी तरह पूजा करने वाले, सभी का फलन करने वाले, विवेकी को जीत देने वाले तथा
कल्याण करने वाले देह में, सपदे में, कृत में, पूजा में तथा सत्य में भाग्यशाली योगी स्थापित करे।



33.0°
अधिकतम
तापमान

22.0°
अधिकतम
न्यूनतम
तापमान

रनिवार का पूर्वानुमान
बदलती भी धूपकी, बरखाकी भी संभावना।
सोना है लीं के साथ छायाका संग।

पेट्रोल-डीजल के भाव

पेट्रोल ₹ 81.74 लीटर
डीजल ₹ 75.84 लीटर

आइस क्रीम का प्रतिशत अंतर

360 ग्राम का आइस क्रीम 356 ग्राम का आइस क्रीम

अंबाला ए यमुनानगर

भूपरिह भारती

ओजी विदेशी भाषा सुनकरों तस या आवरे। गणित के युग-भाग से, सिर मेरा बकराय। इतिहास सदा हमसे रहे मुझे उलझावसे। विद्यान निज प्रयोगों से, मेरे भोज को खावें।

खनन माफिया, ट्रांसपोर्टर और ठेकेदार कूट रहे चांदी

नहीं लग पा रहा अवैध खनन पर अंकुश, खनन में करोड़ों के खेल का पर्दाफाश, राजनीतिक लोगों के संरक्षण में खूब फल-फूल रहा धंधा

फटकार पड़ी तो को जांच दरअसल अमर उजाला ने संपादकीय के बारे में अधिकारियों की चेतावनी या, लेकिन खनन अधिकारियों को और सो पांच बने के बाद काल नहीं करने की बात बारी गई। इसे प्रकटित किया गया।

बहूत बाद चंडीगढ़ तक पहुंचे और अमर उजाला के संपादकीयों ने राजनीतिक अधिकारियों को फटकारा कि राजनीतिक लोग अमर उजाला के संपादकीयों को फटकारें और राजनीतिक लोगों के संरक्षण में खूब फल-फूल रहा धंधा।



मिर्जान कुमार राणा

यमुनानगर। किले में अवैध रूप से किए जा रहे खनन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। फर्जी फर्म के किले पर किलेवाले या ठेकेदारों ट्रकों ने इस पर फिर मुहर लगा दी है।

अवैध माफिया से माफिया ही नहीं कपार संचालक, ट्रांसपोर्टर और ठेकेदार भी काले कूट रहे हैं। अमर उजाला के साथ ऐसे सचुल लगे हैं। इनकी जांच करवाई जाए तो यमुनानगर में माफिया में लाखों नदी बालिक करोड़ों रुपये का पोस्टला सामने आ सकता है। इतना ही नहीं बहूत पूरा गोरखधंधा राजनीतिक लोगों के संरक्षण में चल रहा है। कलेसर से लेकर तालेवाला और गुमबला तक फर्जी किलों के साथ फर्जी संपत्ति पंजीयों का खेल खेला जा रहा है। माफिया विभाग की परखली की पंजीयों की जांच कभी नहीं की जाती।

जहां रिक, बहा भी खनन: एनबीटी की हिदायतों के अनुसार कलेसर नेत्रवल पार्क व हरिवीरकुंड बैलाक के आसपास खनन नहीं किया जा सकता। इसके लिए बकायदा गैर-इलाखन जारी है, लेकिन तालेवाला परिवार में पूर्ण व हरियाणा दो राज्यों के बीच यमुना नदी इस घुट की खुली गडबड बनी हुई है। बहा पर न केवल खनन अवैध हो रहा है बल्कि संपत्ति के नाम पर घुट पकड़ लिये फर्जी पंजीयों काट कर बसुली भी हो रही है।

इसके लिए बकायदा आरक्षितभूला में संपत्ति के नाम पर नका भी लपका गया है। इन घुट पास पंजीयों की किसी भी टुक व टैक्टर-ट्रैक्टर खनन की रिके फुल उनसे देखा जा सकता है, लेकिन खनन, टैक्स व पुष्पिम डिपार्टमेंट को बकायदा भुनक तक नहीं

अन राज्यों के नकल पर भी इनकी संपत्ति होती थी। बहा से किलों को चक करके गाड़ी को अंग जनेदिय जता था, इसकी भी जांच की जाएगी। केजपुर से चकई पर मुग्री और उसका सचकी तो इस गोरखधंधे की कोटी सी कही गयी है। वे तो कमीशन पर फर्जी किले काटते थे और पंजीयों वाली को रूप में कम एक हजार का किले थाप देते थे, इन गोरखधंधे की अंशतो माफिया ने लोटे और ही का रहा था।

फर्जी किले मामले में कल बार फर्जी किले को प्रिफरेंस दिए जा चुका है और दो लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें अमर उजाला के अमर राय व पूरु राजा के नाम शामिल हैं। इस मामले में और भी लोगों के नाम सामने आ सकते हैं।

भूपरिह भारती राणा, विद्यानभारत राणा के जांच अधिकारी

बाकि है। जैसे जैसे मामले उजागर होते चूड़ें बड़े लोगों के नाम भी सामने आ

फर्जी कंपनी के नाम पर जीएसटी और सेल टैक्स नंबर

जिस कंपनी के पास मॉडर्निंग विभाग का एपडोवाल लाइसेंस ही नहीं है। उस फर्म को किले किले जांच के जीएसटी और सेल टैक्स नंबर तक जारी कर दिए गए। इस योजना में खनन विभाग और बकायदा विभाग के अधिकारियों की निष्पत्तियों भी सामने आ सकती है। वहीं फर्जी किले कर, फर्जी अर के साम-जब अलग किलेदारी भी करवाई है। ये शैल में यह फर्जीकिले चल रहा था, लेकिन, किले भी अधिकारी ने अपनी जांच की पंजीयों चक नहीं की।

सामने आया है। इनमें ही मैलरम डीआर मॉडर्निंग फंड अधिगण कंपनी के नाम से फर्जी फर्म बनाई थी।

ये खेल प्रकाश की निष्पत्तियों से चल रहा था, हलगत ये है कि विद्यानभारतों भी सचुल में थे कि भिन्नकर कर ले लें कि ससे।

फर्जी कं.पनी के नाम पर जीएसटी और सेल टैक्स नंबर

जिस कंपनी के पास मॉडर्निंग विभाग का एपडोवाल लाइसेंस ही नहीं है। उस फर्म को किले किले जांच के जीएसटी और सेल टैक्स नंबर तक जारी कर दिए गए। इस योजना में खनन विभाग और बकायदा विभाग के अधिकारियों की निष्पत्तियों भी सामने आ सकती है। वहीं फर्जी किले कर, फर्जी अर के साम-जब अलग किलेदारी भी करवाई है। ये शैल में यह फर्जीकिले चल रहा था, लेकिन, किले भी अधिकारी ने अपनी जांच की पंजीयों चक नहीं की।

सामने आया है। इनमें ही मैलरम डीआर मॉडर्निंग फंड अधिगण कंपनी के नाम से फर्जी फर्म बनाई थी।

ये खेल प्रकाश की निष्पत्तियों से चल रहा था, हलगत ये है कि विद्यानभारतों भी सचुल में थे कि भिन्नकर कर ले लें कि ससे।

फर्जी कं.पनी के नाम पर जीएसटी और सेल टैक्स नंबर

जिस कंपनी के पास मॉडर्निंग विभाग का एपडोवाल लाइसेंस ही नहीं है। उस फर्म को किले किले जांच के जीएसटी और सेल टैक्स नंबर तक जारी कर दिए गए। इस योजना में खनन विभाग और बकायदा विभाग के अधिकारियों की निष्पत्तियों भी सामने आ सकती है। वहीं फर्जी किले कर, फर्जी अर के साम-जब अलग किलेदारी भी करवाई है। ये शैल में यह फर्जीकिले चल रहा था, लेकिन, किले भी अधिकारी ने अपनी जांच की पंजीयों चक नहीं की।

सामने आया है। इनमें ही मैलरम डीआर मॉडर्निंग फंड अधिगण कंपनी के नाम से फर्जी फर्म बनाई थी।

ये खेल प्रकाश की निष्पत्तियों से चल रहा था, हलगत ये है कि विद्यानभारतों भी सचुल में थे कि भिन्नकर कर ले लें कि ससे।

2667 of 2016 M/s Pradhan Stone Crushers Vs. Gurpreet Singh Bagga & Ors vide order dated 18.03.2016). In view of above HPCB do not recommend commencement of mining or running of crushers and screening plants in Saharanpur district of Uttar Pradesh.


- (iv) Both the States will carry out mining in semi-mechanized manner using manpower, tractor, trucks, JCB and excavators for mining and transportation.
- (v) Both the States will activate the District Level Task Forces under District Magistrate constituted for monitoring sand mining and preventing illegal mining.
- (vi) There should be a quarterly meeting between the two district Level Task Forces, alternating at two district head quartet or any other site in two districts decided mutually by the District Magistrates.
- (vii) *or-400712*
The District Magistrates and Superintendent of Police will be jointly responsible for preventing illegal mining at their districts. ✓ *Am 17*
- (viii) The duties on check posts either of police, revenue official or mining department officials be rotated every months. both the District shall be set up with adequate manpower and infrastructure and the staff be rotated every month".
- (ix) The District environment Impact Assessment Authority (DEIAA) based on the recommendations of the District Expert Appraisal Committee (DEAC) constituted vide notification dated 30.01.2016 of the Ministry in the district of the SEIAA and Regional office of the Ministry.
- (x) The model Environmental Clearance conditions suited to the site be prescribed in the Environmental Clearances and, its enforcement be strictly enforced by the DEIAA, SPCB and Regional offices of MoEF CC.
- (xi) The check post as approved by the States in both the District shall be set up with adequate manpower and infrastructure and the staff be rotated every month".

यह अनुमति दिनांक 01.06.2016 से दिनांक 31.08.2016 तक के लिए थी। इसके उपरान्त किया गया खनन एवं परिवहन अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा और लगातार अब तक माननीय एनजीटी द्वारा कोई अनुमति प्राप्त न होने के कारण अवैध खनन कर अवैध परिवहन फर्जी प्रपत्रों के आधार पर किया जा रहा है। माननीय एनजीटी द्वारा दोनों जनपदों यमुनानगर एवं सहारनपुर के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अवैध खनन को रोकने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की थी। जिला यमुनानगर के खनन ठेकेदारों एवं स्टोन क्रेशर स्वामियों द्वारा जिला यमुनानगर एवं उत्तर प्रदेश के भूभाग में बड़े पैमाने पर अवैध खनन लगातार किया जा रहा है।

माननीय एनजीटी द्वारा अवैध खनन की रोकथाम के लिए चौकपोस्ट बनाकर वाहनों की निरन्तर चौकंग कर चौकपोस्ट से गुजरे वाहनों का रिकार्ड मेन्टेन रजिस्टर लगाकर वाहन नम्बर दर्ज

उपान भी विलेज काउंसिल प्रो भी लक्ष्मीबाई पिताही गाँव
की हलीवाला खेपड प्रान्तनगर पिनको यमुना नगर

उपान पिताही जाता है कि आज दिनांक 23-5-2022
की प्रे खेपड कार्यालय डेयरी की प्रे एडिटर आपा है
उपान है कि गुरुकुल पंचायत प्रे ग्रेड की हलीवाला व
भोईवाला की प्रे पंचायत गुरुकुल शाकलात अति हो उपाधी
वीडियो ग्राफी प्रे मोच अउपाड जाये व वीपी गण लीगा
पर उपनिष की रिक्वासी की जाये, व मोच की
एक कापी मुझे भी दी जाये।


Muzaffar Ali Panchayat Officer
Khizrabad Yamuna Nagar

उपा-3 एम
23/5/2022
8930440087
9129205779

427

अधपत्रा COUNTERFO

इसे फाइकर प्रेषक अपने पास
To be detached and
by the Sender.

पोस्टल आर्डर

₹ 10

POSTAL ORDER

किसे अदा करना B.D.P.C.
To whom payable

CHHCHHRALY.

किस डाकघर में
At what Office

क्या इसे क्रॉस किया है Yes
Whether crossed

भेजने की तारीख 25/5/2022
Date sent

57F 84284

प्रारूप-क

(देखिये नियम-3-1)

सेवा में,

राज्य लोक सुचना अधिकारी,
राज्य सहायक लोक सुचना अधिकारी,
(पता सहित कार्यालय का नाम)

श्रीमान बी.डी.पी.ओ.,
छछरौली-प्रताप नगर

1-आवेदक का नाम
2-पता

बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लखी राम
निवासी गांव कोहलीवाला, तहसील
छछरौली, डा. भूडकलां, जिला
यमुनानगर। पिन नं0 135106

3-सुचना(आपेक्षित ब्यौरा)

1. यहकि दिनांक 19.05.2022 को आपके कार्यालय से मुझ प्रार्थी को पत्र क्रमांक
..... जारी हुआ। जोकि इस पत्र के माध्यम से मुझे आपके कार्यालय
मे बुलाया गया और मैं प्रार्थी दिनांक 23.05.2022 को आपके कार्यालय मे
हाजिर हुआ और आपके कार्यालय मे मैंने अपना ब्यान दिया। मुझ प्रार्थी को
अपने ब्यान की सत्यापित कापी उपलब्ध करवाई जाये।

क-सुचना की विषय वस्तु

ख-आपेक्षित सुचना की वर्णन

ग-अवधि जिससे सुचना सम्बंधित है।

घ-क्या सुचना डाकद्वारा या व्यक्तिगत रूप
में आपेक्षित है।

डाकद्वारा

(वास्तविक डाक प्रभार अतिरिक्त फीस में शामिल होंगे)

ड-डाक की दशा में (सामान्य रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट)

दिनांक:- 25/5/2022

स्थान:- 6/5/2022 (By Hand)
Records

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

पोस्टल आर्डर नं0 57एफ 842843 दिनांक 25.05.2022 मु0 10 रुपये का लफ
है।

प्राप्ति

श्रीमान.....जी आपका आवेदन दिनांक

डायरी संख्या.....दिनांक.....द्वारा प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर

428

HMXR-23

TODAY

Forwarded



Khizrabad, Yamuna Nagar : खिजराबाद: पंचायती जमीन पर अवैध खनन करने की सूचना पर बीडीपीओ प्रताप नगर ने कोहलीवाला के नंबरदा...
Khizrabad, Yamuna Nagar : खिजराबाद: पंचायती जमीन पर अवैध खनन करने की
link.public.app

पंचायती जमीन पर अवैध खनन करने की सूचना पर बीडीपीओ प्रताप नगर ने कोहलीवाला के नंबरदार के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत <https://link.public.app/T5Ga>

अपने क्षेत्र खिजराबाद की खबरों के लिए डाउनलोड करें पब्लिक (Public) ऐप
<https://goo.gl/K25sy1>

2:37 pm



FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): YAMUNA NAGAR P.S. (थाना): PRATAP NAGAR Year (वर्ष): 2017
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0139 Date (दिनांक): 30/08/2017
20:30

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	MINES AND MINERALS (REGULATION OF DEVELOPMENT) ACT 1957	21(4)(A)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Wednesday Date from (दिनांक से): 30/08/2017 Date To (दिनांक तक): 30/08/2017
Time Period (समय अवधि): Pahar 1 Time From (समय से): 00:00 hrs Time To (समय तक): 00:00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 30/08/2017 Time (समय): 20:00 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 016 Time (समय): 30/08/2017
20:13 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written



FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

इस समय एक पत्र मिमो न0 SPL-1 बजरिया मेल थाना मे प्राप्त हुई जो इस प्रकार से है । FROM ,Block Dev. Panchayat officer, Khizrabad ,To SHO, Khizrabad,Memo No.spl-1 ,Panchayat Dated - 29-08-2017, Subject :- Regarding illegal mining on the panchayat land of Kohliwala and Belibund,Sub Tehsil Khizrabad ,district Yamunnager . In reference to above subject it is submitted that the regular complaints have been receiving that illegal mining was going on panchayat lands belonging to gram panchayat Bhud Kalan of village Kohliwala. In this context the site inspecting of punchayat land bearing khasar no. 21//14.15.16,17,24,25,22//17,18,19,20,21,22, 23,24,25//1 to 25. All the rectangles of mustil 27,24//1,2,9,10,11,20,21,13//12 to 20 was conducted was conducted on dated 29-08-2017 ,along with DDPO Yamuna nager, SEPO Chhachhrauli ,Sh.Jasbir Singh and Halka Patwari Sh.Manoj kumar .It was found that illegal mining had been carried on the said rectangles and the ownership of the land belongs to gram panchayat Bhud Kalan, vested in the revenue estate of kohliwala and recently the illegal mining has been conducted in khasra n0 25//13,14,17,18,23,24. There was a tree cover on the said panchayat land .From environment point of view this tree cover was very important as river Yamuna flows just near to this land and this tree cover helps in preventing soil erodin. Khair trees have been uprooted from the panchayat land before illegal mining causing very heavy environment and financial loss to the gram panchayat .The felling of trees and illegal mining has been conducted by the owners of nearby stone cruser and about 8 screening plants in the vicinity of this land, in connivance with Sh.Mohan Ram Sarpunch Budh Kalan and Ex -Sarpunch Sh.Subhash.During this inspection it was also found that one Amit Kumar S/o Sh.Karma r/o Doiwala ,Sub Tehsil Khizrabad ,has started encroaching from the panchayat land bearing khasar no 13/11,16,20. After mining the mentioned the aforesaid person has started encroaching upon the land by eay of each feeling one Dhaba has also been established illegally on the panchayat land . This dhaba has been installed illegally in connivance with Sh. Mohan Ram ,Sarpanch Bhud kalan and Sh. Subhash Ex-Sarpunch of Buhud kalan .it is therefore ,proposed that necessary action against delinquent person for causing loss to the gram panchayat Bhud kalan block Khizrabad and report is here by submitted ,Attached with report of committee dated 29-08-2017 SD JOGESH Block Dev . panchayat Officer, Khizrabad अज थाना :- हस्ब आमद पत्र उपरोक्त से सरदेस्त सुरत जुर्म जेर धारा 21.4(1) माईनिंग ऐक्ट का होना पाया जाने पर मु0न0 139 दिनांक 30.08.2017 धारा 21.4(1) माईनिंग ऐक्ट थाना खिजराबाद दर्ज रजिस्टर करके प्रतियाँ FIR कम्प्युटर द्वारा तैयार की गई । नकल मिशल पुलिस मय असल लेख आगामी तफतीश हेतू रखी गई जो आईन्दा तफतीश अमल मे लाई जावेगी । इन्द्राज रिकार्ड विधि पूर्वक किया गया ।

13.



FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

431

Any 21

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या) Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): JASWANT SINGH

No. (सं.): 590 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

Directed (Mobile No. of I.O.) (जांच अधिकारी का मोबाइल नंबर): 919812086556

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या) District (ज़िला):

(4) Transferred to P.S. (थाना):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

14.

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Shish pal



ANXR-21

432

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

Signature / Thumb
impression
of the complainant /
informant (शिकायतकर्ता /
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे
का निशान)

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 273a

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक
और समय):

ANKR
29

पंचायती जमीन में अवैध खनन कराने पर कोलीवाला के सरपंच को किया सस्पेंड

डीसी ने डीडीपीओ और बीडीओ खजराबाद की रिपोर्ट के आधार पर की कार्रवाई

अमर उजाला ब्यूरो
खजराबाद।

कोलीवाला की पंचायती जमीन में हो रहे अवैध खनन और उसकी शिकायतों को लेकर डीसी ने सरपंच मोहनलाल को सस्पेंड कर दिया है। डीसी ने यह कार्रवाई डीडीपीओ गगनदीप सिंह और बीडीपीओ खिजराबाद के कोलीवाला में हुए खनन के दौर के बाद मिली रिपोर्ट के आधार पर की।

जानकारी के अनुसार कोलीवाला की पंचायती जमीन में अवैध खनन के काम को अंजाम दिया जा रहा था। इस बारे में अमर उजाला में खबर भी प्रकाशित की गई थी। इसके बाद अधिकारियों ने कोलीवाला पंचायती जमीन में हो रहे अवैध को लेकर दौरा किया, जहां अधिकारियों ने पंचायती जमीन में अवैध खनन हुआ पाया। इस बारे में डीडीपीओ गगनदीप सिंह को और से खिजराबाद थाने में 29 अगस्त को

शंखाधडी के धारोप में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

जौरापुर। पुलिस ने पंचकूला के एक बुजुर्ग की शिकायत पर 2 लोगों खिलाफ उससे लाखों रुपये की ठगी करने का मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता वीर विक्रम सिंह निवासी सेक्टर-26 पंचकूला ने बताया कि उसके जानकार जसदीप सिंह ऊर्फ भाँसा ने कहा कि टिकरी के बराह कालोपस में महिला ने दूर एंड ट्रेपल का बफर खोला है। वह ऐसे निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। शिवायतवर्ती के अनुसार, जसदीप की बातों में आकर महिला की कंपनी ने 7 लाख 12 हजार रुपये निवेश किए। जिसकी एज में महिला ने 13 फीसदी ब्याज देने का वादा किया था। आशय है कि तय शर्तों के कुछ समय बाद महिला ने न तो ब्याज देना शुरू किया और न ही उसकी रकम वापस की। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। जांच के बाद पुलिस ने जसदीप और महिला निवासी यमुनानगर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

शिकायत दी गई। अधिकारियों ने कुमार शर्मा ने बताया कि कोलीवाला गांव कोलीवाला के सरपंच और भूतपूर्व सरपंच सुभाष और मौजूदा सरपंच मोहनलाल दोनों के खिलाफ शिकायत देकर पंचायती जमीन में अवैध खनन कराने का मामला दर्ज कराया था। इस पर कार्रवाई करते हुए डीसी ने 12 सितंबर को कोलीवाला के सरपंच मोहनलाल को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस बारे में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी जोगेश खनन कराने का मामला दर्ज किया गया।

इसे फाड़कर प्रेषक अपने पास रख ले।
To be detached and kept by the Sender.

पोस्टल आर्डर
₹ 10
POSTAL ORDER

किसके अकाउंट में
To whom payable
₹ 10
श्री परमेश्वर विद्यालय

किस ऑफिस में
At what Office
क्या इसे क्रॉस किया है
Whether crossed
भेजने की तारीख
Date sent 03-10-2022

57F 844165

434

पेशासिद्ध अधिकारी
ने एक परमेश्वर विद्यालय
अधुना जाल (दिल्ली 11011)

RL BHUKALAN S.O (135106)
Saunter No:1,03/10/2022, I
To:FIRST APPLTAE AUTHORT
PIN:135001, Yamunanagar H.
From:SANJAY S/O ,BHUKALAN
Wt:20gms
Amt:22.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov
(Dial 18002666868) <Near P

यहां अधिकार अधिकारमय 2005 के अन्तर्गत मंत्र
में पेशासिद्ध अधिकारी सुचना प्राप्त करने

सिद्ध मद्र है कि मैं संजय पुत्र श्री सुकृष्ण शर्मा
स्वादि भिक्षुओं के मुझे एक सुचना अधिकार अधिकारमय
सिद्ध सुचना चाहिए।

1. मद्र है कि सन् 2020 के जून मास दिनांक 03-10-2022
कोटली वाला, मोठे वाला की क्यामत भूमि की आसपास भूमि
विभाग में पेशासिद्ध किया है।
2. मद्र है कि मुझे पेशासिद्ध मद्र भी सुचना की जाये की
दिनांक 03-10-2022 को अन्तरी संख्या में पेशासिद्ध किया है।
समाप्त कीये की जाये।
3. इस सुचना की प्राप्त करने हेतु मैं परिलक्षित जाई।
57F 844165 दिनांक 03-10-2022 को अन्तरी संख्या में
में 98188 99 को भेजा है मद्र सुचना मुझे प्राप्त
की जाये।

दिनांक
03-10-2022

साथी संजय
संजय पुत्र श्री सुकृष्ण
शर्मा - भूमि माली
परिलक्षित नं. 98188 99
दिल्ली-उत्तर

435

वन विभाग हरियाणा
कार्यालय: उप वन संरक्षक, यमुनानगर
दूरभाष 01732-237821

क्रमांक/ 4915 Regd.
सेवा में,

दिनांक 14/11/22

श्री संजय पुत्र श्री हुकम चन्द,
गांव व डाक खाना भूडकला (67)
जिला यमुना नगर, (हरियाणा)-135106
मो 9813899842

विषय:- जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भूडकला में पौधरोपण सम्बन्धित सूचना प्राप्त करने बारे ।

सन्दर्भ :- आपका पत्र दिनांक 03.10.2022 (इस कार्यालय में प्राप्त दिनांक 10.10.2022.)


उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आप द्वारा मांगी सूचना निम्न प्रकार से भेजी जाती है।

बिन्दू न0. 1 - सूचना साथ सलंगन है।

बिन्दू न0. 2 - सूचना साथ सलंगन है।

सलंगन :- उपरोक्त। (स्क 406),




उप वन संरक्षक,
यमुनानगर

Handwritten note: 192

A.P.O. (Kalesar Range)

AVR-22

S.No	Component	Name of Block	Name of Beet	Name of Space	HA	RPM	Botanical Name	Name of Species	No of plants	Longitude	Latitude
1	V.W.L. TP 2020-21	Tajewala	Mandewala	Kholwala P.L. (Mandewala)	5	0	Synonym Curini	Lamun	300	N30°14'58.9"	E77°30'31.5"
							Terminalia Aljuna	Ajuna	400		
2	V.W.L. PIR 2020-21	Tajewala	Mandewala	Shood P.L. (Mandewala)	5	0	Dalbergia sissoo	Shisham	1800		
							Tectona grandis	Sagwan	1200		
G.TOTAL					5	0		Total	3500		
G.TOTAL					5				5500		

Certified
 Dy. Superintendent
 Forest Division (T)
 Yamuna Nagar (H)

Handwritten signature: A.P.O. (Kalesar)

O.A. 446/2022

BALWINDER KUMAR VS STATE OF HARYANA

श्रीमान् जी,

बलविन्दु कुमार vs/0 लखीराम को जो रिपोर्ट माननीय
NGT Court के द्वारा MALL से दिये गए थे उनका
जवाब क्रम संख्या अनुसार आपकी सेवा में
प्रस्तुत है। मैं विभाग द्वारा यहाँ गई जांच रिपोर्ट
से सन्तुष्ट नहीं हूँ क्योंकि यह रिपोर्ट दो विभागों
के साथ मिलकर विभाग द्वारा बनाई गई है। शुरुआती
रिपोर्ट किसी अन्य विभाग से लाना नहीं जाय व मुझका
उसमें शामिल किया जाय।

1. PAGE 1-6 विल-3 काट

1. प्रस्ताव न.24 पेज 438 ग्राम पंचायत का प्रस्ताव दिनांक 28.01.2016 के अनुसार 62 एकड 02 कनाल 16 मरले ग्राम पंचायत की भूमि मे 25 से 30 फुट गहरा खनन होना पाया गया। साल 2015 मे पंचायत का गठन हुआ था। जबकि पंचायत ने 1 साल 6 महिने के बाद मौका निरिक्षण किया व पंचायत ने 1 साल 6 महिने के बाद 25 से 30 फुट अवैध खनन दर्शाया। यह अवैध खनन का सारा पैसा कहा गया। जबकि साल 2016 तक अवैध खननकारीयो के खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नही हुआ। इसका राजस्व कहा गया।
2. प्रस्ताव नम्बर पत्र क्रमांक दिनांक 29.12.2017 पत्र क्रमांक 50 दिनांक 03.01.2018 को कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ। पेज न. 43 का प्वाइंट न.34।
3. पेज न.43 प्वाइंट न.36 प्रस्ताव न.1 दिनांक 17.01.2018 के पत्र क्रमांक न.234 दिनांक 29.01.2018 कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ।
4. पेज न.43 प्वाइंट न.37 प्रस्ताव न.1 दिनांक 18.01.2018 कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ।
5. पेज न.43 प्वाइंट न.39 प्रस्ताव न.46 दिनांक 17.04.2018 कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ।
6. पेज न.43 प्वाइंट न.40 प्रस्ताव न.47 दिनांक 19.04.2018 कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ।
7. पेज न.43 प्वाइंट न.41 प्रस्ताव न.2 दिनांक 23.04.2018 पत्र क्रमांक 207 दिनांक 23.04.2018 कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ।

एल-3 एमा

8. Annexure 664394-12-2018 ग्राम संचिव के द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं डाला गया। जोकि पूरी तरह अवैध है और ना ही इस प्रस्ताव पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ जोकि मिलीभगत का सबसे बड़ा सबूत है।
9. पेज न.44 प्वाइंट न.43 प्रस्ताव Annexure 51 dt. 26-04-2018 कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यदि कोई मुकदमा दर्ज हुआ तो वह पुलिस व प्रशासन के साथ मिलीभगत करके रद्द करवा दिये गये।
10. साल 2016 में 25 फुट गहरी खुदाई हो चुकी थी तब खैर के पेड कहा से आये जोकि ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव न.24 पेज न.41 पर स्वयं ही दर्ज करवाया है कि 62 एकड 02 कनाल 16 मरले ग्राम पंचायत की भूमि की खुदाई हो चुकी है।
11. पेज न.44 प्वाइंट न.50 प्रस्ताव न.1 दिनांक 15.09.2018 Annexure 59 & 60 में दिनांक 15.09.2018 को सुधीर उर्फ गुल्लू जोकि सुभाष चंद भूत पूर्व सरपंच सुभाष चंद वासी गांव माण्डेवाला का सुपुत्र व मेम्बर पंचायत अनुराधा के पति है और यह अवैध खनन से शामिल है जोकि Annexure 59 में स्वयं दर्शाया है लेकिन इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जिससे प्रतित होता है कि पंचायत सचिव व बीडीपीओ की पूरी भागीदारी है।
12. पेज न.45 प्वाइंट न.51 प्रस्ताव न.1 Annexure 61 दिनांक 16.09.2018 को किरपाल सिंह पुत्र बाबू राम वासी गांव माण्डेवाला नीलकंठ स्टोन क्वैसर व स्क्रीनिंग प्लाट के मालिक

CPM-5/5/11

जोकि बल्लेवाला मे मौजूद है जोकि पंचायत की जमीन पर अवैध खनन करता पाया गया। जिसे मेम्बर पंचायत अनुराधा पत्नी सुधीर उर्फ गुल्लू, सोम नाथ इन्द्रा, शशी बाला, जुलफान, आशिक अली व मोहन राम सरपंच ने खुद मौका किया व खनन होना पाया गया जिसका विवरण स्पष्ट रूप से Annexure 61 मे स्वयं दर्शाया है लेकिन इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ व मिलीभगत से रद्द करवा दिया गया। क्योंकि अवैध खनन करने वाले अमित कुमार पुत्र सताब सिंह पुत्र पवन कुमार वासी छोटा कोहलीवाला भूड माजरा व पूर्व सरपंच सुभाष चंद ने अपनी अवैध खनन से अर्जित की हुई अवैध सम्पति साल 2016 के बाद किरपाल सिंह के नाम करवा रखी है जोकि नीलकंठ स्क्रीनिंग प्लाट कोहलीवाला व स्टोन कैसर व नीलकंठ स्क्रीनिंग प्लाट बल्लेवाला व नीलकंठ स्टोन कैसर व नीलकंठ स्क्रीनिंग प्लाट उतर प्रदेश के पंच कूआ जिला सहारनपुर मे नाम करवा रखे है।

13. पेज न.45 प्वाईट न.56 Annexure 66 फर्जी प्रस्ताव जिसमे पंचायत सचिव की लिखावट नहीं है व ना ही इस प्रस्ताव के उपर कोई मुकदमा दर्ज है।
14. पेज न.46 प्वाईट न.62 Annexure 73 & 74 प्रस्ताव फर्जी है ग्राम सचिव की लिखावट नहीं है व इन दिनों दिनांक 31.07. 2019 को यमुना नदी मे बाड आती है व कोई रास्ता इधर उधर आने जाने के लिए नहीं बचता व यमुना नदी के साथ वन विभाग की जमीन है जोकि कई किलोमिटर मे फैली है। जिसमे वन विभाव के वर्षों पुराने खैर के बहुमुल्य पेड है व ना ही साल

एल-३५१११

2019 मे कोई कैंसर ⁴⁴¹ की सरकार व माननीय एनजीओ कोर्ट की उत्तर प्रदेश मे कोई अनुमति नही थी। यह प्रस्ताव इन्होने खुद डाला है ताकि अपने द्वारा किया गया अवैध खनन को छिपाया जा सकें।

15. पेज न.46 प्वाइट न.63 प्रस्ताव न.1 Annexure 75 फर्जी ग्राम सचिव की लिखावट नही है सुभाष चंद व सुधीर उर्फ गुल्लू ने मिलकर प्रस्ताव डाला। जिस पर कोई कानूनी कार्यवाही ना हुई।
16. पेज न.46 प्वाइट न.64 प्रस्ताव न.1 Annexure 76 dt. 2606-2020 फर्जी प्रस्ताव। इस प्रस्ताव पर कोई हस्ताक्षर नही है।
17. पेज न.46 प्वाइट न.65 प्रस्ताव न.1 Annexure 77 दिनांक 2706.2022 ग्राम सचिव की लिखावट नही है।
18. पेज न.47 पर प्वाइट दिनांक 15.06.2017 से लेकर पेज न.48 पर दिनांक 25.11.2019 तक पुलिस थाना प्रताप नगर मे कुल 14 मुकदमे दर्ज हुये। जोकि यह मुकदमे केवल उन्ही व्यक्तियो पर दर्ज हुये है जो अवैध खननकारीयो की शिकायत कर रहे थे। जोकि प्रशासन जिसमे खनन अधिकारी, बीडीपीओ, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम सचिव की मिलीभगत से दर्ज हुये है।
19. दोषीगण के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ यह लोग अवैध खनन मे शामिल है इसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नही करवाया गया है यदि कोई मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसे मिलीभगत से रद्द करवा दिया गया है। जनाब हमने साल 2016 से लेकर

Dr. S. S. M. L.

442
आज दिनांक 12.01.2022 तक शिकायते दर्ज करवाई है व आज भी खनन जारी है।

20. चार्ट न. Annexure 94 पत्र क्रमांक 2498 दिनांक 30.12.

2020 विषय प्रस्ताव न.1 दिनांक 28.12.2020, 27.12.2020

को रात के समय अज्ञात व्यक्तियों ने सरपंच की कस्टडी से 131

खैर के पेड चोरी होना बताया गया है। लेकिन वास्तव मे यह पेड

प्रशासन की मिलीभगत से बेच दिये गये. क्योंकि जनाब सुधीर उर्फ

गुल्लू, खनन माफिया व खैर का बहुत बडा तस्कर है।

जहाँक वने पिमाज व उपायमकुम्भे डी०सी०
नदी एलापी गुप्ता की वस
चोरी ए० रफि।

21. बीडीपीओ योगेश कुमार ने दिनांक 21.12.2021 को पंचायती

जमीन पर अवैध खनन करते हुये नम्बरदार संदीप पुत्र प्रेम चंद

वासी कोहलीवाला को पकडा व पत्र क्रमांक 2117 मे मुकदमा दर्ज

किया व जनाब बीडीपीओ व एस.एच.ओ खिजराबाद व सरपंच

की मिलीभगत से मुकदमा रद्द करवा दिया गया।

ANR-23

22. Annexure 95 पत्र क्रमांक 1682 दिनांक 14.09.2021

जिसमे बीडीपीओ ने पंचायत की भूमि पर अवैध खनन के बारे

पंचायत भूमि पर खनन होना दर्शाया है व खनन विभाग को

इसकी अरसैमेंट के लिए पत्र लिखा। इसमे आज तक कोई

कार्यवाही नहीं हुई।

23. पेज न.7 से 14 तक का एतराज पेज 7 दिनांक 10.10.2022

डायरी न.1483 इस्पेक्शन रिपोर्ट ओ.ए. न.446/2022 ये इस

पत्र मे कमैटी माननीय कोर्ट के आदेश दिनांक 26.07.2022 को

मिटींगई की जिसमे उन्होने अवैध खनन का नहीं होना पाया गया।

परन्तु बीडीपीओ के पत्र क्रमांक 1682 दिनांक 14.09.2021

Annexure 95 मे स्पष्ट दर्शाया गया है कि माण्डेवाला व कोहलीवाला की पंचायती भूमि पर अवैध खनन जारी है। व इसकी असैसमेंट के लिए खनन अधिकारी को पत्र भी लिखा।

24. इस पत्र मे दर्शाया गया है कि पंचायत की 25 एकड भूमि पर वन विभाग ने जानकारी दी कि 4 साल पुराने पेड है जबकि जनाब वन विभाग की एक आरटीआई मे स्पष्ट रूप से लिखा है कि साल 2021 व 2022 मे पौधारोपण किया गया भूडकला पंचायत के गांव कोहलीवाला मे। जिसमे पूरी भूडकला पंचायत मे 5 गांव आते है। व जनाब वन विभाग ने 5 हैक्टेयर जमीन पर पौधारोपण किया है जिसमे करीब 5500 पेड लगाये गये। जोकि जामुन, पापडी, सागवान व शीशम के पेड है।
25. प्वाईट न.3 दिनांक 1304.2017 से लेकर दिनांक 15.04.2020 तक खनन विभाग ने कोहलीवाला व माण्डेवाला की पंचायती जमीन पर 27 मुकदमे दर्ज होने की अनुसमसा की गई। जिनमे से कुल 14 मुकदमे दर्ज हुये। बाकी मुकदमे पुलिस प्रशासन व बीडीपीओ व खनन अधिकारी व सरपंच की मिलीभगत से रद्द करवा दिये गये। 27 मुकदमो मे 82 व्यक्ति है व फर्मो है। जबकि मुकदमे मुझ शिकायतकर्ता बलिन्द्र कुमार पुत्र लखीराम के नाम दर्ज है। क्योकि इस पूरे प्रकरण मे मैं शिकायतकर्ता ही अकेला विसल ब्लोवर हूँ इसलिए प्रशासन मेरे विरुद्ध है क्योकि मैं जनाब साल 2016 से लेकर साल 2022 तक लगातार अवैध खनन के खिलाफ संबंधित विभागो को सूचित कर रहा हूँ।

CL-3/2020

Kabliwala
Balinder 16

प्रेमक

रतन आविळारी
रतन एवं सु-विज्ञान विभाग
यमुनागढ़

सेवा में

थाना प्रवक्ता
खिजराबाद

आदेश क्रमांक: रतन।घ.नं. 8PL-3 दिनांक: 13/09/17

विषय: गाँव-कौलीवाला की पंचायती भूमि में अवैध रतन कर।

— x — x — x — x — x —

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि
स्वीडि कुमारी पुत्र श्री लखीराम गाँव-कौलीवाला की एक शिक्षक पद
प्राप्त हुई। शिक्षक में शिक्षक कर्ता द्वारा श्रीराम स्वीडिग फ्लॉट,
देवभूमि स्वीडिग प्लॉट, श्री महालक्ष्मी स्वीडिग प्लॉट, राजवीर
पुत्र श्री जयपाल, प्रवीण पुत्र श्री करनैल सिंह, संदिप पुत्र श्री
प्रेमचन्द निवासी कौलीवाला द्वारा पंचायती (गाँव-कौलीवाला) की
अवैध करना बताया है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त
के खिलाफ दानवीन कर उचित अनुमति कारवाई करने की
कृपा करें।

संलग्न- शिक्षक प्रति

(Signature)
रतन आविळारी
रतन एवं सु-विज्ञान विभाग
यमुनागढ़

(Signature)
13/09/2017

विषय:-

गैर कानूनी तरीके से अवैध खनन करने वालों से खनिज के पैसे की रिकवरी करने व गैर कानूनी खनन करने वालों पर कानूनी कार्यवाही करने व मुझ शिकायतकर्ता की जान-माल की रक्षा व झूठे केस से बचाने बारे।

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन है कि मैं बलिन्द्र कुमार पुत्र लक्खी राम निवासी गांव कोहलीवाला, तहसील छछरौली, जिला यमुनानगर का रहने वाला हूँ।

1. यहकि मेरे गांव कोहलीवाला व माण्डेवाला जो भूडकलां पंचायत में है इन गांवों की लगभग 156 एकड़ पंचायती व शामिल भूमि व केंद्र सरकार की लगभग 22 एकड़ जमीन है।
2. यहकि इस भूमि में सन 2016 से लेकर अब तक गैर कानूनी तरीके से खनन किया जा रहा है और उक्त भूमि पर जो खैर के पेड़ खड़े/लगाये हुये थे वह भी गैर कानूनी तरीके से काट लिये हैं। इस क्षेत्र में हुई गैर कानूनी खनन व गैर कानूनी तरीके से काटे गए पेड़ की एक रिपोर्ट पत्र क्रमांक 3815 दिनांक 14.09.2017 में खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी छछरौली, जिला यमुनानगर की रिपोर्ट में स्पष्ट है लेकिन कुछ मिलीभगत अधिकारी जान बूझकर गैर कानूनी खनन करने व गैर कानूनी तरीके से खैर के पेड़ काटने वाले श्री राम स्क्रीनिंग प्लाट, गौरी शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, देव भूमि स्क्रीनिंग प्लाट, जय मां सन्तोषी स्क्रीनिंग प्लाट, जय मा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट (चौधरी स्क्रीनिंग प्लाट), जय शिव शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, जय शिव शक्ति स्क्रीनिंग प्लाट, जय महा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट गांव कोहलीवाला व शिवालिक स्टोन क्वेशर गांव डोईवाला व संदीप पुत्र प्रेमचंद नम्बरदार गांव कोहलीवाला, अमित कुमार पुत्र पवन कुमार गांव छोटा कोहलीवाला, मौजूदा सरंपच श्री मोहन राम पुत्र फूल्ला राम पंचायत भूडकलां, पूर्व सरंपच सुभाष चंद पुत्र श्री पाला राम गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, सुधीर पुत्र सुभाष चंद गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, तत्कालीन माईनिंग अधिकारी श्री गुरजीत सिंह सिधू व डीडीपीओ, जगाधरी, बीडीपीओ छछरौली, ग्राम सचिव भूडकलां, वन विभाग यमुनानगर की मिलीभगत से से लगभग 90/100 एकड़ पंचायती जमीन सरकारी भूमि पर 60-70 फुट गहरी खुदाई गैर कानूनी तरीके से खैर के पेड़ काटकर कर ली गई है। जिसकी मुझ प्रार्थी द्वारा बार-2 विभाग को सूचना दी जा रही है लेकिन भ्रष्टाचार व मिलीभगत के चलते कभी किसी अधिकारी ने कोई कार्यवाही नहीं की बल्कि एक साजिश के तहत दिखावे के लिए छोटा मोटा जुर्माना कर देते हैं। इस बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जन सूचना अधिकार द्वारा कुछ

दस्तावेज प्राप्त किये है जिसमें स्पष्ट है कि उक्त भूमि न तो खुदाई के लिए दी गई और मौका पर खुदाई की गई है और खैर के पेड भी काटे हुये है लेकिन मिलीभगत के चलते केवल एक स्क्रीनिंग प्लाट पर मुकदमा दर्ज कर उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है व अन्य गैर कानूनी खनन करने वालो से मिलीभगत हो करके सरकार की करोडो रूपये की भूमि गैर कानूनी तरीके से खुदाई करवा दी है। और जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाइ तो मेरे खिलाफ एक साजिश के तहत झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिये और मुझ पर आगामी कार्यवाही रोकने का दबाव बनाया। लेकिन मैंने सरकारी भूमि पर हो रहे गैर कानूनी खनन के खिलाफ अभियान जारी रखा। इस बारे मैंने जिला स्तर से लेकर उच्चधिकारियो को कई बारे शिकायते भेजी लेकिन ज बवह शिकायते जांच के लिए जिला व खण्ड स्तर पर लोकल दफतरो मे आई तो उसमे झूठी रिपोर्ट बनाकर गैर कानूनी तरीके से खैर के पेड काटने और अवैध खनन करने वालो को बचाने का कार्य किया गया। इसमे अगर निष्पक्ष जांच विडियो ग्राफी मे करवाई जाये तो सरकारी भूमि से गैर कानूनी तरीके से कटे खैर के पेड व करोडो रूपये का खनिज की रिक्वरी श्री राम स्क्रीनिंग प्लाट, गौरी शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, देव भूमि स्क्रीनिंग प्लाट, जय मां सन्तोषी स्क्रीनिंग प्लाट, जय मा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट(चौधरी स्क्रीनिंग प्लाट), जय शिव शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, जय शिव शक्ति स्क्रीनिंग प्लाट, जय महा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट गांव कोहलीवाला व शिवालिक स्टोन कैशर गांव डोईवाला व संदीप पुत्र प्रेमचंद नम्बरदार गांव कोहलीवाला, अमित कुमार पुत्र पवन कुमार गांव छोटा कोहलीवाला, मौजूदा सरपंच श्री मोहन राम पुत्र फूल्ला राम पंचायत भूडकलां, पूर्व सरपंच सुभाष चंद पुत्र श्री पाला राम गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, सुधीर पुत्र सुभाष चंद गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, तत्कालीन माईनिंग अधिकारी श्री गुरजीत सिंह सिधू व डीडपीओ, जगाधरी, बीडीपीओ छछरौली, ग्राम सचिव भूडकलां, वन विभाग यमुनानगर से की जा सकती है। जिसमे हरियाणा सरकार के राजस्व मे बढोतरी होगी व गैर कानूनी तरीके से खैर के पेड काटने व कटवाने और सरकारी भूमि से गैर कानूनी तरीके से खनन करने व करवाने पर भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है।

अतः मानवर जी, आपसे जनहित व राष्ट्रहित के लिए प्रार्थी अनुरोध करता है कि गांव कोहलीवाला व मांडेवाला पंचायत भूडकलां मे सरकारी/पंचायती/शामलात भूमि पर हुई गैर कानूनी तरीके से हुई खनन व गैर कानूनी तरीके से काटे गये खैर के पेडो की निष्पक्ष एजेंसी से जांच विडियोग्राफी मे करवाई जाये ताकि दोषीगण के खिलाफ कार्यवाही की जाये व गैर कानूनी तरीके से काटे गये खैर के पेड व गैर कानूनी तरीके से क्षेत्र मे की गई खनन के खनिज की रिक्वरी की जा सके। और मान्यवर जी मेरे खिलाफ जो एक साजिश के तहत मुकदमे दर्ज करवाये गये है उनकी भी निष्पक्ष जांच करवाई जाये और अब लिखित सभी गैर कानूनी कार्य करने

वाले मेरी व मेरे परिवार की जान के दुश्मन बने हुये है व मौका पाकर कभी भी मुझे या मेरे परिवार को जान व माल का नुकसान पहुँचा सकते है या पूनः किसी झूठे केस मे फंसा सकते है। मुझ उम्मीद है कि शिकायत पर समय रहते उचित कानूनी कार्यवाही होगी और जांच निष्पक्ष एजेंसी से विडियोग्राफी मे करवाई जाये और हथनीकूण्ड बैराज नजदीक ताजेवाला हैड यमुना नदी बांध के पास से लेकर गांव ताजेवाला, कोहलीवाला, देवरधर, मांडेवाला जंगल की पैमाईश करवाई जाये।

नोट:- यदि मेरी किसी भी रहस्यमयी स्थिति मे दुर्घटना या मौत होती है तो उसका जिम्मेदार श्री राम स्क्रीनिंग प्लाट, गौरी शंकर स्क्रीनिंग प्लाट; देव भूमि स्क्रीनिंग प्लाट, जय मां सन्तोषी स्क्रीनिंग प्लाट, जय मा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट(चौधरी स्क्रीनिंग प्लाट), जय शिव शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, जय शिव शक्ति स्क्रीनिंग प्लाट, जय महा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट गांव कोहलीवाला व शिवालिक स्टोन क्लेशर गांव डोईवाला व संदीप पुत्र प्रेमचंद नम्बरदार गांव कोहलीवाला, अमित कुमार पुत्र पवन कुमार गांव छोटा कोहलीवाला, मौजूदा सरंपच श्री मोहन राम पुत्र फूल्ला राम पंचायत भूडकलां, पूर्व सरंपच सुभाष चंद पुत्र श्री पाला राम गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, सुधीर पुत्र सुभाष चंद गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, तत्कालीन माईनिंग अधिकारी श्री गुरजीत सिंह सिधू व डीडीपीओ, जगाधरी, बीडीपीओ छछरौली, ग्राम सचिव भूडकलां, वन विभाग यमुनानगर होंगे।

धन्यवाद।

राम-सुभाष

प्रार्थी

बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लखी राम निवासी
गांव कोहलीवाला, डा0.भूडकलां, तहसील
छछरौली, जिला यमुनानगर
हरियाणा-135001

मो.न.8930440087, 9129205779

दिनांक 13/4/2022

- कापी प्रेषित:- 1. माननीय महानिदेशक खान एवं भू विज्ञान
हरियाणा।
2. माननीय राज्य खनन अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान,
हरियाणा,
3. प्रशासनिक सचिव खान एवं भू विज्ञान विभाग,
हरियाणा
4. वन उप महानिदेश (सी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय बे नम्बर 24-25, सैक्टर 31 ए,
दक्षिण मार्ग चंडीगढ़-160030
5. अध्यक्ष, हरियाणा राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण,
BAYS No. 55-58, 1st Floor प्रयातन भवन,
सैक्टर- 2, पंचकूला, हरियाणा।
6. माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय,
नई दिल्ली
7. माननीय खनन मंत्री,
हरियाणा।



सेवा मे,

माननीय महानिदेशक खान एंव भू विज्ञान
हरियाणा।

विषय:-

गैर कानूनी तरीके से अवैध खनन करने वालो से खनिज के
पैसे की रिक्वरी करने व गैर कानूनी खनन करने वालो पर
कानूनी कार्यवाही करने व मुझ शिकायतकर्ता की जान-माल की
रक्षा व झूठे केस से बचाने बारे।

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन है कि मैं बलिन्द्र कुमार पुत्र लक्खी राम निवासी गांव
कोहलीवाला, तहसील छछरौली, जिला यमुनानगर का रहने वाला हूँ।

1. यहकि मेरे गांव कोहलीवाला व माण्डेवाला जो भूडकलां पंचायत मे है इन
गांवो की लगभग 156 एकड पंचायती व शामलात भूमि व कैन्द्र सरकार की
लगभग 22 एकड जमीन है।
2. यहकि इस भूमि मे सन 2016 से लेकर अब तक गैर कानूनी तरीके से
खनन किया जा रहा है और उक्त भूमि पर जो खैर के पेड खडे/लगाये
हुये थे वह भी गैर कानूनी तरीके से काट लिये है। इस क्षेत्र मे हुई गैर
कानूनी खनन व गैर कानूनी तरीके से काटे गए पेड की एक रिपोर्ट पत्र
क्रमांक 3815 दिनांक 14.09.2017 मे खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी
छछरौली, जिला यमुनानगर की रिपोर्ट मे स्पष्ट है लेकिन कुछ मिलीभगत
अधिकारी जान बूझकर गैर कानूनी खनन करने व गैर कानूनी तरीके से
खैर के पेड काटने वाले श्री राम स्क्रीनिंग प्लाट, गौरी शंकर स्क्रीनिंग प्लाट,
देव भूमि स्क्रीनिंग प्लाट, जय मां सन्तोषी स्क्रीनिंग प्लाट, जय मा लक्ष्मी
स्क्रीनिंग प्लाट(चौधरी स्क्रीनिंग प्लाट), जय शिव शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, जय
शिव शक्ति स्क्रीनिंग प्लाट, जय महा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट गांव कोहलीवाला
व शिवालिक स्टोन क्वेशर गांव डोईवाला व संदीप पुत्र प्रेमचंद नम्बरदार गांव
कोहलीवाला, अमित कुमार पुत्र पवन कुमार गांव छोटा कोहलीवाला, मौजूदा
सरंपच श्री मोहन राम पुत्र फूल्ला राम पंचायत भूडकलां, पूर्व सरंपच सुभाष
चंद पुत्र श्री पाला राम गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, सुधीर पुत्र सुभाष
चंद गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, तत्कालीन माईनिंग अधिकारी श्री
गुरजीत सिंह सिधू व डीडीपीओ, जगाधरी, बीडीपीओ छछरौली, ग्राम सचिव
भूडकलां, वन विभाग यमुनानगर की मिलीभगत से से लगभग 90/100
एकड पंचायती जमीन सरकारी भूमि पर 60-70 फुट गहरी खुदाई गैर
कानूनी तरीके से खैर के पेड काटकर कर ली गई है। जिसकी मुझ प्रार्थी
द्वारा बार-2 विभाग को सूचना दी जा रही है लेकिन भ्रष्टाचार व मिलीभगत
के चलते कभी किसी अधिकारी ने कोई कार्यवाही नही की बल्कि एक
साजिश के तहत दिखावे के लिए छोटा मोटा जुर्माना कर देते है। इस बारे
मैने जानकारी इक्टठा करने के लिए जन सूचना अधिकार द्वारा कुछ


दस्तावेज प्राप्त किये है जिसमें स्पष्ट है कि उक्त भूमि न तो खुदाई के लिए दी गई और मौका पर खुदाई की गई है और खैर के पेड भी काटे हुये है लेकिन मिलीभगत के चलते केवल एक स्क्रीनिंग प्लाट पर मुकदमा दर्ज कर उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है व अन्य गैर कानूनी खनन करने वालो से मिलीभगत हो करके सरकार की करोडो रूपये की भूमि गैर कानूनी तरीके से खुदाई करवा दी है। और जब मैने इसके खिलाफ आवाज उठाइ तो मेरे खिलाफ एक साजिश के तहत झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिये और मुझ पर आगामी कार्यवाही रोकने का दबाव बनाया। लेकिन मैने सरकारी भूमि पर हो रहे गैर कानूनी खनन के खिलाफ अभियान जारी रखा। इस बारे मैने जिला स्तर से लेकर उच्चधिकारियो को कई बारे शिकायते भेजी लेकिन ज बवह शिकायते जांच के लिए जिला व खण्ड स्तर पर लोकल दफतरो मे आई तो उसमे झूठी रिपोर्ट बनाकर गैर कानूनी तरीके से खैर के पेड काटने और अवैध खनन करने वालो को बचाने का कार्य किया गया। इसमे अगर निष्पक्ष जांच विडियो ग्राफी मे करवाई जाये तो सरकारी भूमि से गैर कानूनी तरीके से कटे खैर के पेड व करोडो रूपये का खनिज की रिक्वरी श्री राम स्क्रीनिंग प्लाट, गौरी शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, देव भूमि स्क्रीनिंग प्लाट, जय मां सन्तोषी स्क्रीनिंग प्लाट, जय मा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट(चौधरी स्क्रीनिंग प्लाट), जय शिव शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, जय शिव शक्ति स्क्रीनिंग प्लाट, जय महा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट गांव कोहलीवाला व शिवालिक स्टोन क्वेशर गांव डोईवाला व संदीप पुत्र प्रेमचंद नम्बरदार गांव कोहलीवाला, अमित कुमार पुत्र पवन कुमार गांव छोट्टा कोहलीवाला, मौजूदा सरंपच श्री मोहन राम पुत्र फूल्ला राम पंचायत भूडकलां, पूर्व सरंपच सुभाष चंद पुत्र श्री पाला राम गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, सुधीर पुत्र सुभाष चंद गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, तत्कालीन माईनिंग अधिकारी श्री गुरजीत सिंह सिधू व डीडीपीओ, जगाधरी, बीडीपीओ छछरौली, ग्राम सचिव भूडकलां, वन विभाग यमुनानगर से की जा सकती है। जिसमे हरियाणा सरकार के राजस्व मे बढोतरी होगी व गैर कानूनी तरीके से खैर के पेड काटने व कटवाने और सरकारी भूमि से गैर कानूनी तरीके से खनन करने व करवाने पर भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है।

अतः मान्वर जी, आपसे जनहित व राष्ट्रहित के लिए प्रार्थी अनुरोध करता है कि गांव कोहलीवाला व मांडेवाला पंचायत भूडकलां मे सरकारी/पंचायती/शामलात भूमि पर हुई गैर कानूनी तरीके से हुई खनन व गैर कानूनी तरीके से काटे गये खैर के पेडो की निष्पक्ष एजेंसी से जांच विडियोग्राफी मे करवाई जाये ताकि दोषीगण के खिलाफ कार्यवाही की जाये व गैर कानूनी तरीके से काटे गये खैर के पेड व गैर कानूनी तरीके से क्षेत्र मे की गई खनन के खनिज की रिक्वरी की जा सके। और मान्यवर जी मेरे खिलाफ जो एक साजिश के तहत मुकदमे दर्ज करवाये गये है उनकी भी निष्पक्ष जांच करवाई जाये और अब लिखित सभी गैर कानूनी कार्य करने

451
वाले मेरी व मेरे परिवार की जान के दुश्मन बने हुये है व मौका पाकर कभी भी मुझे या मेरे परिवार को जान व माल का नुकसान पहुँचा सकते है या पूनः किसी झूठे केस मे फंसा सकते है। मुझ उम्मीद है कि शिकायत पर समय रहते उचित कानूनी कार्यवाही होगी और जांच निष्पक्ष एजेंसी से विडियोग्राफी मे करवाई जाये और हथनीकूण्ड बैराज नजदीक ताजेवाला हैड यमुना नदी बांध के पास से लेकर गांव ताजेवाला, कोहलीवाला, देवरधर, मांडेवाला जंगल की पैमाईश करवाई जाये।

नोट:- यदि मेरी किसी भी रहस्यमयी स्थिति मे दुर्घटना या मौत होती है तो उसका जिम्मेदार श्री राम स्क्रीनिंग प्लाट, गौरी शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, देव भूमि स्क्रीनिंग प्लाट, जय मां सन्तोषी स्क्रीनिंग प्लाट, जय मा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट(चौधरी स्क्रीनिंग प्लाट), जय शिव शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, जय शिव शक्ति स्क्रीनिंग प्लाट, जय महा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट गांव कोहलीवाला व शिवालिक स्टोन कैंशर गांव डोईवाला व संदीप पुत्र प्रेमचंद नम्बरदार गांव कोहलीवाला, अमित कुमार पुत्र पवन कुमार गांव छोटा कोहलीवाला, मौजूदा सरंपच श्री मोहन राम पुत्र फूल्ला राम पंचायत भूडकलां, पूर्व सरंपच सुभाष चंद पुत्र श्री पाला राम गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, सुधीर पुत्र सुभाष चंद गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, तत्कालीन माईनिंग अधिकारी श्री गुरजीत सिंह सिधू व डीडीपीओ, जगाधरी, बीडीपीओ छछरौली, ग्राम सचिव भूडकलां, वन विभाग यमुनानगर होंगे।

धन्यवाद।


प्रार्थी

बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लखी राम निवासी
गांव कोहलीवाला, डा0.भूडकलां, तहसील
छछरौली, जिला यमुनानगर
हरियाणा-135001

मो.न.8930440087, 9129205779

दिनांक 13/4/2022

- कापी प्रेषित:- 1.राज्य खनन अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान हरियाणा,
 2.प्रशासनिक सचिव खान एवं भू विज्ञान विभाग, हरियाणा
 3.वन उप महानिदेश (सी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन
 मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय बे नम्बर 24-25, सैक्टर 31 ए,
 दक्षिण मार्ग चंडीगढ़-160030
 4.जिला उपायुक्त, यमुनानगर
 5.अध्यक्ष, हरियाणा राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण,
 BAYS No.55-58, 1st Floor प्रयातन भवन,
 सैक्टर- 2, पंचकूला, हरियाणा।
 6.माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
 7.माननीय खनन मंत्री, हरियाणा।
 8.माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा।

INR: 5441IN IQR: 8272538065441
 RL JAGADHRI S.O <135003>
 Counter No:1,13/04/2022,14:27
 To:RAJYA KHANNAH ,...



PIN:134112, Panchkula Sector 4 S.O
 From:BALWINDER ,...
 Wt:45gms
 Amt:32.00(Cash)
 <Track on www.indiapost.gov.in>
 <Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक

453

सेवा मे,

माननीय उपायुक्त महोदय,
यमुनानगर।



विषय:-

गैर कानूनी तरीके से अवैध खनन करने वालो से खनिज के पैसे की रिक्वरी करने व गैर कानूनी खनन करने वालो पर कानूनी कार्यवाही करने व मुझ शिकायतकर्ता की जान-माल की रक्षा व झूठे केस से बचाने बारे।

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन है कि मैं बलिन्द्र कुमार पुत्र लक्खी राम निवासी गांव कोहलीवाला, तहसील छछरौली, जिला यमुनानगर का रहने वाला हूँ।

1. यहकि मेरे गांव कोहलीवाला व माण्डेवाला जो भूडकलां पंचायत मे है इन गांवो की लगभग 156 एकड पंचायती व शामलात भूमि व कैन्द्र सरकार की लगभग 22 एकड जमीन है।
2. यहकि इस भूमि मे सन 2016 से लेकर अब तक गैर कानूनी तरीके से खनन किया जा रहा है और उक्त भूमि पर जो खैर के पेड खडे/लगाये हुये थे वह भी गैर कानूनी तरीके से काट लिये है। इस क्षेत्र मे हुई गैर कानूनी खनन व गैर कानूनी तरीके से काटे गए पेड की एक रिपोर्ट पत्र क्रमाक 3815 दिनांक 14.09.2017 मे खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी छछरौली, जिला यमुनानगर की रिपोर्ट मे स्पष्ट है लेकिन कुछ मिलीभगत अधिकारी जान बूझकर गैर कानूनी खनन करने व गैर कानूनी तरीके से खैर के पेड काटने वाले श्री राम स्क्रीनिंग प्लाट, गौरी शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, देव भूमि स्क्रीनिंग प्लाट, जय मां सन्तोषी स्क्रीनिंग प्लाट, जय मा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट(चौधरी स्क्रीनिंग प्लाट), जय शिव शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, जय शिव शक्ति स्क्रीनिंग प्लाट, जय महा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट गांव कोहलीवाला व शिवालिक स्टोन केशर गांव डोईवाला व संदीप पुत्र प्रेमचंद नम्बरदार गांव कोहलीवाला, अमित कुमार पुत्र पवन कुमार गांव छोटा कोहलीवाला, मौजूदा सरपंच श्री मोहन राम पुत्र फूल्ला राम पंचायत भूडकलां, पूर्व सरपंच सुभाष चंद पुत्र श्री पाला राम गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, सुधीर पुत्र सुभाष चंद गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, तत्कालीन माईनिंग अधिकारी श्री गुरजीत सिंह सिधू व डीडीपीओ, जगाधरी, बीडीपीओ छछरौली, ग्राम सचिव भूडकलां, वन विभाग यमुनानगर की मिलीभगत से से लगभग 90/100 एकड पंचायती जमीन सरकारी भूमि पर 60-70 फुट गहरी खुदाई गैर कानूनी तरीके से खैर के पेड काटकर कर ली गई है। जिसकी मुझ प्रार्थी द्वारा बार-2 विभाग को सूचना दी जा रही है लेकिन भ्रष्टाचार व मिलीभगत के चलते कभी किसी अधिकारी ने कोई कार्यवाही नही की बल्कि एक साजिश के तहत दिखावे के लिए छोटा मोटा जुर्माना कर देते है। इस बारे मैने जानकारी इक्टठा करने के लिए जन सूचना अधिकार द्वारा कुछ

दस्तावेज प्राप्त किये है जिसमें स्पष्ट है कि उक्त भूमि न तो खुदाई के लिए दी गई और मौका पर खुदाई की गई है और खैर के पेड भी काटे हुये है लेकिन मिलीभगत के चलते केवल एक स्क्रीनिंग प्लाट पर मुकदमा दर्ज कर उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है व अन्य गैर कानूनी खनन करने वालो से मिलीभगत हो करके सरकार की करोडो रूप्ये की भूमि गैर कानूनी तरीके से खुदाई करवा दी है। और जब मैने इसके खिलाफ आवाज उठाइ तो मेरे खिलाफ एक साजिश के तहत झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिये और मुझ पर आगामी कार्यवाही रोकने का दबाव बनाया। लेकिन मैने सरकारी भूमि पर हो रहे गैर कानूनी खनन के खिलाफ अभियान जारी रखा। इस बारे मैने जिला स्तर से लेकर उच्चधिकारियो को कई बारे शिकायते भेजी लेकिन ज बवह शिकायते जांच के लिए जिला व खण्ड स्तर पर लोकल दफतरो मे आई तो उसमे झूठी रिपोर्ट बनाकर गैर कानूनी तरीके से खैर के पेड काटने और अवैध खनन करने वालो को बचाने का कार्य किया गया। इसमे अगर निष्पक्ष जांच विडियो ग्राफी मे करवाई जाये तो सरकारी भूमि से गैर कानूनी तरीके से कटे खैर के पेड व करोडो रूप्ये का खनिज की रिक्वरी श्री राम स्क्रीनिंग प्लाट, गौरी शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, देव भूमि स्क्रीनिंग प्लाट, जय मां सन्तोषी स्क्रीनिंग प्लाट, जय मा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट(चौधरी स्क्रीनिंग प्लाट), जय शिव शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, जय शिव शक्ति स्क्रीनिंग प्लाट, जय महा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट गांव कोहलीवाला व शिवालिक स्टोन क्वैशर गांव डोईवाला व संदीप पुत्र प्रेमचंद नम्बरदार गांव कोहलीवाला, अमित कुमार पुत्र पवन कुमार गांव छोटा कोहलीवाला, मौजूदा सरंपच श्री मोहन राम पुत्र फूल्ला राम पंचायत भूडकलां, पूर्व सरंपच सुभाष चंद पुत्र श्री पाला राम गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, सुधीर पुत्र सुभाष चंद गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, तत्कालीन माईनिंग अधिकारी श्री गुरजीत सिंह सिधू व डीडीपीओ, जगाधरी, बीडीपीओ छछरौली, ग्राम सचिव भूडकलां, वन विभाग यमुनानगर से की जा सकती है। जिसमे हरियाणा सरकार के राजस्व मे बढोतरी होगी व गैर कानूनी तरीके से खैर के पेड काटने व कटवाने और सरकारी भूमि से गैर कानूनी तरीके से खनन करने व करवाने पर भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है।

3. यहकि आज दिनांक 03.05.2022 को भी अवैध खननकारी गांव माण्डेवाला मे जो बचे हुये पंचायत व शामलात के खसरा नम्बर 20//36/24 व 32//36/18 मे आज भी अवैध खनन जारी है और साथ लगते रास्त को भी अवैध खननकारीयो ने गिरा दिया है और साथ लगते जंगल मे से बहुमुल्य वृक्ष यानि खैर के पेडो को काट कर गिरा दिया गया है। जोकि खननकारीयो को राजनितिक संरक्षण प्राप्त है। उपरोक्त खसरा नम्बर का नक्शा व अवैध खनन की फोटोग्राफस दरखास्त के साथ संलग्न है।

अतः मान्वर जी, आपसे जनहित व राष्ट्रहित के लिए प्रार्थी अनुरोध करता है कि गांव कोहलीवाला व मांडेवाला पंचायत भूडकलां मे

सरकारी/पंचायती/शामलात भू 455 ई गैर कानूनी तरीके से हुई खनन व गैर कानूनी तरीके से काटे गये खैर के पेड़ों की निष्पक्ष एजेंसी से जांच विडियोग्राफी में करवाई जाये ताकि दोषीगण के खिलाफ कार्यवाही की जाये व गैर कानूनी तरीके से काटे गये खैर के पेड़ व गैर कानूनी तरीके से क्षेत्र में की गई खनन के खनिज की रिकवरी की जा सके। और मान्यवर जी मेरे खिलाफ जो एक साजिश के तहत मुकदमे दर्ज करवाये गये हैं उनकी भी निष्पक्ष जांच करवाई जाये और अब लिखित सभी गैर कानूनी कार्य करने वाले मेरी व मेरे परिवार की जान के दुश्मन बने हुये हैं व मौका पाकर कभी भी मुझे या मेरे परिवार को जान व माल का नुकसान पहुँचा सकते हैं या पूनः किसी झूठे केस में फंसा सकते हैं। मुझ उम्मीद है कि शिकायत पर समय रहते उचित कानूनी कार्यवाही होगी और जांच निष्पक्ष एजेंसी से विडियोग्राफी में करवाई जाये और हथनीकूण्ड बैराज नजदीक ताजेवाला हैड यमुना नदी बांध के पास से लेकर गांव ताजेवाला, कोहलीवाला, देवरधर, मांडेवाला जंगल की पैमाईश करवाई जाये।

नोट:- यदि मेरी किसी भी रहस्यमयी स्थिति में दुर्घटना या मौत होती है तो उसका जिम्मेदार श्री राम स्क्रीनिंग प्लाट, गौरी शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, देव भूमि स्क्रीनिंग प्लाट, जय मां सन्तोषी स्क्रीनिंग प्लाट, जय मा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट(चौधरी स्क्रीनिंग प्लाट), जय शिव शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, जय शिव शक्ति स्क्रीनिंग प्लाट, जय महा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट गांव कोहलीवाला व शिवालिक स्टोन क्वेशर गांव डोईवाला व संदीप पुत्र प्रेमचंद नम्बरदार गांव कोहलीवाला, अमित कुमार पुत्र पवन कुमार गांव छोटा कोहलीवाला, मौजूदा सरंपच श्री मोहन राम पुत्र फूल्ला राम पंचायत भूडकलां, पूर्व सरंपच सुभाष चंद पुत्र श्री पाला राम गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, सुधीर पुत्र सुभाष चंद गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, तत्कालीन माईनिंग अधिकारी श्री गुरजीत सिंह सिधू व डीडीपीओ, जगाधरी, बीडीपीओ छछरौली, ग्राम सचिव भूडकलां, वन विभाग यमुनानगर होंगे।

<Dial 18002666668> <Wear Masks, Stay Safe>

धन्यवाद।

RH538065438IN INR:8272538065438
RL JAGADHRI S.O <135003>
Counter No:1,13/04/2022,14:27
To:JILA UPAYUKT,
PIN:135001, Yamunanagar H.O
From:BALWINDER, ...
Wt:45gms
Amt:32.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666668> <Wear Masks, Stay Safe>



बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लखी राम निवासी
गांव कोहलीवाला, डा0.भूडकलां, तहसील
छछरौली, जिला यमुनानगर
हरियाणा-135001
मो.न.8930440087, 9129205779

दिनांक 06.05.2022

माननीय प्रधानमंत्री महोदय,
भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय:-

गैर कानूनी तरीके से अवैध खनन करने वालो से खनिज के पैसे की रिक्वरी करने व गैर कानूनी खनन करने वालो पर कानूनी कार्यवाही करने व मुझ शिकायतकर्ता की जान-माल की रक्षा व झूठे केस से बचाने बारे।

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन है कि मैं बलिन्द्र कुमार पुत्र लक्खी राम निवासी गांव कोहलीवाला, तहसील छछरौली, जिला यमुनानगर का रहने वाला हूँ।

1. यहकि मेरे गांव कोहलीवाला व माण्डेवाला जो भूडकलां पंचायत मे है इन गांवो की लगभग 156 एकड पंचायती व शामलात भूमि व कैन्द्र सरकार की लगभग 22 एकड जमीन है।
2. यहकि इस भूमि मे सन 2016 से लेकर अब तक गैर कानूनी तरीके से खनन किया जा रहा है और उक्त भूमि पर जो खैर के पेड खडे/लगाये हुये थे वह भी गैर कानूनी तरीके से काट लिये है। इस क्षेत्र मे हुई गैर कानूनी खनन व गैर कानूनी तरीके से काटे गए पेड की एक रिपोर्ट पत्र क्रमांक 3815 दिनांक 14.09.2017 मे खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी छछरौली, जिला यमुनानगर की रिपोर्ट मे स्पष्ट है लेकिन कुछ मिलीभगत अधिकारी जान बूझकर गैर कानूनी खनन करने व गैर कानूनी तरीके से खैर के पेड काटने वाले श्री राम स्क्रीनिंग प्लाट, गौरी शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, देव भूमि स्क्रीनिंग प्लाट, जय मां सन्तोषी स्क्रीनिंग प्लाट, जय मा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट(चौधरी स्क्रीनिंग प्लाट), जय शिव शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, जय शिव शक्ति स्क्रीनिंग प्लाट, जय महा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट गांव कोहलीवाला व शिवालिक स्टोन क्रैशर गांव डोईवाला व संदीप पुत्र प्रेमचंद नम्बरदार गांव कोहलीवाला, अमित कुमार पुत्र पवन कुमार गांव छोटा कोहलीवाला, मौजूदा सरंपच श्री मोहन राम पुत्र फूल्ला राम पंचायत भूडकलां, पूर्व सरंपच सुभाष चंद पुत्र श्री पाला राम गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, सुधीर पुत्र सुभाष चंद गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, तत्कालीन माईनिंग अधिकारी श्री गुरजीत सिंह सिधू व डीडीपीओ, जगाधरी, बीडीपीओ छछरौली, ग्राम सचिव भूडकलां, वन विभाग यमुनानगर की मिलीभगत से से लगभग 90/100 एकड पंचायती जमीन सरकारी भूमि पर 60-70 फुट गहरी खुदाई गैर कानूनी तरीके से खैर के पेड काटकर कर ली गई है। जिसकी मुझ प्रार्थी द्वारा बार-2 विभाग को सूचना दी जा रही है लेकिन भ्रष्टाचार व मिलीभगत के चलते कभी किसी अधिकारी ने कोई कार्यवाही नहीं की बल्कि एक साजिश के तहत दिखावे के लिए छोटा मोटा जुर्माना कर देते है। इस बारे


मैने जानकारी इक्टठा करके लिए जन सूचना अधिकार द्वारा कुछ दस्तावेज प्राप्त किये है जिसमे स्पष्ट है कि उक्त भूमि न तो खुदाई के लिए दी गई और मौका पर खुदाई की गई है और खैर के पेड भी काटे हुये है लेकिन मिलीभगत के चलते केवल एक स्क्रीनिंग प्लाट पर मुकदमा दर्ज कर उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है व अन्य गैर कानूनी खनन करने वालो से मिलीभगत हो करके सरकार की करोडो रूप्ये की भूमि गैर कानूनी तरीके से खुदाई करवा दी है। और जब मैने इसके खिलाफ आवाज उठाइ तो मेरे खिलाफ एक साजिश के तहत झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिये और मुझ पर आगामी कार्यवाही रोकने का दबाव बनाया। लेकिन मैने सरकारी भूमि पर हो रहे गैर कानूनी खनन के खिलाफ अभियान जारी रखा। इस बारे मैने जिला स्तर से लेकर उच्चधिकारियो को कई बारे शिकायते भेजी लेकिन ज बवह शिकायते जांच के लिए जिला व खण्ड स्तर पर लोकल दफतरो मे आई तो उसमे झूठी रिपोर्ट बनाकर गैर कानूनी तरीके से खैर के पेड काटने और अवैध खनन करने वालो को बचाने का कार्य किया गया। इसमे अगर निष्पक्ष जांच विडियो ग्राफी मे करवाई जाये तो सरकारी भूमि से गैर कानूनी तरीके से कटे खैर के पेड व करोडो रूप्ये का खनिज की रिक्वरी श्री राम स्क्रीनिंग प्लाट, गौरी शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, देव भूमि स्क्रीनिंग प्लाट, जय मां सन्तोषी स्क्रीनिंग प्लाट, जय मा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट(चौधरी स्क्रीनिंग प्लाट), जय शिव शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, जय शिव शक्ति स्क्रीनिंग प्लाट, जय महा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट गांव कोहलीवाला व शिवालिक स्टोन क्रैशर गांव डोईवाला व संदीप पुत्र प्रेमचंद नम्बरदार गांव कोहलीवाला, अमित कुमार पुत्र पवन कुमार गांव छोटा कोहलीवाला, मौजूदा सरंपच श्री मोहन राम पुत्र फूल्ला राम पंचायत भूडकलां, पूर्व सरंपच सुभाष चंद पुत्र श्री पाला राम गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, सुधीर पुत्र सुभाष चंद गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, तत्कालीन माईनिंग अधिकारी श्री गुरजीत सिंह सिधू व डीडीपीओ, जगाधरी, बीडीपीओ छछरौली, ग्राम सचिव भूडकलां, वन विभाग यमुनानगर से की जा सकती है। जिसमे हरियाणा सरकार के राजस्व मे बढोतरी होगी व गैर कानूनी तरीके से खैर के पेड काटने व कटवाने और सरकारी भूमि से गैर कानूनी तरीके से खनन करने व करवाने पर भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है।

अतः मान्वर जी, आपसे जनहित व राष्ट्रहित के लिए प्रार्थी अनुरोध करता है कि गांव कोहलीवाला व मांडेवाला पंचायत भूडकलां मे सरकारी/पंचायती/शामलात भूमि पर हुई गैर कानूनी तरीके से हुई खनन व गैर कानूनी तरीके से काटे गये खैर के पेडो की निष्पक्ष एजेंसी से जांच विडियोग्राफी मे करवाई जाये ताकि दोषीगण के खिलाफ कार्यवाही की जाये व गैर कानूनी तरीके से काटे गये खैर के पेड व गैर कानूनी तरीके से क्षेत्र मे की गई खनन के खनिज की रिक्वरी की जा सके। और मान्यवर जी मेरे खिलाफ जो एक साजिश के तहत मुकदमे दर्ज करवाये गये है उनकी भी

निष्पक्ष जांच करवाई जाये और अब लिखित सभी गैर कानूनी कार्य करने वाले मेरी व मेरे परिवार की जान के दुश्मन बने हुये है व मौका पाकर कभी भी मुझे या मेरे परिवार को जान व माल का नुकसान पहुँचा सकते है या पूनः किसी झूठे केस मे फंसा सकते है। मुझ उम्मीद है कि शिकायत पर समय रहते उचित कानूनी कार्यवाही होगी और जांच निष्पक्ष एजेंसी से विडियोग्राफी मे करवाई जाये और हथनीकूण्ड बैराज नजदीक ताजेवाला हैड यमुना नदी बांध के पास से लेकर गांव ताजेवाला, कोहलीवाला, देवरधर, मांडेवाला जंगल की पैमाईश करवाई जाये।

नोट:- यदि मेरी किसी भी रहस्यमयी स्थिति मे दुर्घटना या मौत होती है तो उसका जिम्मेदार श्री राम स्क्रीनिंग प्लाट, गौरी शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, देव भूमि स्क्रीनिंग प्लाट, जय मां सन्तोषी स्क्रीनिंग प्लाट, जय मा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट(चौधरी स्क्रीनिंग प्लाट), जय शिव शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, जय शिव शक्ति स्क्रीनिंग प्लाट, जय महा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट गांव कोहलीवाला व शिवालिक स्टोन क्वैशर गांव डोईवाला व संदीप पुत्र प्रेमचंद नम्बरदार गांव कोहलीवाला, अमित कुमार पुत्र पवन कुमार गांव छोटा कोहलीवाला, मौजूदा सरंपच श्री मोहन राम पुत्र फूल्ला राम पंचायत भूडकलां, पूर्व सरंपच सुभाष चंद पुत्र श्री पालां राम गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, सुधीर पुत्र सुभाष चंद गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, तत्कालीन माईनिंग अधिकारी श्री गुरजीत सिंह सिधू व डीडीपीओ, जगाधरी, बीडीपीओ छछरौली, ग्राम सचिव भूडकलां, वन विभाग यमुनानगर होंगे।

धन्यवाद।



प्रार्थी

बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लखी राम निवासी
गांव कोहलीवाला, डा0.भूडकलां, तहसील
छछरौली, जिला यमुनानगर
हरियाणा-135001

मो.न.8930440087, 9129205779

दिनांक 13/4/2022

- कापी प्रेषित:- 1. माननीय महानिदेशक खान एवं भू विज्ञान
हरियाणा।
2. माननीय राज्य खनन अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान,
हरियाणा,
3. प्रशासनिक सचिव खान एवं भू विज्ञान विभाग,
हरियाणा
4. वन उप महानिदेश (सी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय बे नम्बर 24-25, सैक्टर 31 ए,
दक्षिण मार्ग चंडीगढ़-160030
5. अध्यक्ष, हरियाणा राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण,
BAYS No. 55-58, 1st Floor प्रयातन भवन,
सैक्टर- 2, पंचकूला, हरियाणा।
6. माननीय मुख्यमंत्री,
हरियाणा।
7. माननीय खनन मंत्री
हरियाणा।



सेवा में,

माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी,

भारत सरकार

नई दिल्ली - 110001

विषय:- दरखास्त बाबत पंचायती जमीनो अवैध खनन बारे।

श्रीमान जी,

प्रार्थी निम्नलिखित प्रार्थना करता है:-

1. यहकि मैं प्रार्थी गांव कोहलीवाला, तहसील छछरौली, जिला यमुनानगर का रहने वाला हूँ और अमन पंसद व कानूनप्रिय व्यक्ति हूँ।
2. यहकि गांव कोहलीवाला व माण्डेवाला की पंचायती व शामलात देह की जमीने जोकि 800 कनाल के लगभग है इनमे कुछ लोगो ने अवैध खनन किया है जोकि साल 2014 मे हरियाणा मे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बल्लेवाला जोन को जोकि पिछले कई सालो बंद था। जोकि भारतीय जनाता पार्टी की सरकार ने साल 2016 मे खनन जोन को खोला गया इसमे सरकार ने कुछ गांवो के खेत चिन्हीत किये गये। जिनमे लेबर के साथ खनन का कार्य कर सकते थे।
3. यहकि लेकिन जगाधरी के विधायक श्री कंवर पाल गुर्जर व उसके भाई अशोक कुमार व शिव कुमार निवासी गांव बहादुरपुर, जिला

सेवा में,

माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी,

भारत सरकार

नई दिल्ली - 110001

विषय:- दरखास्त बाबत पंचायती जमीनो अवैध खनन बारे।

श्रीमान जी,

प्रार्थी निम्नलिखित प्रार्थना करता है:-

1. यहकि मैं प्रार्थी गांव कोहलीवाला, तहसील छछरौली, जिला यमुनानगर का रहने वाला हूँ और अमन पंसद व कानूनप्रिय व्यक्ति हूँ।
2. यहकि गांव कोहलीवाला व माण्डेवाला की पंचायती व शामलात देह की जमीने जोकि 800 कनाल के लगभग है इनमे कुछ लोगो ने अवैध खनन किया है जोकि साल 2014 मे हरियाणा मे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बल्लेवाला जोन को जोकि पिछले कई सालो बंद था। जोकि भारतीय जनाता पार्टी की सरकार ने साल 2016 मे खनन जोन को खोला गया इसमे सरकार ने कुछ गांवो के खेत चिन्हीत किये गये। जिनमे लेबर के साथ खनन का कार्य कर सकते थे।
3. यहकि लेकिन जगाधरी के विधायक श्री कंवर पाल गुर्जर व उसके भाई अशोक कुमार व शिव कुमार निवासी गांव बहादुरपुर, जिला

यमुनानगर जिनका शिवालिक स्टोन कैंसर गांव डोईवाला मे मौजूद है व खनन अधिकारी श्री गुरजीत सिंह सिधु व मौजूदा सरपंच व पूर्व सरपंच श्री सुभाष चंद गाव माण्डेवाला, जिला यमुनानगर व अमित कुमार पुत्र श्री पवन कुमार गांव डोईवाला व संदीप कुमार पुत्र श्री प्रेम चंद, नम्बरदार गांव कोहलीवाला व श्री राम स्क्रीनिंग प्लाट, महालक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट, देव भूमि स्क्रीनिंग प्लाट, जय माँ सन्तोषी स्क्रीनिंग प्लाट गांव कोहलीवाला मे मौजूद है इन सब ने मिलकर पंचायती जमीन मे अवैध खनन किया है व इनके साथ कुछ अन्य लोग शामिल है जोकि साल 2014 से पहले और उसके बाद अवैध खननकारीयो व अन्य इनके साथियो की पूरी सम्पति की जांच करवाई जाये व इन्होने अपनी सम्पति कई लोगो के नाम आंयकर से बचने के लिए करवाई है जोकि जोकि 800 कनाल जमीन को लगभग करीब 70/80 फुट गहराई से खुदाई किया है जिसमे कई वर्षो पुराने खैर के पेड भी उखाड दिये गये जिन पेडो की संख्या 15000 के करीब है जब इस जमीन मे खुदाई हो रही थी तब मैने सब विभागो को जिनमे वन विभाग, खनन विभाग, पंचायत विभाग, सी.एम.विण्डो व आपके कार्यालय को भी सूचित किया। जिस पर किसी भी आला अधिकारी ने कोई उचित

463

कार्यवाही नही की व देखते देखते आज यह करीब 400/500 करोड का अवैध खनन हुआ है यदि समय रहते इस मामले की जांच करवाई जाती तो यह जमीने अवैध खनन से बचाई जा सकती थी। जब हमने अवैध खननकारीयो के खिलाफ अवाज उठानी शुरू की तो उल्टा हमारे उपर झूठे मुकदमे बनाने शुरू कर दिये व इसकी भी जानकारी आपको व अन्य विभागो को दी गई लेकिन किसी भी तरह का संज्ञान नही लिया गया।

लिहाजा जनाब से प्रार्थना है कि उपरोक्त अवैध खननकारीयो के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाये और इस मामले को सी.बी.आई. या ई.डी. माध्यम से जांच करवाई जाये। जनाब की अति कृपा होगी।

धन्यावाद।

दिनांक 28.01.2020

प्रधानमंत्री कार्यालय

Prime Minister's Office

Public Grievance Section

रेल भवन, निकट - केन्द्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन
Rail Bhawan, Near Central Sectt. Metro Stn.

011 - 23386447

बलिन्द्र कुमार
28/01/2020 प्रार्थी

बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लखी राम
निवासी गांव कोहलीवाला, डा0.
भूडकलां, तहसील छछरौली, जिला
यमुनानगर हरियाणा-135001

मो.न.8930440087

सेवा में,

श्रीमान उपायुक्त महोदय,
यमुना नगर हरियाणा।

विषय:- दरखास्त बराये किये जाने बारे पंचायत की जमीन पर अवेध खनन बारे शिकायत।

श्रीमान जी,

प्रार्थी जनाब से निम्नलिखित निवेदन करते हैं कि :-

1. यह कि प्रार्थीगण बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लक्खी राम, राजिन्द्र कुमार पुत्र श्री मंगत राम निवासीयान गांव कोहलीवाला, तहसील छछरौली, जिला यमुना नगर के रहने वाले हैं।
2. यह कि हमारे गांव कोहलीवाला व मांडेवाला भुड़कला पंचायत में है जिसकी दोनो गांवो की पंचायती व श्यामलात भूमि लगभग 156 एकड़ है।
3. यह कि इस भूमि में सन् 2016 से लगातार अवेध खनन हो रहा है जो कि श्रीराम स्क्रीनिंग प्लॉट, देव भूमि स्क्रीनिंग प्लॉट, जय माँ लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लॉट, जय माँ संतोषी स्क्रीनिंग प्लॉट व संदीप पुत्र श्री प्रेम चंद, राजबीर पुत्र श्री जय पाल व मौजूदा सरपंच व पूर्वसरपंच व मायनिंग अधिकारी श्री गुरजीत सिंह सिद्दू व बी.डी.पी.ओ. छछरौली व सैक्टरी भुड़कला की मिली भगत से 70-80 एकड़ जमीन 60-70 फुट खुदाई कर दी है और इसकी लगातार सन् 2016 से हर एक विभाग को शिकायत दर्ज कराई जिसकी पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई अगर कार्रवाई हुई है तो छोटे मोटे जुर्माने करके दिखाने के लिए कर दिये।
4. यह कि बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लक्खी राम ने लगातार 23 बार आर.टी.आई लगाई व दो बार सी.एम.विण्डो पर शिकायत दर्ज कराई व किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है।
5. यह कि जो लोग खनन कारियो के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते है उनके खिलाफ झुटे मुकदमें दर्ज करा दिये जाते है व आज दिनांक 14.09.2018 को हमने शिकायत दर्ज कराई तो हमारे खिलाफ पिछली तारीख में मुकदमा दर्ज करवा देते है जो कि बहुत बड़ा राजनितिक संडयंत्र के तहत ये सब करते है।
6. यह कि मांगा राम पुत्र श्री प्रेम चंद व सोनू पुत्र प्रेम चंद व अपने स्क्रीनिंग प्लॉट पर एच.एम.व डम्फरो द्वारा चार दिन पहले लगातार खुदाई कर रहे है जो कि ग्राम मांडेवाले

अक्षय
14/9/18

HCP

1574
17/09/18



465

के निवासी है इन सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जावे और पंचायत की जमीन पर अवेध खनन पर रोक लगाई जाये।

अतः- जनाब से प्रार्थना है कि उक्त खनन कारियो के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जावे। व भविष्य में अवेध खनन न हो। आपकी अति कृपा होगी।

धन्यवाद।

दिनांक:-14-9-2018

 प्रार्थीगण 

बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लक्खी राम, राजिन्द्र कुमार
पुत्र श्री मंगत राम निवासीयान गांव कोहलीवाला,
तहसील छछरौली, जिला यमुना नगर।

मों.9813341240 राजिन्द्र कुमार,

मों.8930440087 बलिन्द्र कुमार,

सेवा में,

466

श्रीमान जिला उपायुक्त महोदय,

यमुनानगर।

विषय:-


अपीलीय अथोरटी अण्डर राईट टू इन्फोरमेशन एक्ट ए

2005। प्रथम अपील जिला उपायुक्त महोदय, यमुनानगर

श्रीमान जी,

प्रार्थी/अपीलार्थी आपकी सेवा में निम्नलिखित प्रार्थना करता है:-

1. यहकि प्रार्थी/अपीलार्थी ने दरखास्त दिनांक 27.10.2017 को बी.डी.पी. ओ. साहब, छछरौली व वन विभाग, यमुनानगर, खनन विभाग, यमुनानगर, प्रदूषण विभाग, यमुनानगर, ग्राम पंचायत भूडकलां को दरखास्त मे वर्णित सूचना पाने हेतू दी थी और दिनांक 10.04.2018 The Public Information Officer माननीय खनन अधिकारी, यमुनानगर से कई बार सूचनो मांगी जिसका पोस्टल आर्डर न. 44F401729 dt. 10-04-2018, 44F402463 dt. 20-05-2018, 53F579953 dt. 13-04-2022, 57F822844 dt. 25-05-2022, 53F579952 dt. 13-04-2022.
2. The Public Information Officer माननीय खण्ड एवं विकास एवं पंचायत अधिकारी, डी.डी.पी.ओ. जगाधरी-यमुनानगर से कई बार सूचनाए मांगी जिसका पोस्टल आर्डर न.44F404138 dt. 14-09-2018, 53F579950 dt. 13-04-2022, EH291906529 dt. 06-05-2022.
3. The Public Information Officer माननीय खण्ड एवं विकास एवं पंचायत अधिकारी, बी.डी.पी.ओ. छछरौली-प्रताप नगर कई बार सूचनाए मांगी दिनांक 27.07.20217, पोस्टल आर्डर न.44F402136 dt. 03-05-2018, 44F404140 dt. 29-09-2018, 44F402006 dt. 14-04-2022, 53F579951 dt. 13-04-2022 & 23-05-2022 लेकिन उपरोक्त किसी भी विभाग द्वारा हमारे द्वारा मांगी गई सूचनाए नही दी गई। इसके बाद मैने दिनांक 13.04.2022 को उपरोक्त सभी विभाग मे अपने द्वारा मांगी गई सूचनाओ के सर्द्रभ मे एक-एक रिमाईन्डर भेजा था। लेकिन




467
प्रार्थी/अपीलार्थी को कोर्ट से प्राप्त नहीं हुआ। जिसकी जवाबदेही माननीय खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, डी.डी.पी.ओ. जगाधरी-यमुनानगर व खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बी.डी.पी.ओ. छछरौली-प्रताप नगर, वन विभाग, यमुनानगर, खनन अधिकारी, यमुनानगर की बनती है इसलिए अपीलार्थी आपके पास उपरोक्त The Public Information Officer माननीय खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, डी.डी.पी.ओ. जगाधरी-यमुनानगर व खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बी.डी.पी.ओ. छछरौली-प्रताप नगर, वन विभाग, यमुनानगर, खनन अधिकारी, यमुनानगर के खिलाफ आर.टी.आई. के तहत अपील कर रहा है।

इसलिए जनाब से प्रार्थना है कि The Public Information Officer माननीय खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, डी.डी.पी.ओ. जगाधरी-यमुनानगर व खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बी.डी.पी.ओ. छछरौली-प्रताप नगर, वन विभाग, यमुनानगर, खनन अधिकारी, यमुनानगर के खिलाफ आर.टी.आई. के सैक्शन 20 के तहत कार्यावाही जुर्माना किया जावे और मुझ अपीलार्थी को मांगी गई सूचनाओं की सत्यापित कापी दी जावें। जनाब की अति कृपा होगी।

धन्यावाद।

दिनांक 07.06.2022



प्रार्थी

बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लखी राम निवासी
गांव कोहलीवाला, तहसील छछरौली, डा.
भूडकलां, जिला यमुनानगर।

मोबाईल न.9129205779, 8930440087

पिन नं0 135106

कॉपी - ② सेवा में,

जिला उपायुक्त महोदय,
यमुनानगर।

विषय :- गैर कानूनी तरीके से अवैध खनन करने वालों से खनिज के पैसे की रिक्वरी करने व गैर कानूनी खनन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने व मुझ शिकायतकर्ता की जान-माल की रक्षा व झूठे केस से बचाने बारे।

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन है कि मैं बलविन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मी राम निवासी गांव कोहलीवाला तहसील छछरौली जिला यमुनानगर का रहने वाला हूं।

1- यह कि मेरे गांव कोहलीवाला व माण्डेवाला जो भुडकलां पंचायत में है। इन दोनों गांवों की लगभग 156 एकड़ पंचायती व शामलात भूमि है।

2- यह कि इस भूमि में सन-2016 से लेकर गैर कानूनी तरीके से खनन किया जा रहा है और उक्त भूमि पर जो खैर के पेड़ खड़े/लगाए हुए थे वह भी गैर कानूनी तरीके से काट लिए हैं। इस क्षेत्र में हुई गैर कानूनी खनन व गैर कानूनी तरीके से काटे गए पेड़ की एक रिपोर्ट पत्र क्रमांक 3815 दिनांक 14.09.2017 में खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी छछरौली की रिपोर्ट में स्पष्ट है लेकिन कुछ मिली भगत अधिकारी जान बुझकर गैरकानूनी खनन करने व गैर कानूनी तरीके से खैर के पेड़ काटने वाले श्रीराम स्क्रीनिंग प्लांट, देवभूमि स्क्रीनिंग प्लांट, जयमां लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लांट, शिवालिक स्टोन केशर (मालिक शिव कुमार गांव छोई वाला), जय मां सन्तोषी स्क्रीनिंग प्लांट व सन्दीप पुत्र प्रेमचन्द नम्बरदार गांव कोहलीवाला व निवर्तमान सरपंच मोहन राम गांव कोहलीवाला, पूर्व सरपंच सुभाष चन्द पुत्र श्री पाला राम, अमित कुमार पुत्र श्री पवन कुमार गांव कोहलीवाला, तत्कालीन माइनिंग अधिकारी गुरजीत सिंह व बीडीपीओ छछरौली, ग्राम सचिव भुडकलां की मिलीभगत से लगभग 90/100 एकड़ पंचायती सरकारी भूमि पर 60-70 फुट गहरी खुदाई गैर कानूनी तरीके से खैर के पेड़ काटकर कर ली गई है। जिसकी मुझ प्रार्थी द्वारा बार-बार विभाग को सूचना दी जा रही है लेकिन भ्रष्टाचार व मिलीभगत के चलते कमी किसी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि एक साजिश के तहत दिखावे के लिए छोटा-मोटा जुर्माना कर देते हैं। इस बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जन सूचना अधिकार द्वारा कुछ दस्तावेज प्राप्त किए जिसमें यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि न तो खुदाई के लिए दी गई और भौका पर खुदाई की गई है और खैर के पेड़ भी काटे हुए हैं लेकिन मिलीभगत के चलते केवल एक स्क्रीनिंग प्लांट पर मुकदमा दर्ज कर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई व अन्य गैर कानूनी खनन करने वालों से मिलीभगत हो करके सरकार की करोड़ों रूप की भूमि गैर कानूनी तरीके से खुदाई करवा दी है। और जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो मेरे खिलाफ एक साजिश के तहत झूठे मुकदमें दर्ज करवा दिए और मुझ पर आगामी कार्रवाई रोकने का दबाव बनाया लेकिन मैंने सरकारी भूमि पर हो रहे गैर कानूनी खनन के खिलाफ अभियान जारी रखा। इस बारे में जिला स्तर से लेकर उच्चाधिकारियों को कई बार शिकायतें भेजी लेकिन जब वह शिकायतें जांच के लिए जिला व खण्ड स्तर पर लोकल दफतरों में आईं तो उसमें झूठी रिपोर्टें बनाकर गैर कानूनी तरीके से खैर

के पेड़ काटने और अवैध खनन करने वालों को बचाने का कार्य किया गया। इसमें अगर निष्पक्ष जांच विडियो ग्राफी में करवाई जाए तो सरकारी भूमि से गैर कानूनी तरीके से कटे खैर के पेड़ व करोड़ों रूपए का खनिज की रिक्वरी श्रीराम स्क्रीनिंग प्लांट, देवभूमि स्क्रीनिंग प्लांट, जयमां लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लांट, शिवालिक स्टोन क्रेशर (मालिक शिव कुमार गांव ठोई वाला), जय मां सन्तोषी स्क्रीनिंग प्लांट व सन्दीप पुत्र प्रेमचन्द नम्बरदार गांव कोहलीवाला व निवर्तमान सरपंच मोहन राम गांव कोहलीवाला, पूर्व सरपंच सुभाष चन्द पुत्र श्री पाला राम, अमित कुमार पुत्र श्री पवन कुमार गांव कोहलीवाला, तत्कालीन माइनिंग अधिकारी गुरजीत सिंह व बीडीपीओ छछरीली, ग्राम सचिव भूडकलां से की जा सकती है जिससे हरियाणा सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी व गैर कानूनी तरीके से खैर के पेड़ काटने व कटवाने और सरकारी भूमि से गैर कानूनी तरीके से खनन करने व करवाने पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकेगी।

अतः मान्यवर जी, आपसे जनहित व राष्ट्रहित के लिए प्रार्थी अनुरोध करता है कि गांव कोहलीवाला व मांडेवाला पंचायत भूडकलां में सरकारी/पंचायती/शामलात भूमि पर हुई गैर कानूनी तरीके से हुई खनन व गैर कानूनी तरीके से काटे गए खैर के पेड़ों की निष्पक्ष एजेंसी से जांच विडियोग्राफी में करवाई जाए ताकि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए व गैर कानूनी तरीके से काटे गए खैर के पेड़ व गैर कानूनी तरीके से क्षेत्र में की गई खनन के खनिज की रिक्वरी की जा सके और मान्यवर जी मेरे खिलाफ जो एक साजिश के तहत मुकदमें दर्ज करवाए गए हैं उनकी भी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और अब उपरोक्त लिखित सभी गैर कानूनी कार्य करने वाले मेरी व मेरे परिवार की जान के दुष्मन बने हुए हैं व मौका पाकर कभी भी मुझे या मेरे परिवार को जान माल का नुकसान पहुंचा सकते हैं या पूनः किसी झूठे केस में फंसा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि शिकायत पर समय रहते उचित कानूनी कार्रवाई होगी और जांच निष्पक्ष एजेंसी से विडियो ग्राफी में करवाई जाएगी।

नोट :- यदि मेरी किसी भी रहस्यमयी स्थिति में दुर्घटना या मौत होती है तो उसका जिम्मेदार श्रीराम स्क्रीनिंग प्लांट, देवभूमि स्क्रीनिंग प्लांट, जयमां लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लांट, शिवालिक स्टोन क्रेशर (मालिक शिव कुमार गांव ठोई वाला), जय मां सन्तोषी स्क्रीनिंग प्लांट व सन्दीप पुत्र प्रेमचन्द नम्बरदार गांव कोहलीवाला व निवर्तमान सरपंच मोहन राम गांव कोहलीवाला, पूर्व सरपंच सुभाष चन्द पुत्र श्री पाला राम, अमित कुमार पुत्र श्री पवन कुमार गांव कोहलीवाला, तत्कालीन माइनिंग अधिकारी गुरजीत सिंह व बीडीपीओ छछरीली, ग्राम सचिव भूडकलां और मौजूदा खनन अधिकारी यमुनानगर होंगे।

धन्यवाद।

दिनांक

प्रार्थी
बलविन्द्र कुमार पुत्र लक्खी राम

निवासी गांव कोहलीवाला

तहसील छछरीली जिला यमुनानगर

मो. 9129205779

सलंगन :-

1- पत्र क्रमांक 3815 दिनांक 14.09.2017 लफ है।

सेवा में,

470

श्रीमान पंचायत निदेशक,

पंचकूला, हरियाणा।

विषय:-

पंचायती जमीनो मे हो रहे अवैध खनन की जांच करने बारे प्रार्थना पत्र।

श्रीमान जी,

प्रार्थी आपकी सेवा में निम्नलिखित प्रार्थना करता है:-

1. यहकि यहकि गांव कोहलीवाला व माण्डेवाला, तहसील छछरौली, जिला यमुनानगर मे पंचायती व शामलात देह की जमीन है जोकि लगभग 150-156 एकड के करीब है।
2. यहकि उपरोक्त गांव कोहलीवाला व माण्डेवाला, तहसील छछरौली, जिला यमुनानगर मे साल 2014 से 2018 तक लगभग 70 एकड जमीन की खुदाई, 60 फुट गहराई तक की गई है और उपरोक्त गांवो की जमीन मे जोकि वन विभाग के बहुत पुराने खैर के करीब 8-10 हजार पेट भी अवैध खनन के दौरान तोड दिये गये और इस जमीन को पुरी तरह से खुदाई कर दिया गया।
3. यहकि जब इसकी शिकायत हमने पंचायत अधिकारी श्री गगनदीप सिंह, डीडीपीओ जगाधरी व बीडीपीओ, छछरौली व खनन अधिकारी श्री गुरजीत सिंह सिधु से दिनांक 29.08.2017 को की। लेकिन अब तक अवैध खननकारीयों के खिलाफ कोई भी विभागीय कार्यवाही नही हुई है और इस बारे मैने जिला उपायुक्त को भी शिकायत की।
4. यहकि आज तक मैने करीब 25-30 बार पंचायत अधिकारीयो व अन्य संबंधित विभाग को इस बारे सूचित किया लेकिन किसी भी अधिकारी ने

मेरी शिकायत/सूचना पर कोर्ट कार्यवाही अवैध खननकारीयो के खिलाफ
471
नही की और उल्टा मेरे ही खिलाफ अवैध खननकारीयो ने पंचायत
अधिकारी व खनन अधिकारी श्री गुरजीत सिंह सिधु से मिलीभक्त करके
एक मुकदमा न.90 दिनांक 30.05.2018 अधीन धारा 21 (4) माईनस
एण्ड मिनरल एक्ट, 1957 व 379 आईपीसी पुलिस थाना खिजराबाद मे
दर्ज करवा दिया। ताकि मैं प्रार्थी उपरोक्त अधिकारीयो व अवैध
खननकारीयो के खिलाफ आगे की कार्यवाही ना कर सकू।

5. यहकि मैने दिनांक 29.08.2016 से लेकर दिनांक 09.09.2017, 29.
08.2017 व 25.09.2017, 14.09.2018 अब तक लगातार संबंधित
अधिकारीयो को दरखास्तो के माध्यम से सूचित कर रहा हूँ।

6. यहकि देखते ही देखते आज दिनांक 02.09.2020 तक उपरोक्त गांव
कोहलीवाला व माण्डेवाला की पूरी पंचायती जमीन को 60 फुट गहराई
से खुदाई कर लिया गया है और इस जमीन मे जो खैर के पेड जिनकी
संख्यां करीब 8-10 हजार थी वह भी गैरकानूनी तरिये से तोड दिये गये
और उपरोक्त गांवो की पूरी पंचायती जमीन जिसमे पंचायत अधिकारी,
डीडीपीओ श्री गगनदीप जी व खनन अधिकारी श्री गुरजीत सिंह सिधु
जी व माननीय विधायक के भाईयो अशोक कुमार व शिवकुमार जिनका
शिवालिक स्टोन क्रेसर, डोईवाला मे स्थित है और श्री राम स्क्रीनिंग
प्लांट, जय महालक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लांट, जय माँ संतोषी स्क्रीनिंग प्लांट
व देवभूमि स्क्रीनिंग प्लाट जोकि गांव कोहलीवाला की पंचायती जमीन मे
मौजूद है व अमित कुमार पुत्र श्री शताब सिंह, संदीप कुमार पुत्र श्री


472

प्रेम चंद, राजबीर पुत्र जय पाल व अन्य लोगो ने मिलकर आज दिनांक 02.09.2020 को करीब 150 एकड पंचायती जमीन को पूरी तरह से 60 फुट गहराई तक खुदाई कर दिया लेकिन किसी भी अधिकारी ने उपरोक्त लोगो के खिलाफ कोई किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की है और गांव कोहलीवाला व माण्डेवाला, जिला यमुनानगर के पूर्व सरपंच श्री सुभाष चंद पुत्र पाला राम व मौजूदा सरपंच मोहन राम जोकि पूर्व सरपंच का घरेलू नौकर है जोकि आरक्षित सीट होने की वजह से आज पूर्व सरपंच की बदौलत मौजूदा सरपंच है।

इसलिए जनाब से प्रार्थना है उपरोक्त अवैध खननकारीयो व संबंधित अधिकारीयो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये। ताकि पंचायती जमीन से करीब 400 करोड के करीब का घौटाला हुआ है उसका पता चल सके और उन जमीनो का दोबारा भराव किया जाये व उपरोक्त गांवो कोहलीवाला व माण्डेवाला को अवैध खनन से बचाया जाये। जनाब की अति कृपा होगी।

धन्यावाद।

दिनांक 29/9/2020



प्रार्थी


बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लखी राम निवासी
गांव कोहलीवाला, तहसील छछरौली, डा.
भूडकलां, जिला यमुनानगर।

मोबाईल न.9129205779, 8930440087
पिन नं0 135106

473

सेवा में

श्रीमान अमिताभ सिंह दिल्ली जी
आई.पी.एस.
खनन विभाग हरियाणा
चण्डीगढ़।



DIRECTOR MINES
22/11/2019

विषय: - नाजायज माईनिंग की शिकायत करने बारे।

श्रीमान जी

निवेदन है कि मैं बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी राम ग्राम कोलीवाली पंचायत भुडकला, जिला यमुनानगर हरियाणा का वासी हूँ। यह कि मेरे गांव कोलीवाला व माडेवाला में पंचायती जमीन है जो कि कोलीवाला 800 कनाल माडेवाला 750 कनाल के लगभग है। यह सब अवैध खननकारियों द्वारा पूरी तरह से खुदाई कर दी गई है जिसमें कि श्री गुरजीत सिंह सिद्धू व गांव के मौजूदा सरपंच व पूर्व श्री सुभाष चन्द व अमित कुमार पुत्र श्री पवन कुमार गांव डोईवाला व विधायक श्री कंवर पाल जी गुर्जर उसके भाई अशोक कुमार व शिव कुमार जिनका स्टोन क्रैशर शिवालिक स्टोन क्रैशर डोईवाला व सन्दीप कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द लम्बरदार व राजबीर पुत्र श्री जयपाल व देवभूमि सक्रिनिंग प्लांट व जय मां संतोषी सक्रिनिंग प्लांट, श्रीराम सक्रिनिंग प्लांट तथा मां लक्ष्मी सक्रिनिंग प्लांट ग्राम कोलीवाला ने मिलकर पूरी जमीनों की नाजायद खुदाई कर दी है जिसमें 30 वर्ष पहले के खैर के पुराने पेड़ जिनकी संख्या 15000 के लगभग थी, काट दिये जिसकी शिकायत वन विभाग, माईनिंग विभाग, पंचायत विभाग, पालूयशन विभाग, सी.एम. विन्डो आदि में कई बार दी गई थी परन्तु किसी तरह की कोई भी कार्यवाही आज नहीं की गई। व हमारे पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिये गये।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त दशाई स्थिति की जांच किसी उच्च अधिकारी से निष्पक्ष करवाने की कृपा की जाये व दोषियों के विरुद्ध कानूनी तथा विभागी कार्यवाही की जाये। आपकी अति कृपा होगी।

धन्यवाद सहित।

भवदीय
बलिन्द्र कुमार

दिनांक: 22.11.2019

(बलिन्द्र कुमार)
पुत्र श्री लक्ष्मी राम
ग्राम कोलीवाली पंचायत भुडकला,
जिला यमुनानगर हरियाणा।
फोन नं. 8930440087

474

प्रारूप-क

(देखिये नियम-3-1)

सेवा में,

राज्य लोक सुचना अधिकारी,
राज्य सहायक लोक सुचना अधिकारी,

श्रीमान अमिताभ सिंह ढिल्लो जी (IPS),
निदेशक खनन विभाग
चण्डीगढ, हरियाणा

(पता सहित कार्यालय का नाम)

1-आवेदक का नाम

बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लखी राम

2-पता

निवासी गांव कोहलीवाला, तहसील छछरौली,
डा. भूडकलां, जिला यमुनानगर। पिन नं०
135106

3-सुचना(आपेक्षित ब्यौरा)

1. यहकि दिनांक 22.11.2019 को मैने आपके कार्यालय मे गांव कोहलीवाला, माण्डेवाला की पंचायती व शामलात देह की जमीन 1500 कनाल पर अवैध खनन को रोकने बारे व जुर्माना लगवाने व खैर के कई वर्षो पुराने पेड जिनकी सख्या करीब 15000 है जो अवैध खनन के दौरान उखाडे गये थे इनकी जांच करने बारे दरखास्त दी थी उस पर क्या विभागीय कार्यवाही की गई मुझ प्रार्थी को इसकी तसदीकपूर्ण शुद्धा जानकारी दी जाये।

क-सुचना की विषय वस्तु

ख-आपेक्षित सुचना की वर्णन

ग-अवधि जिससे सुचना सम्बंधित है।

घ-क्या सुचना डाकद्वारा या व्यक्तिगत रूप

में आपेक्षित है।


डाकद्वारा

(वास्तविक डाक प्रभार अतिरिक्त फीस में शामिल होंगे)

ड-डाक की दशा में (सामान्य रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट)

दिनांक:- 03/02/2020....

स्थान:- जयपुरी.....



आवेदक के हस्ताक्षर

पोस्टल आर्डर नं० 49F.826329.....दिनांक 03/02/2020 मु० 10 रुपये का लफ है।

प्राप्ति

श्रीमान.....जी आपका आवेदन दिनांक डायरी

संख्या.....दिनांक.....द्वारा प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर

श्रीमान अमिताभ सिंह डिल्लो जी (IPS),
निदेशक खनन विभाग,
चण्डीगढ़, हरियाणा।

विषय:-
श्रीमान जी,

दरखास्त बाबत किये जाने निष्पक्ष जांच।

प्रार्थी निम्नलिखित प्रार्थना करता है:-

1. यहकि मैं प्रार्थी गांव कोहलीवाला, तहसील छछरौली, जिला यमुनानगर का रहने वाला हूँ और अमन पंसद व कानूनप्रिय व्यक्ति हूँ।
2. यहकि दिनांक 22.11.2019 को मैंने एक दरखास्त गांव कोहलीवाला, माण्डेवाला की पंचायती व शामलात देह की जमीन जिसमे गांव कोहलीवाला की 800 कनाल व माण्डेवाला गांव की 750 कनाल पर हो रहे अवैध खनन की जांच करने बारे व उपरोक्त गांव की जमीनो मे अवैध खनन के दौरान उखाड़े गये कई वर्षो पुराने खैर के पेड जिनकी संख्या करीब 15000 है उखाड़ने वालो पर जुर्माना लगवाने बारे दी थी। जिस पर विभागीय कार्यवाही के दौरान जांच के लिए खनन विभाग के सहायक अभियंता श्री राजेश सहरावत व खनन विभाग की टीम मे रमेश कुमार, नारायण सिंह व रमेश फौजी आदि ने मौका किया व दौराने तफतीस मुझ प्रार्थी की शिकायत को सही पाई गई।
3. यहकि मौका के दौरान जिन लोगो के व जिन स्क्रीनिंग प्लाटो व स्टोन क्वेशर के खिलाफ मैं प्रार्थी पिछले 4 सालो से लगातार संबंधित विभागो को शिकायते व सूचना दे रहा हूँ इनके खिलाफ राजनीतिक दबाव के कारण आज तक कोई कार्यवाही नही हुई व दिनांक 31.01.2020 को दैनिक भास्कर, जगाधरी अखबार मे खबर आती है कि बलिन्द्र कुमार निवासी गांव कोहलीवाला की शिकायत जोकि चण्डीगढ विभाग के उच्च अधिकारीयो को लिखित मे शिकायत दी गई थी। लेकिन खनन विभाग की टीम ने मौका पर शिव दयाल पुत्र श्री महिन्द्र सिंह व सेठ पाल पुत्र आत्मा राम के खिलाफ अवैध खनन करने बारे मुकदमा दर्ज किया व पिछले 4 सालो से जिन लोगो के खिलाफ मैं प्रार्थी शिकायते व सूचना दे रहा हूँ उनके खिलाफ आज तक कोई मुकदमा दर्ज नही किया गया। जबकि मैंने शिव दयाल पुत्र श्री महिन्द्र सिंह व सेठ पाल पुत्र आत्मा राम के खिलाफ कोई दरखास्त आज तक नही की।
4. यहकि मुझ प्रार्थी ने पंचायती व शामलात देह की जमीन गांव कोहलीवाला, माण्डेवाला पंचायत भूडकलां मे हो रहे अवैध खनन के बारे मे दिनांक 26.07.2017 को बी.डी.पी.ओ. कार्यालय, छछरौली व दिनांक 27.07.2017 को वन विभाग कार्यालय, जगाधरी व दिनांक 24.07.2017 को खनन अधिकारी, यमुनानगर को शिकायत की लेकिन कोई कार्यवाही ना हुई।
5. यहकि फिर मैंने दिनांक 09.09.2017 को बी.डी.पी.ओ. कार्यालय, छछरौली मे आरटीआई से सूचना मांगी जिसका पोस्टल ऑर्डर न.49एच.510378 है व मैंने वन विभाग से आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी जिसका पोस्टल ऑर्डर न.49एच.510380 है व मेने खनन अधिकारी, यमुनानगर से भी सूचना मांगी जिसका पोस्टल ऑर्डर न.92जी.607609 है लेकिन इन सब पर मुझ प्रार्थी को कोई सूचना नही दी गई व बी.डी.पी.ओ. कार्यालय, छछरौली ने दिनांक 14.09.2017 को पंचायती जमीनो का दौरा किया व तो वहां पर अवैध खनन होना पाया गया व तीस वर्षो पुराने खैर के पेड भी अवैध रूप से उखाड़े पाये गये। जिसकी एवेज मे बी.डी.पी.ओ. कार्यालय, छछरौली ने एक स्क्रीनिंग प्लाट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया व खैर के पेडो का भी


- मुकदमा दर्ज किया व जब तक यह जमीने सिर्फ 8 कनाल के लगभग खुदाई हुई थी।
6. यहकि मैने खनन अधिकारी व अन्य संबंधित विभागो को लगातार आरटीआई के माध्यम से करीब 20/22 बार सूचना मांगी लेकिन मुझे किसी भी विभाग के द्वारा कोई सूचना नही दी गई।
 7. यहकि फिर मैने दिनांक 14.09.2018 को जिला उपायुक्त, यमुनानगर को भी एक लिखित दरखास्त दी। जिस पर जिला उपायुक्त ने दिनांक 21.10.2018 को मौका मुआईना किया। जोकि उपायुक्त महोदय इतने बडे पैमाने पर अवैध खनन को देखकर चोक गये व उन्होने भूडकलां पंचायत मे हो रहे अवैध खनन को भूडकलां गांव की 433 कनाल कोहलीवाला गांव की 607 कनाल डोईवाला गांव की 41 कनाल माण्डेवाला गांव की 709 कनाल व ताजेवाला गांव की 19 कनाल पंचायती व शामिलत देह की जमीनो मे अवैध खनन होना पाया गया व दिनांक 22.10.2018 को संबंधित विभागो को उपायुक्त महोदय श्री गिरीश अरोडा जी ने उपरोक्त जमीनो मे हो रहे अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया।
 8. यहकि दिनांक 29.10.2018 को उपायुक्त महोदय ने मौजूदा सरपंच को उसके पद से सस्पेंड किया व पूर्व सरपंच श्री सुभाष चंद पुत्र श्री पाला राम गांव माण्डेवाला, यमुनानगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ज्ञात रहे कि मौजूदा सरपंच पूर्व सरपंच का घरेलू नौकर है व आरक्षित सीट होने की वजह से पूर्व सरपंच चुनाव नही लड पाया था व कुछ समय बाद जगाधरी विधानसभा से विधायक श्री कंवर पाल गुर्जर ने सस्पेंड हुये सरपंच को दोबारा बहाल करवाया।
 9. यहकि दिनांक 14.02.2019 को उपायुक्त महोदय श्री गिरीश अरोडा जी ने पत्रकार वार्ता मे कहा कि मुझे मलाल रहेगा कि मैं अवैध खनन व आवरलोडींग को नही रोक पाया व जिला यमुनानगर मे 2016 से लेकर अब तक हर वर्ष 311 मौते सडक दुर्घटना मे हुई है जोकि ट्रको व डम्परो के द्वारा हुई है। जिनमे खनन सामग्री होती है।
 10. यहकि फिर मुझ प्रार्थी ने सी.एम.विण्डो मे दो बार शिकायत दर्ज करवाई व दिनांक 01.08.2018 को प्रधानमंत्री कार्यालय मे भी एक दरखास्त दी। जिस पर कोई कार्यवाही आज तक नही हुई व मुझ प्रार्थी पर दिनांक 30.05.2018 को सरपंच गांव माण्डेवाला व खनन अधिकारी श्री गुरजीत सिंह सिधू द्वारा एक मुकदमा दर्ज करवाया व एक मुकदमा ओम प्रकाश ए.एस.आई., थाना छछरौली, जिला यमुनानगर मे भी दर्ज करवाया जोकि झूठे तथ्यो पर आधारित मुकदमे है और जिस दौरान यह मुकदमे मुझ प्रार्थी के खिलाफ दर्ज हुये थे उन दिनो मैं प्रार्थी श्री कैदारनाथ, उतराखण्ड के सोनप्रयाग मे गंगा नदी मे ब्लाक भरने का कार्य कर रहा था। जोकि मेरे पास कैदारनाथ जी का रजिस्ट्रेशन भी है। इस आधार पर उपरोक्त मुकदमे झूठे है।
 11. यहकि आज दिनांक 30.01.2020 तक उपरोक्त गांव कोहलीवाला व माण्डेवाला मे लगभग 1500 कनाल जमीन पर अवैध खनन हो चुका है व इन जमीनो पर कई वर्षो पुराने खैर के पेड जिनकी सख्या 15000 हजार के करीब थी वह भी अवैध रूप से उखडवा दिये है।
 12. यहकि जगाधरी विधानसभा से विधायक श्री कंवर पाल गुर्जर उसके भाई अशोक कुमार व शिव कुमार जिनका शिवालिक स्टोन कैंशर डोईवाला व श्री राम स्क्रीनिंग प्लाट, देव भूमि स्क्रीनिंग प्लाट, महालक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट, जय माँ सन्तोषी स्क्रीनिंग प्लाट व संदीप कुमार, नम्बरदार पुत्र श्री प्रेम चंद निवासी गांव कोहलीवाला, जिला यमुनानगर व अमित कुमार पुत्र पवन कुमार गांव डोईवाला, जिला यमुनानगर व मौजूदा सरपंच व पूर्व सरपंच सुभाष चंद

पुत्र श्री पाला राम गांव माण्डेवाला, जिला यमुनानगर व खनन विभाग, पंचायत विभाग, वन विभाग व अन्य संबंधित विभागों से मिलीभक्त से करीब 400/500 करोड़ रुपये का खनन घौटाला हुआ है अगर समय रहते दिये हुये सूचनाओं पर कार्यवाही होती तो इस अवैध खनन को रोका जा सकता था। यहां पर यह बात भी बताने योग्य है कि अवैध खननकारीयों व विधायक जगाधरी के भाईयों ने अपनी सम्पत्ति को आयकर से बचने के लिए अन्य लोगों के नाम किया हुआ है उसकी भी जांच करवाई जाये।

13. यहकि मुझ प्रार्थी ने जिन लोगों व स्क्रीनिंग प्लाटो व स्टोन क्वेशर के खिलाफ शिकायत की है जोकि आज भी पंचायती व शामलात देह मे से चल रहे है उनके खिलाफ विभागीय जांच करके कानूनी कार्यवाही की जाये व मुकदमा दर्ज किया जाये व जितनी जमीन अवैध रूप से खुदाई की गई है उसी हिसाब से अवैध खननकारीयों पर जुर्माना लगाया जाये।

धन्यावाद।

दिनांक 03/02/2020



प्रार्थी

बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लखी राम निवासी गांव
कोहलीवाला, डा0.भूडकलां, तहसील छछरौली,
जिला यमुनानगर हरियाणा-135001
मो.न.8930440087

सेवा में,

श्रीमान पंचायत निदेशक,
478

पंचकूला, हरियाणा।

विषय:-

पंचायती जमीनो मे हो रहे अवैध खनन की जांच करने बारे
प्रार्थना पत्र।

श्रीमान जी,

प्रार्थी आपकी सेवा में निम्नलिखित प्रार्थना करता है:-

1. यहकि यहकि गांव कोहलीवाला व माण्डेवाला, तहसील छछरौली, जिला यमुनानगर मे पंचायती व शामलात देह की जमीन है जोकि लगभग 150-156 एकड के करीब है।
2. यहकि उपरोक्त गांव कोहलीवाला व माण्डेवाला, तहसील छछरौली, जिला यमुनानगर मे साल 2014 से 2018 तक लगभग 70 एकड जमीन की खुदाई, 60 फुट गहराई तक की गई है और उपरोक्त गांवो की जमीन मे जोकि वन विभाग के बहुत पुराने खैर के करीब 8-10 हजार पेट भी अवैध खनन के दोरान तोड दिये गये और इस जमीन को पुरी तरह से खुदाई कर दिया गया।
3. यहकि जब इसकी शिकायत हमने पंचायत अधिकारी श्री गगनदीप सिंह, डीडीपीओ जगाधरी व बीडीपीओ, छछरौली व खनन अधिकारी श्री गुरजीत सिंह सिधु से दिनांक 29.08.2017 को की। लेकिन अब तक अवैध खननकारीयो के खिलाफ कोई भी विभागीय कार्यवाही नही हुई है और इस बारे मैने जिला उपायुक्त को भी शिकायत की।
4. यहकि आज तक मैने करीब 25-30 बार पंचायत अधिकारीयो व अन्य संबंधित विभाग को इस बारे सूचित किया लेकिन किसी भी अधिकारी ने

मेरी शिकायत/सूचना पर कोई कार्यवाही अवैध खननकारीयो के खिलाफ नहीं की और उल्टा मेरे ही खिलाफ अवैध खननकारीयो ने पंचायत अधिकारी व खनन अधिकारी श्री गुरजीत सिंह सिधु से मिलीभक्त करके एक मुकदमा न.90 दिनांक 30.05.2018 अधीन धारा 21 (4) माईनस एण्ड मिनरल एक्ट, 1957 व 379 आईपीसी पुलिस थाना खिजराबाद मे दर्ज करवा दिया। ताकि मैं प्रार्थी उपरोक्त अधिकारीयो व अवैध खननकारीयो के खिलाफ आगे की कार्यवाही ना कर सकू।

5. यहकि मैने दिनांक 29.08.2016 से लेकर दिनांक 09.09.2017, 29.08.2017 व 25.09.2017; 14.09.2018 अब तक लगातार संबंधित अधिकारीयो को दरखास्तो के माध्यम से सूचित कर रहा हूँ।
6. यहकि देखते ही देखते आज दिनांक 02.09.2020 तक उपरोक्त गांव कोहलीवाला व माण्डेवाला की पूरी पंचायती जमीन को 60 फुट गहराई से खुदाई कर लिया गया है और इस जमीन मे जो खैर के पेड जिनकी संख्यां करीब 8-10 हजार थी वह भी गैरकानूनी तरिये से तोड दिये गये और उपरोक्त गांवो की पूरी पंचायती जमीन जिसमे पंचायत अधिकारी, डीडीपीओ श्री गगनदीप जी व खनन अधिकारी श्री गुरजीत सिंह सिधु जी व माननीय विधायक के भाईयो अशोक कुमार व शिवकुमार जिनका शिवालिक स्टोन क्रेसर, डोईवाला मे स्थित है और श्री राम स्क्रीनिंग प्लांट, जय महालक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लांट, जय माँ संतोषी स्क्रीनिंग प्लांट व देवभूमि स्क्रीनिंग प्लाट जोकि गांव कोहलीवाला की पंचायती जमीन मे मौजूद है व अमित कुमार पुत्र श्री शताब सिंह, संदीप कुमार पुत्र श्री

480

प्रेम चंद, राजबीर पुत्र जय पाल व अन्य लोगो ने मिलकर आज दिनांक 02.09.2020 को करीब 150 एकड पंचायती जमीन को पूरी तरह से 60 फुट गहराई तक खुदाई कर दिया लेकिन किसी भी अधिकारी ने उपरोक्त लोगो के खिलाफ कोई किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की है और गांव कोहलीवाला व माण्डेवाला, जिला यमुनानगर के पूर्व सरपंच श्री सुभाष चंद पुत्र पाला राम व मौजूदा सरपंच मोहन राम जोकि पूर्व सरपंच का घरेलू नौकर है जोकि आरक्षित सीट होने की वजह से आज पूर्व सरपंच की बदौलत मौजूदा सरपंच है।

7. यहकि मैने दिनांक 02.09.2022 को आपके सम्मुख एक दरखास्त उपरोक्त मामले बारे दी थी। जिस पर अभी तक कोई उचित कानूनी कार्यवाही नहीं की गई।

इसलिए जनाब से प्रार्थना है उपरोक्त अवैध खननकारीयो व संबंधित अधिकारीयो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये व खनिज के पैसे की रिक्वरी की जाये, उपरोक्त गांवो कोहलीवाला व माण्डेवाला को अवैध खनन से बचाया जाये। जनाब की अति कृपा होगी।

धन्यावाद।

दिनांक 12/4/2022

IN530111967IN IVR:8272530111967
R. CHACHRAULI S.O <135103>
Counter No:2,13/04/2022,10:54
To:DIR DEN PANCHYAT,CHD SEC-17



LI S.O <135103>

Ant:17.00(Cash)75:5.00

<Track on www.indiapost.gov.in>

<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

प्रार्थी

लिनद्र कुमार पुत्र श्री लखी राम निवासी
गांव कोहलीवाला, तहसील छछरौली, डा.
मूडकलां, जिला यमुनानगर।

मोबाईल न.9129205779, 8930440087
पिन नं0 135106

प्रेषक

प्रथम अपीलैण्ट अथोरिटी-कम-
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी
यमुनानगर ।

सेवा में

1. प्रथम अपीलैण्ट अथोरिटी-कम-
खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी,
छछरौली ।
2. प्रथम अपीलैण्ट अथोरिटी-कम-
खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी,
प्रताप नगर ।

क्रमांक

/आर0टी0आई0 दिनांक

विषय:-

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत अपील ।

उपरोक्त विषय पर आपको लिखा जाता है कि प्रार्थी श्री बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लखी राम, निवासी गांव कोहलीवाला, तहसील छछरौली, डा0 भूडकलां, जिला यमुनानगर को आर.टी.आई के तहत दायर किये गए आवेदन पत्र दिनांक 19.04.2018, 28.09.2018, 03.05.2018 पर वांछित सूचना ना मिल पाने के कारण आर.टी.आई. एक्ट 2005 के तहत प्रथम अपील दिनांक 28.07.2022 को इस कार्यालय में दायर की गई है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.08.2022 को कार्यालय में हाजिर आकर ब्यान दिए कि उक्त आवेदन पत्रों से मांगी गई वांछित सूचनाएं ग्राम पंचायत से सम्बन्धित है। अपील में मांगी गई सूचना ग्राम पंचायत भूडकलां व कोहलीवाला से सम्बन्धित है। हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक ASI-2008/19662-19784 दिनांक 16.06.2008 के अनुसार ग्राम पंचायत/सरपंच/ग्राम सचिव से सम्बन्धित सूचना के मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी आप है। यदि अपीलार्थी द्वारा दायर की गई अपील में आप प्रथम अपीलैण्ट अथोरिटी नहीं है, तो आप सम्बन्धित विभाग को अपीलार्थी की अपील सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत भेज दी जाए।

अतः आपको यह नोटिस मूल रूप में भेजकर लिखा जाता है कि आप उपरोक्त केस में अपने स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे व की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करवाना सुनिश्चित करे। इसे अति आवश्यक समझा जाए।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार।

प्रथम अपीलैण्ट अथोरिटी-कम-
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी,
यमुनानगर ।

पू0क्रमांक:

583

/आर0टी0आई0 दिनांक:

08/08/2022

इसकी एक प्रति प्रार्थी श्री बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लखी राम, निवासी गांव कोहलीवाला, तहसील छछरौली, डा0 भूडकलां, जिला यमुनानगर को भेजकर लिखा जाता है कि आपके द्वारा दायर की गई अपील वारे आप भविष्य में प्रथम अपीलैण्ट अथोरिटी-कम-खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी छछरौली व प्रताप नगर से पत्राचार/सम्पर्क स्थापित करे।

प्रथम अपीलैण्ट अथोरिटी-कम-
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी,
यमुनानगर

वन विभाग हरियाणा

कार्यालय: उप वन संरक्षक, यमुनानगर

दूरभाष 01732-237821

क्रमांक/
सेवा में

2393

दिनांक... 25/9/17

Lakhsu


श्री बलविन्द्र कुमार पुत्र श्री लखरी राम,
निवासी गांव कोहलीवाला तहसील छछरौली,
जिला यमुनानगर हरियाणा।

विषय:—श्री बलविन्द्र कुमार पुत्र श्री लखरी राम, निवासी गांव कोहलीवाला तहसील छछरौली,
जिला यमुनानगर हरियाणा द्वारा आर.टी.आई एक्ट 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध
करवाने बारे प्रार्थना पत्र ।

संदर्भ:— आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 9.9.2017 जो कि दिनांक 12.9.2017 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपके द्वारा मांगी गई सूचना क्रम संख्या 1 के बारे
में आपको सूचित किया जाता है कि पंचायत भूमि से किसी भी अधिकारी द्वारा कोई भी वृक्ष
कटवाने की अनुमति जारी नहीं की गई है।

~~संलग्न/उपरोक्त~~


उप वन संरक्षक,
यमुनानगर।

प्रधानमंत्री ऑफ
Complaint
01/08/2018

सेवा में,

माननीय प्रधानमंत्री महोदय

भारत सरकार,

नई दिल्ली-110001



विषय : पंचायत की जमीन पर अवैध खनन बारे।

महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि मैं प्रार्थी बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लखीराम ग्राम-कोलीवाला, पोस्ट-भुडकलां, तह-छछरौली, जिला-यमुना नगर, हरियाणा का स्थाई निवासी हूँ। यह कि माननीय एन.जी.टी. कोर्ट द्वारा दिनांक 18.02.2016 को कोर्ट में एक आदेश पारित हुआ था जिसमें हरियाणा के कुछ जिलों में खनन का कार्य शुरू कर सकते थे। जिसमें हरियाणा सरकार ने कुछ जमीने हायरिंग करके रोयल्टी ठेकेदार को दी थी। जिसमें बेलगढ़, साउथ ब्लॉक, वाई.एन.आर., बी.-2 में 28 हैक्टर एरिया को खोद सकते थे। यह मुबारक रोयल्टी कम्पनी ने ली है।

2. कोहलीवाला, ब्लॉक वाई.एन.आर.बी., 21 व 22 में 13.59 हैक्टर जमीन को दिल्ली रोयल्टी कम्पनी खुदाई कर सकती है।

3. यह कि भुड माजरा ब्लॉक वाई.एन.आर.बी. 20 में 9.95 हैक्टर गंगा-यमुना माईनिंग कम्पनी ने ली है जिसमें यह खुदाई कर सकते है।

4. देवदर ब्लॉक वाई.एन.आर.बी. 24 में 31.87 हैक्टर नोरन रोयल्टी कम्पनी ने ठेके लिये हुए है जिसमें यह इतनी जमीनों की खुदाई कर सकते है बावजूद इसके भुडकलां पंचायत के सरपंच व पूर्व सरपंच व कुछ स्क्रीनिंग प्लांट जिसमें श्रीराम स्क्रीनिंग प्लांट, जय मां संतोषी स्क्रीनिंग प्लांट, देवभूमि स्क्रीनिंग प्लांट व जगाधरी के विधायक भाजपा के स्पीकर, हरियाणा विधान सभा स्पीकर श्री कंवरपाल जी गुर्जर व इसके भाई व रिश्तेदारों ने व कुछ अन्य लोगों ने मिलकर ग्राम कोलीवाला व ग्राम-माडेवाला की पंचायत की जमीनों में 60-70 एकड़ जमीन (कोलीवाला) व 30-40 एकड़ जमीन (माडेवाला) की खुदाई जिसमें 70 फुट गहराई से खुदाई कर दी। जिसमें से इन लोगों ने करोड़ों रुपये का माल निकालकर बेच डाला व इन जमीनों में वन विभाग ने 30 साल पहले खैर के कुछ पेड़ लगाये थे जो कि 3-4 हजार की संख्या में थे। उनको जे.सी.बी. मशीनों से तोड़कर गिरा दिये व वहां पर अवैध खुदाई कर दी। जब मैंने इसकी सूचना वन विभाग, माईनिंग विभाग, पंचायत विभाग, सेल टैक्स विभाग, प्रदूषण विभाग को दी तो उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। पंचायत विभाग के बी.डी.पी.ओ. ने एक स्क्रीनिंग प्लांट के खिलाफ सन 2017 में एक छोटी

सी कार्यवाही की जिसको छोटा जुर्माना करके छोड़ दिया। जब मैंने यह कार्यवाही आर.टी.आई. के माध्यम से मांगनी चाही तो पंचायत विभाग में तीन दफा आर.टी.आई. लगाई। वन विभाग में चार दफा आर.टी.आई. लगाई। माईनिंग विभाग में 3 दफा आर.टी.आई. लगाई जिसके मौजूदा साक्ष्य मेरे पास फोटो व चलती हुई मशीनों के व पेड तोड़ती हुई मशीनों के साक्ष्य मेरे पास है। लेकिन किसी ने कोई कार्यवाही करने की बजाय उल्टा मेरे ऊपर झूठे केस बना दिये। दिनांक 15.05.2018 को मेरे खिलाफ व मेरे भाई के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी कि यह खुदाई मैंने की है। उस दौरान मैं उत्तराखण्ड के सोनप्रयाग में ब्लॉक भरने का कार्य कर रहा था। वह ऋषिकेश से देवप्रयाग पर चारधाम योजना पर रोड कटिंग का कार्य कर रहा था।

अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि उपरोक्त लोगो के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए व जो दोषी पाये जाये उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

इसके लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा।

धन्यवाद।

प्रार्थी

बलिन्द्र कुमार

(बलिन्द्र कुमार)

पुत्र श्री लखीराम

ग्राम-कोलीवाला, पोस्ट-भुडकलां,

तह-छछरौली, जिला-यमुना नगर,

हरियाणा-135106

मो-8930440087, 7988165622



485

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER (RTI), TAMUNA NABAK
ROOM NO. 117, MINI SECRETARIAT
EMAIL - ynrddpo@gmail.com,
PHONE NO/FAX NO. 01732-237807

प्रेषक

एस0पी0आई0ओ0-कम-
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी,
यमुनानगर ।

सेवा में

एस0पी0आई0ओ0-कम-
खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी,
जयपुरी । २३/२/१८

क्रमांक: ३५

/आर0टी0आई0 दिनांक: ३-५-२०१८

विषय:

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अर्न्तगत स्थानान्तरित करने बारे ।

उपरोक्त विषय बारे प्रार्थी श्री बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लखी राम, निवासी गांव कोहलीवाला, तह0 छछरौली डाक भूइकलां, जिला यमुनानगर द्वारा आर0टी0आई0 के तहत दिया गया आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 25.04.2018 को प्राप्त हुआ है, इस पत्र के साथ आर0टी0आई0 एक्ट 2005 की धारा 6(3) के अर्न्तगत स्थानान्तरित करके लिखा जाता है कि आवेदन पत्र अनुसार सूचना आपसे सम्बन्धित है । अतः आप सूचना प्रार्थी को सीधे तौर पर अपने स्तर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । इसे अति आवश्यक समझा जाये अन्यथा आर. टी.आई में किसी भी विपरित कार्यवाही की जिम्मेवारी आपकी स्वयं की होगी ।

संलग्न: मूल आवेदन पत्र ।

एस0पी0आई0ओ0-कम-
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी,
यमुनानगर ।

पृ0क्रमांक:

/आर0टी0आई0 दिनांक:

1. एक प्रति लेखाकार कार्यालय जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को मु0 10/-रु0 का पोस्टल आर्डर नं0 44एफ 402007, सम्बन्धित हैड में जमा करवाने हेतू दिया जाता है ।
2. एक प्रति श्री बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लखी राम, निवासी गांव कोहलीवाला, तह0 छछरौली डाक भूइकलां, जिला यमुनानगर को भेजकर लिखा जाता है कि आप अपनी सूचना के सम्बन्ध में खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, जयपुरी से सम्पर्क स्थापित करें ।

एस0पी0आई0ओ0-कम-
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी,
यमुनानगर ।

OFFICE OF DDPO YNR.	
Dairy No. 198	Dated 25/4/18
Deputy Supr.	LD (P)
PA	LA
ACCT. (H)	ACCT (P)
DPM	D.E.O

प्रारूप-क
(देखिये नियम-3-1)

सेवा में,

राज्य लोक सुचना अधिकारी,
राज्य सहायक लोक सुचना अधिकारी,
(पता सहित कार्यालय का नाम)

1-आवेदक का नाम
2-पता

डी.डी.पी.ओ., जगाधरी
खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी
जगाधरी।

बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लखी राम
निवासी गांव कोहलीवाला, तहसील छछरौली,
डा. भूडकलां, जिला यमुनानगर। पिन नं०
135106

3-सूचना(आपेक्षित ब्यौरा)

- 1- यहकि मुझ प्रार्थी को सूचना दी जाये कि भूडकलां पंचायत मे ग्राम कोहलीवाला व मान्डेवाला की शामलात देह पंचायत की भूमि कितनी है व किन-किन लोगो की उपरोक्त गांव की पंचायत की जमीन मे गिरदावरी है तो इसकी तसदीकपूर्णसुदा कापी मुझ प्रार्थी को उपलब्ध कराई जाये।
2. यहकि क्या उपरोक्त दोनो कोहलीवाला व मान्डेवाला की पंचायत जमीन मे गिरदावरी मालिक खनन कर सकते है क्या।
3. यहकि गांव कोहलीवाला मे श्री राम स्क्रीनिंग प्लांट, जय महालक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लांट, जय माँ संतोषी स्क्रीनिंग प्लांट व अन्य लोगो ने ग्राम कोहलीवाला की पंचायत की भूमि मे साल 2016 से लगातार अवैध खनन उपरोक्त गांव की पंचायत की भूमि मे कर रहे है। जोकि जे.सी.वी.मशीनो से ट्रैक्टर-ट्रालियों से व डम्परो से अवैध खनन कर रहे है। जिसकी सूचना मैने दिनांक 27.07.2017 को आपके विभाग को एक लिखित शिकायत दी थी। जिसके उपर आपके विभाग ने कोई कार्यवाही नही की और दिनांक 09.09.2017 को मैने आपके विभाग से आर.टी.आई. मे माध्यम से सूचना मांगी थी। जिस पर आपके विभाग ने मौका पर जाकर कुछ कार्यवाही की थी व एक स्क्रीनिंग प्लांट के खिलाफ आपके विभाग ने एक मुकदमा दर्ज किया था उस समय यह भूमि 15 एकड, 45 फुट की गहराई से खुदाई हुई थी और अब यह जमीन 25 एकड के लगभग खुदाई हो चुकी है। जिसका क्रेसर जोन के रेट के हिसाब से 1 एकड मे 1 फुट से 250 ट्राली निकलती है और लगभग 25 एकड जमीन 45 फुट गहराई से खुदाई हो चुकी है अभी मौजूदा रात मे यह खुदाई हो रही है। जिसकी क्रेसर जोन का रेट मु.5.25पैसे पर सैकडा के हिसाब से रेट है। जिसका लगभग 25,00,0000/- रुपये बनता है इस राशि का जिम्मेदार कौन अधिकारी है या यह राशि गांव कोहलीवाला पंचायत भूडकलां के विकास कार्यों मे लगी है या नही इसकी पूर्ण सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराई जाये।
4. यहकि गांव कोहलीवाला की जमीन की प्रार्थी ने समय रहते पिछले 2 साल से लगातार आपके पंचायत विभाग, खनन विभाग और इसमे वन विभाग के बहुमुल्य खैर के पेड उपरोक्त लगभग 25 एकड जमीन मे लगे थे जोकि बहुत पुराने थे। जो खनन कार्य के दौरान लगभग 3,000 से 3500 पेड काट दिये गये थे। जिसकी सूचना प्रार्थी ने दिनांक 27.07.2017 को पंचायत विभाग व वन विभाग दी थी। जिस पर उक्त विभागो द्वारा कोई उचित कार्रवाई नही की गई

5. यहकि श्री राम स्क्रीनिंग प्लांट, जय महालक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लांट, जय माँ संतोषी स्क्रीनिंग प्लांट व ग्राम पंचायत भूडकलां और कैसर जोन अध्यक्ष व अन्य लोगो की साज-बाज से यह खनन कार्य किया गया और अभी जारी है।
6. यहकि ग्राम कोहलीवाला व मान्डेवाला मे उपरोक्त लोगो ने अवैध खनन कर रहे है जिसको 45 फुट की गहराई से खुदाई करके उसमे 2-3 तीन फुट नीचे मिटटी डाल कर फसल उगाने की तैयारी हो रही है व मान्डेवाला मे कुछ जगह इस काम को अन्जाम भी दिया जा चुका है और पहले जुर्म करना और जुर्म कर के सबूत मिटाना जुर्म से भी बडा जुर्म है। क्या यह सब प्रशासन व आपके विभागो की मिलीभक्त से हो रहा है। क्या। मुझ प्रार्थी को इसकी तसदीकपुण सुदा जानकारी दी जाये।
7. यहकि साल 2016 से लेकर अब तक आपके विभागो ने पंचायत की जमीन से अवैध खनन करने वालो के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज किये है और कितनो से जुर्माना वसूल किया है मुझ प्रार्थी को इन लोगो के नाम व मुकदमा की कापी भूडकलां पंचायत ग्राम कोहलीवाला व मान्डेवाला की उपल्बध कराई जाये। व आपके विभागो द्वारा 20-30 हजार रुपये का जुर्माना लगा कर अरोपियो को छोड दिया जाता है। ताकि वह दोबारा पंचायत की भूमि मे आपके विभागो से मिलीभक्त करके अवैध खनन कर सके।

क-सुचना की विषय वस्तु

ख-आपेक्षित सुचना की वर्णन

ग-अवधि जिससे सुचना सम्बंधित है।

घ-क्या सुचना डाकद्वारा या व्यक्तिगत रूप में आपेक्षित है।

(वास्तविक डाक प्रभार अतिरिक्त फीस में शामिल होंगे)

ड-डाक की दशा में (सामान्य रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट)

दिनांक:- 19/4/2018.....

स्थान:- काशी.....

डाकद्वारा

आवेदक के हस्ताक्षर

पोस्टल आर्डर नं० 448 402007 दिनांक.....मु0 10 रुपये का लफ है।

प्राप्ति

श्रीमान.....जी आपका आवेदन दिनांक डायरी संख्या.....दिनांक.....द्वारा प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर

Forest
14/10

वन विभाग हरियाणा
कार्यालय: उप वन संरक्षक ,यमुनानगर
दूरभाष 01732-237821

क्रमांक/
सेवा में

दिनांक.....

राज्य जन सूचना अधिकारी -एवं-
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी
यमुनानगर।

विषय:-श्री बलविन्द्र कुमार पुत्र श्री लखरी राम,निवासी गांव कोहलीवाला तहसील छछरौली,
जिला यमुनानगर हरियाणा द्वारा आर.टी.आई एक्ट 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध
करवाने बारे प्रार्थना पत्र ।

संदर्भ:- प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 9.9.2017 जो कि दिनांक 12.9.2017 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको प्रार्थी श्री बलविन्द्र कुमार पुत्र श्री लखरी
राम,निवासी गांव कोहलीवाला तहसील छछरौली, जिला यमुनानगर हरियाणा द्वारा मांगी गई
सूचना आर.टी.आई एक्ट 2005 की धारा 6(3) के तहत स्थानांतरित करते हुए लिखा जाता है
कि प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना प्रार्थी को भेजते हुए इस कार्यालय को भी सूचित करने का
कष्ट करे। प्रार्थी द्वारा आर.टी.आई की फीस 100 रु0 जमा करवा दी गई है। यदि इसमें
कोई देरी हुई तो इसके लिए आपका कार्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।

संलग्न/उपरोक्त


उप वन संरक्षक,
यमुनानगर।

पृ0 क्रमांक 2268

दिनांक.....14/9/17

एक प्रति श्री बलविन्द्र कुमार पुत्र श्री लखरी राम,निवासी गांव कोहलीवाला तहसील
छछरौली, जिला यमुनानगर हरियाणा को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


उप वन संरक्षक,
यमुनानगर।

Uttarakhand Tourism Development Board
 (Govt. of Uttarakhand)
 Tourist/Pilgrim Registration & Tracking Access card
 PILGRIM COPY
 Uttarakhand - Simply Heaven - Preserve its Sanctity

Char Dham Yatra

Barcode/Matrix Code/QR Code

Issued date & Time

Issued Place

Serial No

2718042718056
 BALINDRA KUMAR
 27-Apr-18 7:40:39 PM
 Male, SONPRA YAG
 Bad (27-04-2018)
 Ked (27-04-2018)

Serial No: 7550092

Non Transferable
 This Access Card is Free of Cost/please show this card at check post for scanning
 For Assistance/Help Pl. Contact Number (Printed on Barcode Label)
 For Detailed information visit www.uttarakhandtourism.gov.in
 For online booking pl. visit www.onlinechardhamyatra.com

Trilok

Mother's Milk is like Nectar
 Give exclusive breastfeed to Newborn up to six months.
 Feeding should start within one hour of birth
 Mother must give her first thick yellow milk to the Newborn immediately after birth.

माँ का दूध अमृत समान
 जन्म के तुरंत बाद से क. माह तक शिशु को शिफ माँ का दूध ही पिलाएं।
 खाद रखें, शिफ माँ का दूध ही उसे पूरा पोषण देता है और बीमारियों से बचाता है।
 माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जन्म के तुरंत बाद हर बच्चे को अवश्य पिलाएं।
 माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जन्म के तुरंत बाद हर बच्चे को अवश्य पिलाएं।

తల్లి పాలు అమృతం వంటివి
 పుట్టిన బిడ్డకు అరునెలల వరకు తల్లిపాలతో పోషణ అందించడం
 పుట్టిన బిడ్డకు ఒక గంటకులోపే తల్లిపాలివ్వడం
 పుట్టిన బిడ్డకు తల్లి మొదటగా ప్రసవించిన పసుపురంగ, పాలను వెంటనే ఇవ్వడం అవసరం.

தாய்யாலே அமிர்த்தம்
 ஆறு மாதம் வரை குழந்தைகளுக்கு தாய்யாலை கொடுப்பது அவசியம்
 குழந்தை பிறந்த ஒரு மணி நேரத்திற்க்கெல்லாம் தாய்யாலை கட்டாயமாக கொடுக்க வேண்டும்
 குழந்தைப் பிறந்த உடனடியே தாயின் மஞ்சள் நிறமான சிறப்பான உடனடியாக தர வேண்டும்.

Issued in the interest of public by IEC Division
 Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

→ पंचायती जमीनों पर अवैध खनन की जांच के बाद ऐसे मामले आ रहे हैं सामने

पटवारियों ने चढ़ा दी निजी ब्यक्तियों के नाम पंचायती जमीन की गिरदाबरी, तहसील ने रजिस्ट्री भी कर दी

दुर्गत हावादा
यमुनानगर(यमुनाखीर न्यूज नेटवर्क)

पंचायती जमीनों पर हो रहे अवैध खनन में पंचायत विभाग की लापरवाही तो है ही, इसके साथ ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी शेव्यू विभाग की है। आखिर किस आधार पर पटवारियों ने पंचायती जमीनों को निजी व्यक्तियों के नाम गिरदाबरी रिकार्ड में चढ़ाई हुई है। यही नहीं कई जगह पंचायती जमीनों की रजिस्ट्री तक कर दी गई है, आखिर इतना बड़ा गोलमाल है तो जांच की शुरुआत आखिर शेव्यू विभाग से क्यों नहीं होनी चाहिए।

प्रदेश के मुख्य सचिव सजीत कौराल ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अवैध खनन की रोकथाम की और जिला स्तर पर जांच खनन को लेकर निगरानी रखने के आदेश दिए। मुख्य सचिव की यह बैठक अवैध खनन को लेकर काफी अहम गानी जा रही है। बैठक में जांच खनन करने वाले लोगों के बाहन व अन्य उपकरण जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

मगर अगर यमुनानगर के लिहाज से देखा जाए तो यहां पर विभिन्न पंचायतों की लगभग 150 एकड़ से अधिक पंचायती जमीनों को खोटा डाला गया है अब अगर एक अनुमान लगाया जाए तो वहां पर खजाने

को 100 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचाया गया है। जिला स्तरीय टस्क फोर्स की बैठक में भी पिछले दिनों पंचायती जमीनों पर अवैध खनन पर गंभीरता से चर्चा हुई है, हालांकि जहां तक रिकवरी की बात की जाए तो यह अभी तक शून्य ही है।

इस पूरे मामले में पिछले दो तीन वर्ष में अधिकतर अवैध खनन हुआ है, एक बात जो इस पूरे मामले में सामने आई है उसमें जिन पंचायती या शासत्तात की जमीन पर अवैध खनन हुआ है उसमें अधिकतर ऐसी जमीनें थी, जिस पर निजी व्यक्तियों का कब्जा था और उनके नाम शेव्यू रिकार्ड में गिरदाबरी चढ़ी हुई थी।

सबल यह उठता है कि आखिर किस आधार पर पटवारियों या शेव्यू विभाग के कर्मचारियों ने पंचायती जमीनों की गिरदाबरी निजी व्यक्तियों के नाम पर की, इसमें भी बड़े अपराचार की वृत्ति है। इसी की आड़ में पंचायती जमीनों पर अधिकतर अवैध खनन हुआ है। यानी जिसके पास पंचायती जमीन थी उन्होंने 10-15 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खनन यॉन्टिया से लेकर उन्हें जमीन खुदाई के लिए दे दी। जबकि एक एकड़ में साधारण खुदाई में भी 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक कच्चा माल आसानी से निकल आता है।

कई पंचायतों में तो पंचायती जमीनों की

रजिस्ट्री यानी सेल डीड तक हो गई प्रतापनगर में पंचायत विभाग को पिछले दिनों एक गांव में पंचायती जमीन में अवैध खनन की शिकायत मिली जब गाँव के पर था तो वहां पर अवैध खनन हुआ था। मगर जब रिकार्ड चेक किया गया तो उसमें रजिस्ट्री उक्त व्यक्ति के नाम पर थी, जबकि वह जमीन पंचायती थी।

छात्रीली व प्रतापनगर में दो पंचायतों में भ्रष्टाचार सामने आए

अब राजल कैम्पल पटवारियों नहीं गलिक रजिस्ट्री क्लर्क व तहसीलदारों पर भी उठने लगे हैं कि आखिर पंचायती जमीनों की रजिस्ट्री निजी नामों पर कैसे हो गई। छछरीली व प्रतापनगर ब्लॉक में ऐसे दो पंचायतों के मामले सामने आए हैं। यहाँ पर कैम्पल सेल डीड ही नहीं, बल्कि इतनाकाल तक कर दिए गए हैं।

इस मामले में जब बीडीपीओ जोगेश कुमार से बात की गई तो उनका कहना था कि उनकी जानकारी में जो मामले आए हैं, उसमें जमीन छुड़वाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

5/7/2022
श्री गुरु

प्रेषक

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी,
छछरौली ।

सेवा में

श्री बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लखरी राम,
गांव कोहलीवाला तहसील छछरौली
जिला यमुनानगर।

विषय:-

क्रमांक 3815 दिनांक 14/9/11
आर.टी.आई अधिनियम 2005 के तहत सूचना देने बारे-ग्राम पंचकिसे अदा करना
To whom payableDevelopment Panchayat
Officer Khirsabad.किस डाकघर में
At what Officeक्या इसे क्रॉस किया है
Whether crossedभेजने की तारीख
Date sent

49H 510379

उपरोक्त विषय बारे एक प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में आर० टी० जिसमें आपने बिन्दू एक से बिन्दू तीन तक ग्राम कोहलीवाला में लगे स्क्रीनिंग प्लांट से र है जो निम्न प्रकार से आपको भेजी जाती है:-

क्र०स०	सूचना की मांग	उत्तर
1	यह कि मुझ प्रार्थी को यह सूचना दि जावे कि गांव कोहलीवाला में जो स्क्रीनिंग प्लांट 1. श्री राम स्क्रीनिंग प्लांट गांव कोहलीवाला, 2. देव भुमि स्क्रीनिंग प्लांट कोहलीवाला, 3. चौधरी स्क्रीनिंग प्लांट/जय महालक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लांट कोहलीवाला, 4. जय मां संतोषी स्क्रीनिंग प्लांट कोहलीवाला, लगाये हुए है उन सभी स्क्रीनिंग प्लांटो ने पंचायत भुमि में खुदाई करने की किस विभाग से अनुमति ली हुई है या नहीं इसकी तसदीक सुदा कॉपी मुझ प्रार्थी को प्रदान की जावे।	इस विभाग द्वारा स्क्रीनिंग प्लांटो को पंचायत भुमि में खुदाई करने की कोई अनुमति नहीं दी गई है।
2	यह कि मुझ प्रार्थी को यह सूचना दी जावे कि इन सभी स्क्रीनिंग प्लांटो ने पंचायत की भुमि में सरकार की हिदायत के अनुसार अधिक खुदाई की हुई है आपने इन सभी स्क्रीनिंग प्लांटो के खिलाफ कोई कारवाई की है या नहीं अगर कोई कारवाई की हुई है तो इसकी तसदीक सुदा कॉपी मुझ प्रार्थी को प्रदान की जावे।	ग्राम पंचायत द्वारा जय मां संतोषी स्क्रीनिंग प्लांट कोहलीवाला, के विरुद्ध ग्राम पंचायत की भुमि से अवैध खनन करने के एवज में एफ० आइ० आर० दर्ज करने बारे प्रस्ताव पारित किया गया जो कि मुल रूप में थाना प्रबन्धक खिजराबाद की सेवा में एफ० आइ० आर० भेजा गया था। थाना प्रबन्धक खिजराबाद द्वारा जय मां संतोषी स्क्रीनिंग प्लांट कोहलीवाला के खिलाफ एफ० आइ० आर० दर्ज की गई है जिसकी प्रति आप थाना प्रबन्धक खिजराबाद से प्राप्त कर सकते है।
3	यह कि मुझ प्रार्थी को यह सूचना दि जावे कि गांव कोहलीवाला तहसील छछरौली जिला यमुनानगर में जो स्क्रीनिंग प्लांट 1. श्री राम स्क्रीनिंग प्लांट कोहलीवाला, 2. देव भुमि स्क्रीनिंग प्लांट कोहलीवाला, 3. चौधरी स्क्रीनिंग प्लांट/जय महालक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लांट कोहलीवाला, 4. जय मां संतोषी स्क्रीनिंग प्लांट कोहलीवाला लगाये हुए है उन सभी स्क्रीनिंग प्लांटो ने पंचायत भुमि की खुदाई के दौरान खैर के पेंड काटे/उखाडे है वे पेंड किस अधिकारी की अनुमति से काटे/उखाडे गये है उसकी तसदीक सुदा कॉपी मुझ प्रार्थी को प्रदान की जावे।	ग्राम पंचायत की भुमि का जहां पर खुदाई के दौरान खैर के पेंड काटे/उखाडे गये है उसका मौका निरिक्षण जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, यमुनानगर के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया है। ग्राम पंचायत की भुमि से खैर के पेंड काटे/उखाडे जाने के एवज में दोषी गण के विरुद्ध थाना प्रबन्धक खिजराबाद में एफ० आइ० आर० दर्ज कराई गई है जिसकी प्रति आप थाना प्रबन्धक खिजराबाद से प्राप्त कर सकते है।

खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी,
छछरौली ।

492

COMP PP/krish

अधपत्र COUNTERFOIL

इसे फाड़कर प्रेषक अपने पास रख ले।
To be detached and kept
by the Sender.

पोस्टल आर्डर

₹ 100

POSTAL ORDER

किसे अदा करना Forest
To whom payableDepartment Jagadhriकिस डाकघर में Chh-
At what Office Bittaswarक्या इसे क्रॉस किया है
Whether crossedभेजने की तारीख 9/9/17
Date sent

49H 510378

वन विभाग हरियाणा
कार्यालय: उप वन संरक्षक, यमुनानगर
दूरभाष 01732-237821

क्रमांक/
सेवा में

दिनांक.....

राज्य जन सूचना अधिकारी - एवं -
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी
यमुनानगर।

विषय:- श्री बलविन्द्र कुमार पुत्र श्री लखरी राम, निवासी गांव कोहलीवाला तहसील छछरौली,
जिला यमुनानगर हरियाणा द्वारा आर.टी.आई एक्ट 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध
करवाने बारे प्रार्थना पत्र।

संदर्भ:- प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 9.9.2017 जो कि दिनांक 12.9.2017 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको प्रार्थी श्री बलविन्द्र कुमार पुत्र श्री लखरी
राम, निवासी गांव कोहलीवाला तहसील छछरौली, जिला यमुनानगर हरियाणा द्वारा मांगी गई
सूचना आर.टी.आई एक्ट 2005 की धारा 6(3) के तहत स्थानांतरित करते हुए लिखा जाता है
कि प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना प्रार्थी को भेजते हुए इस कार्यालय को भी सूचित करने का
कष्ट करे। प्रार्थी द्वारा आर.टी.आई की फीस 100 रु0 जमा करवा दी गई है। यदि इसमें
कोई देरी हुई तो इसके लिए आपका कार्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।

संलग्न/उपरोक्त


उप वन संरक्षक,
यमुनानगर।

पृ0 क्रमांक 2268

दिनांक 14/9/17

एक प्रति श्री बलविन्द्र कुमार पुत्र श्री लखरी राम, निवासी गांव कोहलीवाला तहसील
छछरौली, जिला यमुनानगर हरियाणा को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


उप वन संरक्षक,
यमुनानगर।

वन विभाग हरियाणा
कार्यालय: उप वन संरक्षक, यमुनानगर
दूरभाष 01732-237821

493

क्रमांक/ 2393
सेवा में

दिनांक 25/9/17


Lakhsu
श्री बलविन्द्र कुमार पुत्र श्री लखरी राम,
निवासी गांव कोहलीवाला तहसील छछरौली,
जिला यमुनानगर हरियाणा।

विषय:- श्री बलविन्द्र कुमार पुत्र श्री लखरी राम, निवासी गांव कोहलीवाला तहसील छछरौली,
जिला यमुनानगर हरियाणा द्वारा आर.टी.आई एक्ट 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध
करवाने बारे प्रार्थना पत्र।

संदर्भ:- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 9.9.2017 जो कि दिनांक 12.9.2017 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपके द्वारा मांगी गई सूचना क्रम संख्या 1 के बारे
में आपको सूचित किया जाता है कि पंचायत भूमि से किसी भी अधिकारी द्वारा कोई भी वृक्ष
कटवाने की अनुमति जारी नहीं की गई है।

~~संवेदन/उपरोक्त~~


उप वन संरक्षक,
यमुनानगर।

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): YAMUNA NAGAR P.S. (थाना): KHIZARABAD Year (वर्ष): 2018
 Beat No. (बीट सं.): 0099 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 30/05/2018 18:00 hrs

2. S.No. (क्र.सं.) Act (अधिनियम) Sections (धाराएं)
 1. MINE AND MINERALS (REGULATION OF DEVELOPMENT) ACT 1957 21(4)(A)
 IPC 1950 379

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
 1. Day (दिन): Tuesday Date from (दिनांक से): 15/05/2018 Date To (दिनांक तक): 15/05/2018
 Time Period (समय अवधि): Pahar 1 Time From (समय से): 00:00 hrs Time To (समय तक): 00:00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 30/05/2018 Time (समय): 17:10 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रिण्ट सं.): 016 Date and Time (दिनांक और समय): 30/05/2018 17:39 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
 1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH, 9 Km(s) Beat No. (बीट सं.): 3
 (b) Road (पता): इफला गांव कोहलीवाला.
 (c) If outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):
 District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता)
 (a) Name (नाम): श्री गुरजीत सिंह खनन अधिकारी
 (b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1973 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA
 (e) UID No. (यूआईडी सं.):
 (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
 Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
 (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड);
 S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) ID Number (पहचान संख्या)
 (h) Occupation (व्यवसाय):
 (i) Address (पता):
 S.No. (क्र.सं.) Address Type (पता का प्रकार) Address (पता)
 Present Address खनन सं. भ-गर्भ विभाग WNR, YAMUNA NAGAR, HARYANA, INDIA

Permanent Address खान एंव भू-गर्भ विभाग YNR, YAMUNA NAGAR, HARYANA, INDIA

(i) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
------------------	------------	---------------	------------------------------------	-------------------------------

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल पत्र जेल में प्रेषक खनन अधिकारी खान एंव भू-गर्भ विभाग यमुनानगर सेवा में धाना प्रबंधक खिजराबाद क्रमांक खनन यमुनानगर क्रमांक / खनन / यमुनानगर / 956 दिनांक 21.05.18 विषय- ग्राम भूइकला के गाँव कोहलीवाला की पंचायत में भूमि जमीन पर अवैध खनन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध FIR दर्ज करने बारे उपरोक्त विषय पर में आपको सूचित किया जाता है की इस कार्यालय में ग्राम पंचायत भूइकला का एकल प्रस्ताव दिनांक 25.04.18 व 30.04.18 माफत खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी खिजराबाद द्वारा प्राप्त हुआ है व सरपंच ग्राम पंचायत भूइकला ने लिखकर शिकायत की है कि बलिनद्र सिंह पुत्र लखी राम व भोपाल पुत्र लखी राम गाँव कोहलीवाला द्वारा दिनांक 15.05.18 को बाहर से किराये पर लाये गये ट्रैक्टर ट्रात्री जे.सी.बी. एच.एम व डम्परी इत्यादि द्वारा बड़े स्तर पर अवैध खनन किया गया है व अवैध खनन के दौरान लगभग 60-70 पेड़ उखाड़ दिये गये हैं उक्त व्यक्तियों के खिलाफ पहले भी ग्राम पंचायत भूइकला द्वारा अवैध खनन सम्बन्धी खण्ड कार्यालय खिजराबाद में शिकायत दी गई थी इस कार्यालय के फिन्ड स्टाफ द्वारा भी गाँव कोहलीवाला की उक्त भूमि का मौका निरीक्षण किया गया जिसमें पुराने खण्डों में अवैध खनन के ताजा निशान पाये गये यह खनन आधा एकड़ में 15 फिट गहराई तक हुआ पाया गया है खनन विभाग द्वारा उक्त भूमि का कोई ठेका नहीं दिया गया है अतः आपसे अनुरोध है की उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ अवैध खनन कर के खिलाफ अवैध खनन करके लघु खनिज चोरी करने बारे कानूनी कार्यवाही करने की कृप्या करें। सलगन उक्त SD GURJEET SINGH खनन अधिकारी खान एंव भू-विज्ञान विभाग यमुनानगर पृ० क्रमांक खनन यमुनानगर इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित है 1. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी खिजराबाद को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 253-54 दिनांक 01.05.18 व 255-56 दिनांक 01.05.18 के सन्दर्भ में । 2. सरपंच ग्राम पंचायत भूइकला के पत्र दिनांक 15.05.18 के सन्दर्भ में SD GURJEET SINGH खनन अधिकारी खान एंव भू- विज्ञान विभाग यमुनानगर । अज धाना : जो आमदा पत्र उपरोक्त से मामला जुर्म जेर धारा 21.4(1) माईनस एण्ड मिनरल एक्ट 1957, 379 IPC का होना पाया जाने पर मु०न० 90 दिनांक 30.05.18 धारा 21.4(1) माईनस एण्ड मिनरल एक्ट 1957, 379 IPC धाना खिजराबाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिया FIR कम्प्युटर द्वारा तैयार करके बजरिया डाक सम्बन्धित अफसरान बाला की सेवा में भेजी जावेगी । नकल मिशल पुलिस मय असल पत्र चाक करके रखी गई जो वापसी पर SI प्रमोद कुमार के हवाले की जावेगी । इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): parmod kumar Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 162vnr to take up the investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (धाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

P.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): RAJINDER KUMAR

Rank (पद): HC

No. (सं.): 171/KKR

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

सरकार के द्वारा खनन पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी अवैध खनन जोरों पर, कहीं ना कहीं विभाग की मिलीभगत

प्रतापनगर (राकेश कुमार)। कोहलीवाला बड़ेवाला स्टोन क्वारिज जोन के साथ लगते गाँववाला, नैनीवाली, ताजेवाला एरिया में बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। खनन माफिया ने कई जगहों पर नियमों को ताक पर रखकर 40 फुट गहराई तक खुदाई करी गई। इसके सेंसिटिव जोन के प्रतिबंधित क्षेत्र ताजेवाला में यमुना नदी के साथ लगते एरिया में अवैध खनन किया जा रहा है। जिससे साथ लगते कई गाँवों पर यमुना की बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।



प्रताप नगर क्षेत्र में मिलीभगत के चलते बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। जिससे सरकार को लाखों रुपए की खान संपदा की क्षति लग रही है। सूखे के मुताबिक कनेक्टर, ताजे वाला के प्रतिबंधित क्षेत्र में मिलीभगत के चलते अवैध खनन किया जा रहा है। खनन माफिया ने यमुना नदी के किनारे के साथ लगती जमीन पर 30 फुट गहरे तक खुदाई कर करवा दी है। जिस कारण

यमुना नदी के साथ लगते कई गाँव पर नदी की बाढ़ का खतरा बढ़ाने लगा है। अवैध खनन माफिया ने राजकीय भी सदन महिवाला की सरकारी जमीन पर गहरे तक खनन कर डाला गया है। इसी प्रकार बहादुरपुर पंचायत के गाँव नैना वाली की पंचायती भूमि पर दिन रात खनन किया जा रहा है। उद्योग खनन माफिया बेंरोकटोक दिनदहाड़े काफ़ेदे कानूनों को ताक पर रखकर लाखों की खनन संपदा का लूट करने में

जुटा हुआ है। क्षेत्र में हो रहा इस प्रकार से अवैध खनन क्षेत्र के दर्जनों गाँव में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। अवैध माफिया को अपने माफ़ी के अलावा जानकी भी कोई परवाह नहीं। अवैध खनन माफिया काली कमाई के चक्र में बेगुना जनता की जान जोखिम में डाल रहा है। शायीनों को कहना है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनके द्वारा किए गए अवैध खनन से अगर किसी की जान और माल का

खनन माफियाओं द्वारा वे की गई है खरदाते

नू जिले में 1 दिन पहले अवैध खनन माफिया द्वारा बीएसपी सुरेंद्र कुमार को डंपर से कुचलकर मरवा कर दी गई इसी तरह की घटनाएँ मिला एवं नगर में भी होती रहती हैं। आज से करीब 2 साल पहले एसटीएफ टीम पर ताजे वाला में अवैध खनन करने वालों ने डंपर खनने की कोशिश की थी जिसमें कर्मचारी बल-बल बचे थे। यही दूसरी 7 फरवरी 2013 में वन विभाग अभेश सेनी व दो कर्मचारियों पर हमला कर घायल कर दिए थे। यही 20 सितंबर 2018 को वन पट्ट में अवैध खनन हड़काने के लिए गए पुलिसकर्मी पर हमला किया गया था। अवैध खनन करने वालों के हमले इतने बुरे हैं कि वह किसी भी करवाई से नहीं डरते हैं।

नुकसान होता है। तो उसकी भरपाई भी माफियाओं से ही की जानी चाहिए।

36 हजार पेंशनधारकों की पेंशन काटे जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, नारेबाजी की

रावैर(जसवंत)। जिले में लगभग 36 हजार पेंशनधारकों की पेंशन काटे जाने के विरोध में बुधवार को रावैर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। जिला कांग्रेस प्रभारी अशोक कुमार अरोड़ा व हल्का रावैर विधायक डॉ. बीएल सेने के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के



तिरंगा हमारी आ

सहारनपुर। प्रोपेसिव स्कूल छात्रावली की बैठक में सभी स्कूल संघालकों से आठवरी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आगामी 11 से 17 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए छात्र-छात्राओं व अभिभावकों की शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने व प्रचार-प्रसार करने का निर्णय किया गया।

सेवा में,

द्वितीय अपीलैन्ट अथोरिटी-कम
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी
यमुनानगर।

विषय:-

जवाब पत्र क्रमांक 1652 दिनांक 21.06.2022 व पत्र क्रमांक न. 523 दिनांक 03.08.2022 व पत्र क्रमांक 581 दिनांक 08.08.2022 अपीलीय अथोरिटी अण्डर राईट टू इन्फोरमेशन एक्ट ए 2005 की धारा 19(1) के तहत द्वितीय अपील दिनांक 30.08.2022 को आरटीआई के तहत जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, यमुनानगर द्वारा सूचना देने बारे।

श्रीमान जी,


प्रार्थी/अपीलार्थी आपकी सेवा में निम्नलिखित प्रार्थना करता है:-

1. यहकि मुझ प्रार्थी को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं उपायुक्त यमुनानगर की तरफ से पत्र क्रमांक 1652 दिनांक 21.06.2022 व 07.06.2022 के सर्दभ मे प्राप्त हुआ व खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, छछरौली-प्रताप नगर की तरफ से आज दिनांक 23.06.2022 तक को सूचना नहीं दी गई व आज दिनांक 30.08.2022 तक भी कोई सूचना ना मिली।

इसलिए प्रार्थना है कि अपीलार्थी के द्वारा की गई अपील को स्वकीर कर अपीलार्थी द्वारा मांगी गई सूचाए दी जाये व खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, छछरौली-प्रताप नगर के द्वारा अपीलार्थी को मांगी गई सूचनाए ना देने की ऐवज मे जुर्माना किया जाये। जनाब की अति कृपा होगी।

धन्यावाद।


दिनांक 30/08/2022


प्रार्थी

बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लखी राम निवासी गांव
कोहलीवाला, तहसील छछरौली, डा. भूडकलां, जिला
यमुनानगर।

मोबाईल न.9129205779, 8930440087

नोट:- अपील की कापी साथ सलंगन है।


30/08/2022 Balinder Kumar

सेवा में,

राज्य लोक सुचना अधिकारी,	खन्न अधिकारी
राज्य सहायक लोक सुचना अधिकारी,	खान एवं भू विज्ञान विभाग
(पता सहित कार्यालय का नाम)	केयर ऑफ डिस्ट्रीक्ट इन्डस्ट्रीज सैन्टर, यमुनानगर।

1-आवेदक का नाम

बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लखी राम

2-पता

निवासी गांव कोहलीवाला, तहसील छछरौली,
डा.भूडकलां, जिला यमुनानगर। पिन नं०
135106

3-सुचना(आपेक्षित ब्यौरा)

- 1- यहकि जब 2016 से यमुनानगर बल्लेवाला माईनिंग जोन में सरकार ने खान का कार्य शुरू किया किस आधार पर शुरू किया जो रल्यटी ठेकेदार ने किसर पलान के आधार पर माईनिंग कार्य शुरू किया। माईनिंग पलान की कापी मुझे प्रार्थी को दी जाये।
2. यहकि देवधर, जयधर, बल्लेवाला, कोहलीवाला, माण्डेवाला, पीपली माजरा, बेलगढ में खन्न अधिकारीयो ने खन्न करने के लिए कुछ जमीने सरकार के निर्देशानुसार खुदाई करने के लिए चुनी थी। क्या उनमे खन्न हो रहा है। अगर हो रहा है तो मुझे उन जमीनो के एग्रीमैट दिये जाये व वहाँ पर जे.सी.बी. मशीन से, पोक लैन से, एच.एम. से, डम्पर से या लेबर से किसी चीज से खुदाई हो रही है। मुझे इसकी पूर्ण जानकारी दी जाये व आप जोन में कब-कब निरीक्षण करने के लिए जाते हो या आपके किसी अधिकारी की खन्न क्षेत्र में स्थाई रूप से नियुक्ती की है। क्या।
3. यहकि 2016 से लेकर मई 2018 तक माईनिंग विभाग ने बल्लेवाला, कोहलीवाला, माण्डेवाला, बेलगढ में कितने रोल्यटी के रवाने जारी किये अब तक इसकी जानकारी प्रार्थी को दी जाये।

4. यहकि 2016 से लेकर मई 2018 तक जिनने लोगो ने अवैध माईनिंग की है और आपके विभाग ने कितने लोगो के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये है का पूर्ण ब्यौरा नाम व पता व किस जगह से अवैध माईनिंग की है उसका पूर्ण ब्यौरा मुझ प्रार्थी को दिया जायें।
5. यहकि मुझ प्रार्थी को यह जानकारी दी जाये कि गांव कोहलीवाला व माण्डेवाला की पंचायत की भूमि से 2016 से लेकर मई 2018 तक दिन रात अवैध माईनिंग होती आ रही है जिसकी लगातार सूचना मुझ प्रार्थी के द्वारा आपके विभाग को दी गई और आपने पंचायत भूडकलां, कोहलीवाला, माण्डेवाला की भूमि मे अवैध माईनिंग के बारे मे अब तक कोई कार्यवाही या किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज किसी के खिलाफ दर्ज किया है क्या इसकी पूर्ण जानकारी मुझ प्रार्थी को दी जाये व मुझ प्रार्थी ने दिनांक 09.09.2017 को आपके विभाग से सूचना मांगी और आपके विभाग द्वारा को जवाब नही दिया गया। फिर मुझ प्रार्थी ने हास्त लिखित शिकायत दर्ज कराई लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही विभाग ने नही की व दिनांक 10.04.2018 को भी मुझ प्रार्थी ने आर.टी.आई. के माध्यम से अवैध खन्न बारे सूचना मांगी जिसको आज दिनांक 21.05.2018 तक कोई जवाब नही दिया गया।
6. यहकि पंचायत भूडकलां, कोहलीवाला, माण्डेवाला की भूमि से कई महीने पहले 15 एकड जमीन की खुदाई हो चुकी थी। जोकि जे.सी.बी. मशीनों ने व डम्पर, एच. एम. ने ट्रैक्टर-ट्रालियों से 45 फिट की गहराई से खुदाई कर दी। जिसका क्रेसर जोन के रेट के हिसाब से मु.5.25 पैसे का रेट है जोकि लगभग यह जमीन खुदाई होते होते है लगातार 2017 से आपके विभाग को सूचित किया जा रहा है जो यह जमीन अब लगभग 50 से 60 एकड जमीन खुदाई हो चुकी है जिसके क्रेसर जोन के रेट के हिसाब से अब यह 100 करोड के लगभग यह जमीन खुदाई हो चुकी है। जिसमे वन विभाग के बहुमुल्य खैर के पेड खडे थे जिनकी सख्यां लगभग 3000 से 3500 थी। जोकि खुदाई के दौरान तोड दिये गये जिसका समय रहते प्रार्थी ने वन विभाग को, माईनिंग विभाग को, पंचायत विभाग को, क्रेसर जोन अध्यक्ष को लगातार सूचना दी है। लेकिन किसी भी विभाग ने इस पर

कोई कार्यवाही नहीं की। अगर कोई मुझ प्रार्थी को इसकी पूर्ण जानकारी दी जाये। जब साल 2017 में यह खुदाई हो रही थी उस समय इन पेडों की संख्या 300 के करीब थी। खुदाई होते होते यह जमीन 50-60 एकड़ खुदाई हो चुकी है जिसमें 3000 से 3500 पेड़ उखाड़ दिये गये हैं व मौजूदा अभी भी अवैध माईनिंग हो रही है व माण्डेवाला की कुछ पंचायत की जमीन को काफी गहराई से खुदाई करके उसमें 2 से 3 फीट मिट्टी बिछाई जा रही है व कई जगह पर इसमें घास की बिजाई की जा चुकी है। लेकिन विभाग ने किसी भी तरह की कोई कार्यवाही अब तक अवैध खननकारियों के खिलाफ नहीं की है।

7. यह कि गांव कोहलीवाला, माण्डेवाला व डोईवाला में स्टोन क्रैसरों व स्क्रीनिंग प्लाटों को मिनरल डिलर लाइसेंस जारी किया है व मौजूदा कोहलीवाला, माण्डेवाला व डोईवाला में मौजूदा कितने स्क्रीनिंग प्लाट व क्रैसर मौजूद हैं। मुझ प्रार्थी को इसी पूर्ण जानकारी दी जाये।
8. यह कि 2016 से लेकर मई 2018 तक खनन की धारा 21 माईस व मिनरल एक्ट 379 के तहत कितने मुकदमों में दर्ज विभाग द्वारा किये गये इसकी जानकारी दी जाये व गांव से कितने मीटर दूरी पर व कितने फीट की गहराई तक खुदाई कर सकते। इसकी पूर्ण जानकारी मुझ प्रार्थी को दी जाये।
9. यह कि दिनांक 09.09.2017 व 10.04.2018 से लेकर लगातार आपके माईनिंग विभाग को सूचित किया व तीसरी बार आर.टी.आई. के तहत सूचना मांगी गई लेकिन माईनिंग विभाग ने मुझ प्रार्थी को किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं दी। मुझ प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त मांगी जानकारी जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाये। ताकि मैं प्रार्थी अपने स्तर पर आगे की कार्यवाही कर सकूँ।

क-सूचना की विषय वस्तु

ख-आपेक्षित सूचना की वर्णन

ग-अवधि जिससे सूचना सम्बंधित है।

घ-क्या सूचना डाकद्वारा या व्यक्तिगत रूप

में आपेक्षित है।

2016 से मई 2018 तक

डाकद्वारा

प्रार्थी
ए.पी.एस. माल
21/05/2018

वन विभाग सीरियाणा
कार्यालय: उप वन संरक्षक, यमुनानगर
दूरभाष 01732-237821

दिनांक 25/4
सेवा में,

2544

दिनांक 09/06/22


श्री बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लखी राम
निवासी गांव कोहलीवाला, तहसील छछरौली,
डा0 भूडकलां, जिला यमुनानगर।

विषय:- जन सूचना अधिकार अधिनियम -2005 के तहत सूचना देने बारे।
संदर्भ:- आपका पत्र दिनांक 10.06.2022

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आप द्वारा मांगी सूचना निम्न प्रकार से भेजी जाती है

बिन्दू न0. 2 - सूचना साथ संलग्न है।

संलग्न:-उपरोक्त।


09/06/22
उप वन संरक्षक,
यमुनानगर।

187502

DETAILED COMPLETION REPORT (SME WORK)

NAME OF WORK C.C Retaining wall No.2
 Sanctioning Authority 1188000
 Actual Expenditure
 Saving

RANGE Jagadhri DIVISION Yamuna Nagar
 Date of Commencement of work
 Estimate number
 No. & Date of sanction 2863-67 dated 16/09/21
 Date of inspection by Officer Incharge

16/02/22
 16/09/21

Date of inspection by the DFO

Item No.	Particular of work as per sanctioned estimate	Quantity	Rate	Unit	Total sanctioned cost	Quantity of work executed	Rate	Unit	Actual cost incurred	Remarks
1	Cost. of cc Retaining wall No.2 At Devdhar F.P	1 No		No	1188000	1 No.				
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Total									

I certify that the above work was commenced on the 16/11/21 and that I have inspected it personally on the 16/02/2022 and found that the work has been carried out in accordance with the estimate and that excluding minor exceptions not in a satisfactory manner as regards to the material and workmanship and that excluding minor deviation those explain on the reverse, it corresponds in respects with the sanctioned plan and estimate. on the reverse, it

Incharge Forest Guard Signature

[Signature]
 Incharge Forester Signature

Date
 I inspected the above work on 11/02/2022
 Date
 verified measurements and found the above to be correct
 Officer Incharge ()

[Signature]
 DFO

DETAILED COMPLETION REPORT (S.M.C Work)

RANGE Jagadhra
 DIVISION Yamuna Nagab

NAME OF WORK C.C Retaining wall No. 1
 Sanctioning Authority 2475000
 Amount Sanctioned
 Actual Expenditure

Estimate number
 No. & Date of sanction 286367 date 16/9/21
 Date of completion 10/02/22
 Date of inspection by Officer Incharge

Item No.	Particular of work as per sanctioned estimate	Quantity	Rate	Unit	Total sanctioned cost	Quantity of work executed	Rate	Unit	Actual cost incurred	Remarks
1	Cost of C.C Retaining wall No. 1 at Dardhar P.F	1 No		No.	2475000	1 No.				
2										
	Total									

I certify that the above work was commenced on the 16/11/21 and that I have inspected it personally on the dates 10/02/2022 and found that the work has been carried out in accordance with the estimate and that excluding minor exceptions noted on the reverse, in a satisfactory manner as regards to the material and workmanship and that excluding minor deviation those explained on the reverse, it corresponds in respects with the sanctioned plan and estimate.

Incharge Forest Guard Signature

[Signature]
 Incharge Forester Signature

Officer Incharge (R.O)

Date I inspected the above work on 11/02/2022

[Signature]
 R.O

verified measurements and found the above to be correct.

सेवा मे,

505

माननीय डी.डी.पी.ओ. महोदय,
(जगाधरी)। यमुनानगर

विषय:-

गैर कानूनी तरीके से अवैध खनन करने वालो से खनिज के
पैसे की रिक्वरी करने व गैर कानूनी खनन करने वालो पर
कानूनी कार्यवाही करने व मुझ शिकायतकर्ता की जान-माल की
रक्षा व झूठे केस से बचाने बारे।

श्रीमान जी,

सविनय निवेदन है कि मैं बलिन्द्र कुमार पुत्र लक्खी राम निवासी गांव
कोहलीवाला, तहसील छछरौली, जिला यमुनानगर का रहने वाला हूँ।

1. यहकि मेरे गांव कोहलीवाला व माण्डेवाला जो भूडकलां पंचायत मे है इन
गांवो की लगभग 156 एकड पंचायती व शामलात भूमि व कैन्द्र सरकार की
लगभग 22 एकड जमीन है।
2. यहकि इस भूमि मे सन 2016 से लेकर अब तक गैर कानूनी तरीके से
खनन किया जा रहा है और उक्त भूमि पर जो खैर के पेड खडे/लगाये
हुये थे वह भी गैर कानूनी तरीके से काट लिये है। इस क्षेत्र मे हुई गैर
कानूनी खनन व गैर कानूनी तरीके से काटे गए पेड की एक रिपोर्ट पत्र
क्रमांक 3815 दिनांक 14.09.2017 मे खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी
छछरौली, जिला यमुनानगर की रिपोर्ट मे स्पष्ट है लेकिन कुछ मिलीभगत
अधिकारी जान बूझकर गैर कानूनी खनन करने व गैर कानूनी तरीके से
खैर के पेड काटने वाले श्री राम स्क्रीनिंग प्लाट, गौरी शंकर स्क्रीनिंग प्लाट,
देव भूमि स्क्रीनिंग प्लाट, जय मां सन्तोषी स्क्रीनिंग प्लाट, जय मा लक्ष्मी
स्क्रीनिंग प्लाट(चौधरी स्क्रीनिंग प्लाट), जय शिव शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, जय
शिव शक्ति स्क्रीनिंग प्लाट, जय महा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट गांव कोहलीवाला
व शिवालिक स्टोन क्वेशर गांव डोईवाला व संदीप पुत्र प्रेमचंद नम्बरदार गांव
कोहलीवाला, अमित कुमार पुत्र पवन कुमार गांव छोटा कोहलीवाला, मौजूदा
सरंपच श्री मोहन राम पुत्र फूला राम पंचायत भूडकलां, पूर्व सरंपच सुभाष
चंद पुत्र श्री पाला राम गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, सुधीर पुत्र सुभाष
चंद गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, तत्कालीन माईनिंग अधिकारी श्री
गुरजीत सिंह सिधू व डीडीपीओ, जगाधरी, बीडीपीओ छछरौली, ग्राम सचिव
भूडकलां, वन विभाग यमुनानगर की मिलीभगत से से लगभग 90/100
एकड पंचायती जमीन सरकारी भूमि पर 60-70 फुट गहरी खुदाई गैर
कानूनी तरीके से खैर के पेड काटकर कर ली गई है। जिसकी मुझ प्रार्थी
द्वारा बार-2 विभाग को सूचना दी जा रही है लेकिन भ्रष्टाचार व मिलीभगत
के चलते कभी किसी अधिकारी ने कोई कार्यवाही नही की बल्कि एक
साजिश के तहत दिखावे के लिए छोटा मोटा जुर्माना कर देते है। इस बारे
मैने जानकारी इक्टठा करने के लिए जन सूचना अधिकार द्वारा कुछ

दस्तावेज प्राप्त किये है जिसमें 506 कि उक्त भूमि न तो खुदाई के लिए दी गई और मौका पर खुदाई की गई है और खैर के पेड भी काटे हुये है लेकिन मिलीभगत के चलते केवल एक स्क्रीनिंग प्लाट पर मुकदमा दर्ज कर उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है व अन्य गैर कानूनी खनन करने वालो से मिलीभगत हो करके सरकार की करोडो रूपये की भूमि गैर कानूनी तरीके से खुदाई करवा दी है। और जब मैने इसके खिलाफ आवाज उठाइ तो मेरे खिलाफ एक साजिश के तहत झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिये और मुझ पर आगामी कार्यवाही रोकने का दबाव बनाया। लेकिन मैने सरकारी भूमि पर हो रहे गैर कानूनी खनन के खिलाफ अभियान जारी रखा। इस बारे मैने जिला स्तर से लेकर उच्चधिकारियो को कई बारे शिकायते भेजी लेकिन ज बवह शिकायते जांच के लिए जिला व खण्ड स्तर पर लोकल दफतरो मे आई तो उसमे झूठी रिपोर्ट बनाकर गैर कानूनी तरीके से खैर के पेड काटने और अवैध खनन करने वालो को बचाने का कार्य किया गया। इसमे अगर निष्पक्ष जांच विडियो ग्राफी मे करवाई जाये तो सरकारी भूमि से गैर कानूनी तरीके से कटे खैर के पेड व करोडो रूपये का खनिज की रिक्वरी श्री राम स्क्रीनिंग प्लाट, गौरी शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, देव भूमि स्क्रीनिंग प्लाट, जय मां सन्तोषी स्क्रीनिंग प्लाट, जय मा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट(चौधरी स्क्रीनिंग प्लाट), जय शिव शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, जय शिव शक्ति स्क्रीनिंग प्लाट, जय महा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट गांव कोहलीवाला व शिवालिक स्टोन क्वैशर गांव डोईवाला व संदीप पुत्र प्रेमचंद नम्बरदार गांव कोहलीवाला, अमित कुमार पुत्र पवन कुमार गांव छोटा कोहलीवाला, मौजूदा सरंपच श्री मोहन राम पुत्र फूल्ला राम पंचायत भूडकलां, पूर्व सरंपच सुभाष चंद पुत्र श्री पाला राम गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, सुधीर पुत्र सुभाष चंद गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, तत्कालीन माईनिंग अधिकारी श्री गुरजीत सिंह सिधू व डीडीपीओ, जगाधरी, बीडीपीओ छछरौली, ग्राम सचिव भूडकलां, वन विभाग यमुनानगर से की जा सकती है। जिसमे हरियाणा सरकार के राजस्व मे बढोतरी होगी व गैर कानूनी तरीके से खैर के पेड काटने व कटवाने और सरकारी भूमि से गैर कानूनी तरीके से खनन करने व करवाने पर भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है।

3. यहकि आज दिनांक 03.05.2022 को भी अवैध खननकारी गांव माण्डेवाला मे जो बचे हुये पंचायत व शामलात के खसरा नम्बर 20//36/24 व 32//36/18 मे आज भी अवैध खनन जारी है और साथ लगते रास्त को भी अवैध खननकारीयो ने गिरा दिया है और साथ लगते जंगल मे से बहुमुल्य वृक्ष यानि खैर के पेडो को काट कर गिरा दिया गया है। जोकि खननकारीयो को राजनितिक संरक्षण प्राप्त है। उपरोक्त खसरा नम्बर का नक्शा व अवैध खनन की फोटोग्राफस दरखास्त के साथ संलग्न है।

अतः मान्वर जी, आपसे जनहित व राष्ट्रहित के लिए प्रार्थी अनुरोध करता है कि गांव कोहलीवाला व माण्डेवाला पंचायत भूडकलां मे

सरकारी/पंचायती/शामलात भूमि पर हुई गैर कानूनी तरीके से हुई खनन व गैर कानूनी तरीके से काटे गये खैर के पेडो की निष्पक्ष एजेंसी से जांच विडियोग्राफी मे करवाई जाये ताकि दोषीगण के खिलाफ कार्यवाही की जाये व गैर कानूनी तरीके से काटे गये खैर के पेड व गैर कानूनी तरीके से क्षेत्र मे की गई खनन के खनिज की रिकवरी की जा सके। और मान्यवर जी मेरे खिलाफ जो एक साजिश के तहत मुकदमे दर्ज करवाये गये है उनकी भी निष्पक्ष जांच करवाई जाये और अब लिखित सभी गैर कानूनी कार्य करने वाले मेरी व मेरे परिवार की जान के दुश्मन बने हुये है व मौका पाकर कभी भी मुझे या मेरे परिवार को जान व माल का नुकसान पहुँचा सकते है या पूनः किसी झूठे केस मे फंसा सकते है। मुझ उम्मीद है कि शिकायत पर समय रहते उचित कानूनी कार्यवाही होगी और जांच निष्पक्ष एजेंसी से विडियोग्राफी मे करवाई जाये और हथनीकूण्ड बैराज नजदीक ताजेवाला हैड यमुना नदी बांध के पास से लेकर गांव ताजेवाला, कोहलीवाला, देवरधर, मांडेवाला जंगल की पैमाईश करवाई जाये।

नोट:- यदि मेरी किसी भी रहस्यमयी स्थिति मे दुर्घटना या मौत होती है तो उसका जिम्मेदार श्री राम स्क्रीनिंग प्लाट, गौरी शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, देव भूमि स्क्रीनिंग प्लाट, जय मां सन्तोषी स्क्रीनिंग प्लाट, जय मा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट(चौधरी स्क्रीनिंग प्लाट), जय शिव शंकर स्क्रीनिंग प्लाट, जय शिव शक्ति स्क्रीनिंग प्लाट, जय महा लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लाट गांव कोहलीवाला व शिवालिक स्टोन क्रैशर गांव डोईवाला व संदीप पुत्र प्रेमचंद नम्बरदार गांव कोहलीवाला, अमित कुमार पुत्र पवन कुमार गांव छोटा कोहलीवाला, मौजूदा सरंपच श्री मोहन राम पुत्र फूल्ला राम पंचायत भूडकलां, पूर्व सरंपच सुभाष चंद पुत्र श्री पाला राम गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, सुधीर पुत्र सुभाष चंद गांव माण्डेवाला पंचायत भूडकलां, तत्कालीन माईनिंग अधिकारी श्री गुरजीत सिंह सिधू व डीडीपीओ, जगाधरी, बीडीपीओ छछरौली, ग्राम सचिव भूडकलां, वन विभाग यमुनानगर होंगे।

धन्यवाद।

EH291901529IN IVR:6972291901529
SP JAGADHRI COURT S.O <135003>
Counter No:1,06/05/2022,12:56
To:DDPO OFFICE,JAG
PIN:135003, Jagadhri Court S.O
From:BALINDER KUMAR,KOLIWALA
Wt:35gms
Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Sta

बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लखी राम निवासी
प्रार्थी

गांव कोहलीवाला, डा0.भूडकलां, तहसील
छछरौली, जिला यमुनानगर
हरियाणा-135001
मो.न.8930440087, 9129205779

508

वन विभाग हरियाणा
कार्यालय:- वन मण्डल अधिकारी, यमुनानगर
दूरभाष 01732-237821

कमांक 2928

दिनांक 25-10-2018

सेवा में,

श्री बलिन्द्र कुमार, पुत्र श्री लखी राम,
गांव कोहलीवाला, डा0 भूडकलां, तह0 छछरौली,
जिला यमुनानगर, पिन नं0 135106

विषय:- आर0टी0आई0 एक्ट 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध
करवाने बारे प्रार्थना पत्र।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आप द्वारा मांगी गई सूचना निम्न
प्रकार से है:-

बिन्दु नं0 1,2,3,4,5,6 व 7 यह सूचना साथ संलग्न है।

राज्य जिन सूचना अधिकारी,
उप अधीक्षक,
कार्यालय वन मण्डल अधिकारी,
यमुनानगर। 01C

25/10/18

509

वन विभाग हरियाणा

कार्यालय: उप वन संरक्षक, यमुनानगर

दूरभाष 01732-237821

क्रमांक/ 2393

दिनांक 25/9/17


सेवा में

श्री बलविन्द्र कुमार पुत्र श्री लखरी राम,
निवासी गांव कोहलीवाला तहसील छछरौली,
जिला यमुनानगर हरियाणा।

विषय:- श्री बलविन्द्र कुमार पुत्र श्री लखरी राम, निवासी गांव कोहलीवाला तहसील छछरौली,
जिला यमुनानगर हरियाणा द्वारा आर.टी.आई एक्ट 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध
करवाने बारे प्रार्थना पत्र।

संदर्भ:- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 9.9.2017 जो कि दिनांक 12.9.2017 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपके द्वारा मांगी गई सूचना क्रम संख्या 1 के बारे
में आपको सूचित किया जाता है कि पंचायत भूमि से किसी भी अधिकारी द्वारा कोई भी वृक्ष
कटवाने की अनुमति जारी नहीं की गई है।


उप/वन संरक्षक,
यमुनानगर।

2017

510

वन विभाग हरियाणा

कार्यालय: उप वन संरक्षक, यमुनानगर

दूरभाष 01732-237821

क्रमांक /

723

दिनांक 8/6/18

सेवा में

श्री बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री लेखी राम
गांव कोहलीवाला तह0 छछरौली डा0 भूडकला
यमुनानगर।

विषय:- आर0टी0आई0 एक्ट 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने बारे।

सन्दर्भ:- आपका पत्र दिनांक 19.4.2018

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आप द्वारा मांगी गई सूचना निम्न प्रकार से है:-

बिन्दू न0 1: उपलब्ध रिपोर्ट अनुसार वन विभाग द्वारा कोहलीवाला माण्डेवाला की शामलात देह में कोई पौधारोपण नहीं करवाया गया।

बिन्दू न0 2: वन विभाग का कोई पेड़ पंचायत भूमि में नहीं है। पंचायत भूमि में तोड़े व काटे गए पेड़ों के विरुद्ध जो मामला विभाग के संज्ञान में आया उसकी पूर्ण कार्यवाही की गई है तथा 6 F.O.R. चॉक करके 26074 रू0 जुर्माना वसूल किया गया है। 4 केस माननीय विशेष पर्यावरण न्यायालय कुरुक्षेत्र में विचाराधीन है तथा 1 F.O.R. की पुलिस थाना खिजराबाद में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है तथा पंचायत द्वारा भी थाना खिजराबाद में नाजायज कटाई की F.I.R. दर्ज करवाई गई है।

बिन्दू न0 3: व0रा0अ0 कलेसर द्वारा प्रार्थी को सूचना फोन पर दी गई।


बिन्दू न0 4: आप द्वारा उपलब्ध रिपोर्ट अनुसार 25 एकड़ जमीन में अवैध खुदाई के दौरान 3000-3500 पेड़ काटे गए या तोड़े गए ऐसा कोई मामला वन विभाग के संज्ञान में नहीं आया है। जिस नाजायज कटाई का विभाग को पता चला उस पर पूर्ण कार्यवाही की गई है व F.O.R. चॉक की गई है। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा भी F.I.R. दर्ज करवाई गई है।

बिन्दू न0 5: मांगी गई सूचना की प्रति साथ संलग्न है।

विन्दू न० 6: खनन कार्य के लिए वन विभाग की भूमि से दूरी बारे नोटिफिकेशन Mining Department से सम्बन्धित है। जो कि इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है। इस विभाग द्वारा Mining की साइट की खसरा न० का वन विभाग की भूमि के खसरा न० के साथ मिलान किया जाता है तथा वन विभाग द्वारा Stone Crusher तथा Screening Plant लगाने के लिए निर्धारित दूरी का नोटिफिकेशन साथ संलग्न है।

विन्दू न० 7: आप द्वारा मांगी गई सूचना में विभाग द्वारा कोई अनुमति पेड काटने की नहीं दी गई थी। यह भूमि पंचायत की है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा इस भूमि पर पांशे नहीं लगाए। अतः विभाग के पास यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि इस भूमि पर कितने पेड खड़े हैं।

संलग्न: उपरोक्त


राज्य जन सूचना अधिकारी
उप अधीक्षक कार्यालय मण्डल
यमुनानगर।

तृतीय अपीलैन्ट अथोरिटी-कम

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी

यमुनानगर।

विषय:-

जवाब पत्र क्रमांक 1652 दिनांक 21.06.2022 व पत्र क्रमांक न. 523 दिनांक 03.08.2022 व पत्र क्रमांक 581 दिनांक 08.08.2022, पत्र क्रमांक न.641-42 दिनांक 31.08.2022 अपीलीय अथोरिटी अण्डर राईट टू इन्फोरमेशन एक्ट ए 2005 की धारा 19(1) के तहत तृतीय अपील दिनांक 08.09.2022 को आरटीआई के तहत जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, यमुनानगर द्वारा सूचना देने बारे।

श्रीमान जी,

प्रार्थी/अपीलार्थी आपकी सेवा में निम्नलिखित प्रार्थना करता है:-

1. यहकि मुझ प्रार्थी को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं उपायुक्त यमुनानगर की तरफ से पत्र क्रमांक 1652 दिनांक 21.06.2022 व 07.06.2022 के सर्दभ मे प्राप्त हुआ व खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, छछरौली-प्रताप नगर की तरफ से आज दिनांक 23.06.2022 तक को सूचना नही दी गई व आज दिनांक 30.08.2022 तक भी कोई सूचना ना मिली। मुझ प्रार्थी को मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, मुख्य सचिव पंचायत विभाग हरियाणा सरकार से पत्र प्राप्त हुआ। जिसमे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, यमुनानगर, व जिला उपायुक्त महोदय, यमुनानगर ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि प्रार्थी के द्वारा मांगी गई सूचनाएं आप से संबंधित है।
2. यहकि मुझ प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ऐसा ब्यान नही दिया गया है कि मेरे द्वारा मांगी गई सूचनाएं केवल ग्राम पंचायत से संबंधित है मेरे द्वारा मांगी गई सूचनाएं जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, यमुनानगर, व जिला उपायुक्त महोदय, यमुनानगर व खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, छछरौली-प्रताप नगर व ग्राम पंचायत से संबंधित है।

3. यहकि आपके द्वारा भेजा गया पत्र क्रमांक 641-42 दिनांक 31.08.2022 में जो आपने वर्णित किया है इससे स्पष्ट होता है कि आप स्वयं को व अन्य किसी व्यक्ति व विभाग को बचाने का कार्य कर रहे हैं।
4. यहकि पंचायत विभाग व केन्द्र सरकार व गांव कोहलीवाला व माण्डेवाला, पंचायत भूडकलां, जिला यमुनानगर की जमीनो से जो भी खनिज निकाला गया है वह डीडीपीओ, यमुनानगर, वन विभाग, खण्ड विकास एवं पंचायत विभाग छछरौली-प्रताप नगर, ग्राम पंचायत एवं खनन विभाग की मिलीभक्त से निकाला गया है जोकि लगभग 1 हजार करोड रूपये के खनिज के स्कैम को छुपाना चाहते हैं। इसी कारण मुझ प्रार्थी को मेरे द्वारा मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है।

इसलिए प्रार्थना है कि अपीलार्थी के द्वारा की गई अपील को स्वकीर कर अपीलार्थी द्वारा मांगी गई सूचाएं दी जाये व डीडीपीओ, यमुनानगर, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, छछरौली-प्रताप नगर के द्वारा अपीलार्थी को मांगी गई सूचनाएं ना देने की ऐवज में जुर्माना किया जाये। जनाब की अति कृपा होगी।

धन्यावाद।

दिनांक 08-9-2022

बलिन्द्र कुमार
प्रार्थी

<Track on www.in
<Dial 18002666868> <Net:

EH332776522IN IVR:6972332776522
SP JAGADHRI COURT S.O <135003>
Counter No:2,08/09/2022,10:57
To:DDPO, JAG YNR
PIN:135001, Yamunanagar H.O
From:BALINDER KUMAR, BHUDHKALAN
Wt:20gms
Amt:17.70 (Cash) Tax: 70
<Track on www.in gov.in>

बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लखी राम निवासी गांव
कोहलीवाला, तहसील छछरौली, डा. भूडकलां, जिला
यमुनानगर।

मोबाईल न.9129205779, 8930440087

08/09/2022

514

वन विभाग, हरियाणा सरकार,

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकूला।

फोन नं० 30-18, पन भवन, सेक्टर-6, पंचकूला, हरियाणा/फैक्स नं० 172-2563988, 2563861, E-mail: forestestablishment@yahoo.com

क्रमांक: 1352

दिनांक: 8/10/18

सेवा में

वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल,
अम्बाला।

विषय :- वन विभाग से सम्बन्धित रिकार्ड जो कि कृषि निदेशालय में रख
हुआ है, प्राप्त करने बारे।

संदर्भ:- P-633 निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा, पंचकूला का याद
P-647 क्रमांक 559 दिनांक 11-07-2018, यदि क्रमांक 687 दिनांक
19-09-2018।

उपरोक्त संदर्भांकित पत्रों के सम्बन्ध में निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण
विभाग, हरियाणा, पंचकूला ने 17.01.2001 तथा 09.04.2009 को वन विभाग, हरियाणा के
अधिकारियों तथा वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि विभाग के बीच हुई
सभा की प्रोसिडिंग की प्रति संलग्न भेजते हुए सूचित किया है कि सभा में यह निर्णय
लिया गया था कि भविष्य में विभाग से सम्बन्धित जो भी मामले हैं उनका पूर्ण रिकार्ड वन
विभाग प्राप्त करेगा तथा सम्बन्धित सभी मामलों में कार्यवाही वन विभाग अपने स्तर पर
करेगा। अतः काण्डी प्रोजेक्ट के बन्द होने उपरान्त कृषि निदेशालय में रखा गया अभिलेख
शीघ्र प्राप्त करने बारे अनुरोध किया है।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपने कार्यालय में
कार्यरत कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी को काण्डी परियोजना का पूर्ण अभिलेख कृषि
निदेशालय से प्राप्त करते हुए भविष्य में रख रखाव हेतु तुरन्त प्रभाव से डिप्यूट करे।

संलग्न उपरोक्त

Office of DCF YNR

Dairy No.

Date

DFO 1359

24-12-18

Dy Supdt

Sign

Acct/Sale/Patwar/Gen/DP/Est/Store

Shade

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

हरियाणा, पंचकूला।

पृ० क्रमांक: 1353

दिनांक: 8/10/18

एक प्रति निदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा, पंचकूला
को उनके याद क्रमांक 559 दिनांक 11.07.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Shade

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
हरियाणा, पंचकूला।

State Environment Impact Assessment Authority, Haryana,
Bays No.55-58, Prayatan Bhawan Sector-2 Panchkula.

Telephone No. 0172-2565232

Memo No: SEIAA/HR/2022/

Dated:

To

Chairman cum Deputy Commissioner
District Level Moniotring Committee
Yamunanagar

2046935
27/05/22 MA
मंजूर व 2022

विषय: गैर कानूनी तरीके से अवैध खनन करने वालो से खनिज के पैसे की रिकवरी करने व गैर कानूनी खनन करने वालो पर कानूनी कार्यवाही करने व मुझ शिकायतकर्ता की जान रक्षा बचाने बारे

Please find enclosed herewith the copy of complaint received from Sh. Balinder Kumar S/o Sh. Lakkhi Ram R/o Village Kohliwaala, Bhhodkalan, Tehsil Chachhrauli, District- Yamunanagar Haryana-135001, 8930440087,9129205779.

It is requested to submit the report within 02 week, so that necessary action can be taken please.

DA: Copy of complaint

Joint Director (Tech.),
for Member Secretary,
SEIAA, Haryana

Endst. No. SEIAA/HR/2022/ 927

Dated: 11/05/2022

A copy of above is forwarded to Sh. Balinder Kumar S/o Sh. Lakkhi Ram R/o Village Kohliwaala, Bhhodkalan, Tehsil Chachhrauli, District- Yamunanagar Haryana-135001, 8930440087,9129205779 for information please.

Joint Director (Tech.),
for Member Secretary,
SEIAA, Haryana

Signed by Vinay Gautam

Date: 11-05-2022 16:45:29

Reason: Approved

सेवा में,

श्रीमान उपायुक्त महोदय,
यमुना नगर हरियाणा।

विषय:- दरखास्त बराये किये जाने बारे पंचायत की जमीन पर अवेध खनन बारे शिकायत।

श्रीमान जी,

प्रार्थी जनाब से निम्नलिखित निवेदन करते हैं कि :-

1. यह कि प्रार्थीगण बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लक्खी राम, राजिन्द्र कुमार पुत्र श्री मंगल राम निवासीयान गांव कोहलीवाला, तहसील छछरौली, जिला यमुना नगर के रहने वाले हैं।
2. यह कि हमारे गांव कोहलीवाला व मांडेवाला भुड़कला पंचायत में है जिसकी दोनो गांवो की पंचायती व श्यामलात भूमि लगभग 156 एकड़ है।
3. यह कि इस भूमि में सन् 2016 से लगातार अवेध खनन हो रहा है जो कि श्रीराम स्क्रीनिंग प्लॉट, देव भूमि स्क्रीनिंग प्लॉट, जय माँ लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लॉट, जय माँ संतोषी स्क्रीनिंग प्लॉट व संदीप पुत्र श्री प्रेम चंद, राजबीर पुत्र श्री जय पाल व मौजूदा सरपंच व पूर्वसरपंच व मायनिंग अधिकारी श्री गुरजीत सिंह सिद्दू व बी.डी.पी.ओ. छछरौली व सैक्टरी भुड़कला की मिली भगत से 70-80 एकड़ जमीन 60-70 फुट खुदाई कर दी है और इसकी लगातार सन् 2016 से हर एक विभाग को शिकायत दर्ज कराई जिसकी पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई अगर कार्रवाई हुई है तो छोटे मोटे जुर्माने करके दिखाने के लिए कर दिये।
4. यह कि बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लक्खी राम ने लगातार 23 बार आर.टी.आई लगाई व दो बार सी.एम.विण्डो पर शिकायत दर्ज कराई व किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है।
5. यह कि जो लोग खनन कारियो के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं उनके खिलाफ झुटे मुकदमे दर्ज करा दिये जाते हैं व आज दिनांक 14.09.2018 को हमने शिकायत दर्ज कराई तो हमारे खिलाफ पिछली तारीख में मुकदमा दर्ज करवा देते हैं जो कि बहुत बड़ा राजनितिक संडयंत्र के तहत ये सब करते हैं।
6. यह कि मांगा राम पुत्र श्री प्रेम चंद व सोनू पुत्र प्रेम चंद व अपने स्क्रीनिंग प्लॉट पर एच.एम.व डम्फरो द्वारा चार दिन पहले लगातार खुदाई कर रहे हैं जो कि ग्राम मांडेवाले

अ.क.
15/9/18

517

के निवासी है इन सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जावे और पंचायत की जमीन पर अवेध खनन पर रोक लगाई जाये।

अतः- जनाब से प्रार्थना है कि उक्त खनन कारियो के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जावे। व भविष्य में अवेध खनन न हो। आपकी अति कृपा होगी।

धन्यवाद।

दिनांक:- 14-09-2018


प्रार्थीगण

बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लक्खी राम, राजिन्द्र कुमार
पुत्र श्री मंगत राम निवासीयान गांव कोहलीवाला,
तहसील छछरौली, जिला यमुना नगर।

मों.9813341240 राजिन्द्र कुमार,

मों.8930440087 बलिन्द्र कुमार,

सेवा में

518

Director General Mines & Geology
Haryana, Chandigarh

22 NOV 2019

22/11/19

DIRECTOR M&G

22/11/2019

श्रीमान अमिताभ सिंह दिल्ली जी
आई.पी.एस.
खनन विभाग हरियाणा
चण्डीगढ़।

विषय: - नाजायज माईनिंग की शिकायत करने बारे।

श्रीमान जी

निवेदन है कि मैं बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी राम ग्राम कोलीवाली पंचायत भुडकला, जिला यमुनानगर हरियाणा का वासी हूँ। यह कि मेरे गांव कोलीवाला व माडेवाला में पंचायती जमीन है जो कि कोलीवाला 800 कनाल माडेवाला 750 कनाल के लगभग है। यह सब अवैध खननकारियों द्वारा पूरी तरह से खुदाई कर दी गई है जिसमें कि श्री गुरजीत सिंह सिद्धू व गांव के मौजूदा सरपंच व पूर्व श्री सुभाष चन्द्र व अमित कुमार पुत्र श्री पवन कुमार गांव डोईवाला व विधायक श्री कंवर पाल जी गुर्जर उसके भाई अशोक कुमार व शिव कुमार जिनका स्टोन क्रैशर शिवालिक स्टोन क्रैशर डोईवाला व सन्दीप कुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द्र लम्बरदार व राजबीर पुत्र श्री जयपाल व देवभूमि सक्रिनिंग प्लांट व जय मां संतोषी सक्रिनिंग प्लांट, श्रीराम सक्रिनिंग प्लांट तथा मां लक्ष्मी सक्रिनिंग प्लांट ग्राम कोलीवाला ने मिलकर पूरी जमीनों की नाजायद खुदाई कर दी है जिसमें 30 वर्ष पहले के स्वर के पुराने पेड जिनकी संख्या 15000 के लगभग थी, काट दिये जिसकी शिकायत वन विभाग, माईनिंग विभाग, पंचायत विभाग, पालूयशन विभाग, सी.एम. विन्डो आदि में कई बार दी गई थी परन्तु किसी तरह की कोई भी कार्यवाही आज नहीं की गई। व हमारे पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिये गये।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त दशाई स्थिति की जांच किसी उच्च अधिकारी से निष्पक्ष करवाने की कृपा की जाये व दोषियों के विरुद्ध कानूनी तथा विभागी कार्यवाही की जाये। आपकी अति कृपा होगी।

धन्यवाद सहित।

भवदीय
बलिन्द्र कुमार

दिनांक: 22.11.2019

(बलिन्द्र कुमार)

पुत्र श्री लक्ष्मी राम

ग्राम कोलीवाली पंचायत भुडकला,

जिला यमुनानगर हरियाणा।

फोन नं. 8930440087

प्रारूप-क
(देखिये नियम-3-1)

सेवा में,

राज्य लोक सुचना अधिकारी,
राज्य सहायक लोक सुचना अधिकारी,

श्रीमान अमिताभ सिंह डिल्लो जी (IPS),
निदेशक खनन विभाग
चण्डीगढ, हरियाणा

(पता सहित कार्यालय का नाम)

1-आवेदक का नाम

2-पता

बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लखी राम
निवासी गांव कोहलीवाला, तहसील छछरौली,
डा. भूडकलां, जिला यमुनानगर। पिन नं०
135106

3-सुचना(आपेक्षित ब्यौरा)

1. यहकि दिनांक 22.11.2019 को मैने आपके कार्यालय मे गांव कोहलीवाला, माण्डेवाला की पंचायती व शामिलत देह की जमीन 1500 कनाल पर अवैध खनन को रोकने बारे व जुर्माना लगवाने व खैर के कई वर्षो पुराने पेड जिनकी सख्या करीब 15000 है जो अवैध खनन के दौरान उखाडे गये थे इनकी जांच करने बारे दरखास्त दी थी उस पर क्या विभागीय कार्यवाही की गई मुझ प्रार्थी को इसकी तसदीकपूर्ण शुद्धा जानकारी दी जाये।

क-सुचना की विषय वस्तु

ख-आपेक्षित सुचना की वर्णन

ग-अवधि जिससे सुचना सम्बंधित है।

घ-क्या सुचना डाकद्वारा या व्यक्तिगत रूप में आपेक्षित है।


डाकद्वारा

(वास्तविक डाक प्रभार अतिरिक्त फीस में शामिल होंगे)

ड-डाक की दशा में (सामान्य रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट)

दिनांक:- 03/02/2020...

स्थान:- जिला यमुनानगर.....


आवेदक के हस्ताक्षर

पोस्टल आर्डर नं० 49 F. 82.6329.....दिनांक 03/02/2020 मु० 10 रूपये का लफ है।

प्राप्ति

श्रीमान.....जी आपका आवेदन दिनांक डायरी संख्या.....दिनांक.....द्वारा प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर

सेवा में,

श्रीमान अमिताभ सिंह डिल्लो जी (IPS),
निदेशक खनन विभाग,
चण्डीगढ़, हरियाणा।

विषय:-
श्रीमान जी,

दरखास्त बाबत किये जाने निष्पक्ष जांच।

प्रार्थी निम्नलिखित प्रार्थना करता है:-

1. यहकि मैं प्रार्थी गांव कोहलीवाला, तहसील छछरौली, जिला यमुनानगर का रहने वाला हूँ और अमन पंसद व कानूनप्रिय व्यक्ति हूँ।
2. यहकि दिनांक 22.11.2019 को मैंने एक दरखास्त गांव कोहलीवाला, माण्डेवाला की पंचायती व शामलात देह की जमीन जिसमे गांव कोहलीवाला की 800 कनाल व माण्डेवाला गांव की 750 कनाल पर हो रहे अवैध खनन की जांच करने बारे व उपरोक्त गांव की जमीनो मे अवैध खनन के दौरान उखाड़े गये कई वर्षो पुराने खैर के पेड जिनकी संख्या करीब 15000 है उखाडने वालो पर जुर्माना लगवाने बारे दी थी। जिस पर विभागीय कार्यवाही के दौरान जांच के लिए खनन विभाग के सहायक अभियंता श्री राजेश सहरावत व खनन विभाग की टीम मे रमेश कुमार, नारायण सिंह व रमेश फौजी आदि ने मौका किया व दौराने तफतीस मुझ प्रार्थी की शिकायत को सही पाई गई।
3. यहकि मौका के दौरान जिन लोगो के व जिन स्क्रीनिंग प्लाटो व स्टोन क्वेशर के खिलाफ मैं प्रार्थी पिछले 4 सालो से लगातार संबंधित विभागो को शिकायते व सूचना दे रहा हूँ इनके खिलाफ राजनीतिक दबाव के कारण आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई व दिनांक 31.01.2020 को दैनिक भास्कर, जगाधरी अखबार मे खबर आती है कि बलिन्द्र कुमार निवासी गांव कोहलीवाला की शिकायत जोकि चण्डीगढ विभाग के उच्च अधिकारीयो को लिखित मे शिकायत दी गई थी। लेकिन खनन विभाग की टीम ने मौका पर शिव दयाल पुत्र श्री महिन्द्र सिंह व सेठ पाल पुत्र आत्मा राम के खिलाफ अवैध खनन करने बारे मुकदमा दर्ज किया व पिछले 4 सालो से जिन लोगो के खिलाफ मैं प्रार्थी शिकायते व सूचना दे रहा हूँ उनके खिलाफ आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जबकि मैंने शिव दयाल पुत्र श्री महिन्द्र सिंह व सेठ पाल पुत्र आत्मा राम के खिलाफ कोई दरखास्त आज तक नहीं की।
4. यहकि मुझ प्रार्थी ने पंचायती व शामलात देह की जमीन गांव कोहलीवाला, माण्डेवाला पंचायत भूडकलां मे हो रहे अवैध खनन के बारे मे दिनांक 26.07.2017 को बी.डी.पी.ओ. कार्यालय, छछरौली व दिनांक 27.07.2017 को वन विभाग कार्यालय, जगाधरी व दिनांक 24.07.2017 को खनन अधिकारी, यमुनानगर को शिकायत की लेकिन कोई कार्यवाही ना हुई।
5. यहकि फिर मैंने दिनांक 09.09.2017 को बी.डी.पी.ओ. कार्यालय, छछरौली मे आरटीआई से सूचना मांगी जिसका पोस्टल ऑर्डर न.49एच.510378 है व मैंने वन विभाग से आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी जिसका पोस्टल ऑर्डर न.49एच.510380 है व मेने खनन अधिकारी, यमुनानगर से भी सूचना मांगी जिसका पोस्टल ऑर्डर न.92जी.607609 है लेकिन इन सब पर मुझ प्रार्थी को कोई सूचना नहीं दी गई व बी.डी.पी.ओ. कार्यालय, छछरौली ने दिनांक 14.09.2017 को पंचायती जमीनो का दौरा किया व तो वहां पर अवैध खनन होना पाया गया व तीस वर्षो पुराने खैर के पेड भी अवैध रूप से उखाड़े पाये गये। जिसकी एवेज मे बी.डी.पी.ओ. कार्यालय, छछरौली ने एक स्क्रीनिंग प्लाट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया व खैर के पेडो का भी


- मुकदमा दर्ज किया व जब तक यह जमीने सिर्फ 8 कनाल के लगभग खुदाई हुई थी।
6. यहकि मैने खनन अधिकारी व अन्य संबंधित विभागो को लगातार आरटीआई के माध्यम से करीब 20/22 बार सूचना मांगी लेकिन मुझे किसी भी विभाग के द्वारा कोई सूचना नही दी गई।
 7. यहकि फिर मैने दिनांक 14.09.2018 को जिला उपायुक्त, यमुनानगर को भी एक लिखित दरखास्त दी। जिस पर जिला उपायुक्त ने दिनांक 21.10.2018 को मौका मुआईना किया। जोकि उपायुक्त महोदय इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन को देखकर चौंक गये व उन्होने भूडकलां पंचायत मे हो रहे अवैध खनन को भूडकलां गांव की 433 कनाल कोहलीवाला गांव की 607 कनाल डोईवाला गांव की 41 कनाल माण्डेवाला गांव की 709 कनाल व ताजेवाला गांव की 19 कनाल पंचायती व शामलात देह की जमीनो मे अवैध खनन होना पाया गया व दिनांक 22.10.2018 को संबंधित विभागो को उपायुक्त महोदय श्री गिरीश अरोडा जी ने उपरोक्त जमीनो मे हो रहे अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया।
 8. यहकि दिनांक 29.10.2018 को उपायुक्त महोदय ने मौजूदा सरपंच को उसके पद से सस्पेंड किया व पूर्व सरपंच श्री सुभाष चंद पुत्र श्री पाला राम गांव माण्डेवाला, यमुनानगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ज्ञात रहे कि मौजूदा सरपंच पूर्व सरपंच का घरेलू नौकर है व आरक्षित सीट होने की वजह से पूर्व सरपंच चुनाव नही लड पाया था व कुछ समय बाद जगाधरी विधानसभा से विधायक श्री कंवर पाल गुर्जर ने सस्पेंड हुये सरपंच को दोबारा बहाल करवाया।
 9. यहकि दिनांक 14.02.2019 को उपायुक्त महोदय श्री गिरीश अरोडा जी ने पत्रकार वार्ता मे कहा कि मुझे मलाल रहेगा कि मैं अवैध खनन व आवरलोडींग को नही रोक पाया व जिला यमुनानगर मे 2016 से लेकर अब तक हर वर्ष 311 मौते सडक दुर्घटना मे हुई है जोकि ट्रको व डम्परो के द्वारा हुई है। जिनमे खनन सामग्री होती है।
 10. यहकि फिर मुझ प्रार्थी ने सी.एम.विण्डो मे दो बार शिकायत दर्ज करवाई व दिनांक 01.08.2018 को प्रधानमंत्री कार्यालय मे भी एक दरखास्त दी। जिस पर कोई कार्यवाही आज तक नही हुई व मुझ प्रार्थी पर दिनांक 30.05.2018 को सरपंच गांव माण्डेवाला व खनन अधिकारी श्री गुरजीत सिंह सिधू द्वारा एक मुकदमा दर्ज करवाया व एक मुकदमा ओम प्रकाश ए.एस.आई., थाना छछरौली, जिला यमुनानगर मे भी दर्ज करवाया जोकि झूठे तथ्यो पर आधारित मुकदमे है और जिस दौरान यह मुकदमे मुझ प्रार्थी के खिलाफ दर्ज हुये थे उन दिनों मैं प्रार्थी श्री कैदारनाथ, उतराखण्ड के सोनप्रयाग मे गंगा नदी मे ब्लाक भरने का कार्य कर रहा था। जोकि मेरे पास कैदारनाथ जी का रजिस्ट्रेशन भी है। इस आधार पर उपरोक्त मुकदमे झूठे है।
 11. यहकि आज दिनांक 30.01.2020 तक उपरोक्त गांव कोहलीवाला व माण्डेवाला मे लगभग 1500 कनाल जमीन पर अवैध खनन हो चुका है व इन जमीनो पर कई वर्षो पुराने खैर के पेड जिनकी सख्या 15000 हजार के करीब थी वह भी अवैध रूप से उखडवा दिये है।
 12. यहकि जगाधरी विधानसभा से विधायक श्री कंवर पाल गुर्जर उसके भाई अशोक कुमार व शिव कुमार जिनका शिवालिक स्टोन कैशर डोईवाला व श्री राम स्कीनिंग प्लाट, देव भूमि स्कीनिंग प्लाट, महालक्ष्मी स्कीनिंग प्लाट, जय मौ सन्तोषी स्कीनिंग प्लाट व संदीप कुमार, नम्बरदार पुत्र श्री प्रेम चंद निवासी गांव कोहलीवाला, जिला यमुनानगर व अमित कुमार पुत्र पवन कुमार गांव डोईवाला, जिला यमुनानगर व मौजूदा सरपंच व पूर्व सरपंच सुभाष चंद

पुत्र श्री पाला राम गांव माण्डेवाला, जिला यमुनानगर व खनन विभाग, पंचायत विभाग, वन विभाग व अन्य संबंधित विभागों से मिलीभक्त से करीब 400/500 करोड़ रुपये का खनन घौटाला हुआ है अगर समय रहते दिये हुये सूचनाओं पर कार्यवाही होती तो इस अवैध खनन को रोका जा सकता था। यहां पर यह बात भी बताने योग्य है कि अवैध खननकारीयों व विधायक जगाधरी के भाईयों ने अपनी सम्पत्ति को आयकर से बचने के लिए अन्य लोगों के नाम किया हुआ है उसकी भी जांच करवाई जाये।

13. यहकि मुझ प्रार्थी ने जिन लोगों व स्क्रीनिंग प्लाटो व स्टोन क्वेशर के खिलाफ शिकायत की है जोकि आज भी पंचायती व शामलात देह मे से चल रहे है उनके खिलाफ विभागीय जांच करके कानूनी कार्यवाही की जाये व मुकदमा दर्ज किया जाये व जितनी जमीन अवैध रूप से खुदाई की गई है उसी हिसाब से अवैध खननकारीयों पर जुर्माना लगाया जाये।

धन्यावाद।

दिनांक 03/02/2020



प्रार्थी

बलिन्द्र कुमार पुत्र श्री लखी राम निवासी गांव
कोहलीवाला, डा0.भूडकलां, तहसील छछरौली,
जिला यमुनानगर हरियाणा-135001
मं.न.8930440087

Dated: 10.10.2022

523

Diary No.: 1483

DEPARTMENT OF MINES & GEOLOGY
1st Floor, DIC BUILDING, YAMUNANAGAR

Inspection Report

OA No. 446/2022 titled as Balwinder Kumar Vs State of Haryana

On dated 06.10.2022, as per office order vide memo no. 3250 dt. 04.10.2022, the mining team (MI Aman, MI Rohit and MG Lakshay) along with Sh. Jaspal Singh (HCS), SDM Bilaspur, Sh. Naresh Kumar, AEE HSPCB Yamunanagar, Sh. Jogesh Kumar, BDPO Chhachhrauli & team, Sh. Suresh Kumar, Tehsildar Radaur, Sh. Anand Rawal, Naib Tehsildar Partapnagar & team and Sh. Sonu, Forest Guard jointly inspected the panchayati land of villages Kohliwala & Mandewala as per directions of the Hon'ble NGT, New Delhi order dated 26.07.2022. The attendance sheet is annexed here.

At the time of inspection, the team didn't find the sign of fresh illegal mining in the said area. Also, the 25 acre of panchayati land of the said area adjoining Mandewala & Devdhar Protected Forests is now used by the forest department for the plantation having aging of 4 years as told by the officials of the Forest Department. As per office record, mainly the above mentioned area was illegally mined in the year 2017-18 and the department had registered the several complaints for legal action in the P. S. Paratapnagar for the same. The details are as under:

Sr. No.	Department Memo no. & Date	Concerned Official	Matter	Action Taken
1.	SPL-1 & 13.04.2017	Sh. Om Dutt Sharma, Mining Inspector	For taking legal action against the screening plant owners (M/s Dhillon Screening Plant Vill. Mandewala, M/s Shri Ganesh Screening Plant Vill. Mandewala, M/s Prithvi Screening Plant Vill. Kohliwala, M/s Neelkanth Screening Plant Vill. Kohliwala, M/s Universal Screening Plant Vill. Kohliwala, M/s Jai Mahaluxmi	FIR No. 46/14.04.2017

1 रूढ़करवा पीपल
 कुवाँ पीपल 50मी लंबुकर
 गाँव कोडवाला का एप्लीकलॉग
 अमित कुमार सोशलाइ पीपल
 पवन कुमार का एप्लीकलॉग
 गाँव कोडलीवाला में रूढ़
 काँवा पीपल

524

			<p>Screening Plant Vill. Kohliwala, M/s Kunti Screening Plant Vill. Kohliwala, M/s Devbhoomi Screening Plant Vill. Kohliwala) for doing illegal mining in the land of villages Kohliwala & Mandewala.</p>	<p>→ 1</p> <p>→ 1</p>
2.	SPL-2 15.04.2017	& Sh. Om Dutt Sharma, Mining Inspector	<p>For taking legal action against M/s Nanak Screening Plant Vill. Kohliwala, M/s Hariom Screening Plant Vill. Kohliwala, M/s Gori Shankar Screening Plant Vill. Kohliwala, M/s Mohit Stone Crusher Vill. Kohliwala and the persons namely Manga Ram S/o Prem Chand, Sonu S/o Prem Chand, Sandeep S/o Prem Chand, Ramesh, Rikhi Ram, Jasbir Shiv kumar S/o Jai Pal, Shiv Dayal S/o Sh. Mohinder Singh, Sudhir S/o Sh. Subhash Chand & Sethpal S/o Sh. Atma Ram for doing illegal mining in the land of villages Kohliwala & Mandewala.</p>	<p>→ 1</p>
3.	SPL-2 22.04.2017	& Sh. Om Dutt Sharma, Mining Inspector	<p>For taking legal action against the owner M/s Gori Shankar Screening Plant Vill. Kohliwala and the J.C.B owner for doing illegal mining in the land of villages Kohliwala & Mandewala.</p>	<p>→ 1</p>

4.	SPL-I 24.05.2017	&	Sh. Om Dutt Sharma, Mining Inspector	For taking legal action against the owner M/s Dev Bhoomi Screening Plant Village Kohliwala And J.C.B owner for doing illegal mining in the land of villages Kohliwala & Mandewala.	FIR 73/24.05.2017	No.
5.	1861 31.05.2017	&	Sh. Rajiv Dhiman, Mining Officer	For taking legal action against the persons involved in illegal mining in the land of villages Kohliwala & Mandewala.		
6.	SPL-I 06.06.2017	&	Sh. Om Dutt Sharma, Mining Inspector	For taking legal action against the persons Sh. Mahavir Singh S/o Sh. Bhagwan Singh, Sh. Mohit S/o Naresh kumar & Sh. Rohit S/o Mahavir Singh involved in illegal mining in the land of villages Kohliwala & Mandewala.		
7.	SPL-2 06.08.2017	&	Sh. Om Dutt Sharma, Mining Inspector	For taking legal action against the person Sh. Satish Kumar S/o Sh. Phool Singh involved in illegal mining in the panchayati land of village Kohliwala.	FIR No.125/15.08.2017	
8.	SPL-III 15.08.2017	&	Sh. Om Dutt Sharma, Mining Inspector	For taking legal action against the persons Sh. Manga Ram S/o Sh. Prem Chand & Sh. Suresh Kumar S/o Sh. Surta Ram involved in illegal mining in the land of village Mandewala.	FIR No.126/15.08.2017	
9.	2622 07.09.2017	&	Sh. Gurjeet Singh, Mining Officer	For taking action against the illegal mining in the panchayati land of		

525

9



- 1

526

			<p>Vill. Kohliwala by Sh. Rishi Pal S/o Sh. Bachiter Singh as informed by BDPO, Chhachhrauli vide memo no. 3677 dt. 06.09.2017 to S.H.O Pratapnagar.</p>	
10.	2651 13.09.2017	& Sh. Gurjeet Singh, Mining Officer	<p>For taking action against the illegal mining in the panchayati land of Vill. Kohliwala and Bhud Kalan done by Sh. Rishi Pal S/o Sh. Bachiter Singh, Sh. Rajinder S/o Sh. Sadhu Ram ., Sh. Balinder S/o Sh. Pala Ram, Sh. Ram Pal S/o Sh. Sukkad, Sh. Rinku S/o Sh. Ajmer , Sh. Rajbir S/o Sh. Jai Pal, Sh. Ranbir S/o Sh. Dharm Singh & Sh. Parveen S/o Sh. Karnail also informed by BDPO, Chhachhrauli vide memo no. 3426 dt. 21.08.2017 to S.H.O Pratapnagar on which FIR already lodged by Police Station.</p>	FIR No.136/24.08.2017
11.	2689 15.09.2017	& Sh. Gurjeet Singh, Mining Officer	<p>For taking action against the illegal mining in the panchayati land of Vill. Kohliwala of Gram panchayat Bhud Kalan against Sh. Sanjay Kumar S/o Sh. Santosh Kumar of village Bahadarpur; Sh. Jasbir S/o Sh. Ilm Singh of village Niwazpur as informed by BDPO, Chhachhrauli vide memo no. 3783 dt. 12.09.2017 to S.H.O Pratapnagar.</p>	

12.	SPL-IV 13.09.2017	& Sh. Om Dutt Sharma, Inspector Mining	527 taking legal action against the screening plants (M/s Shree Ram Screening Plant, M/s Dev Bhoomi Screening Plant & M/s Mahaluxmi Screening Plant) and persons (Sh. Rajbir S/o Sh. Jai Pal, Sh. Sandeep S/o Sh. Prem Chand & Sh. Praveen S/o Sh. Karnail of village Kohliwala) involved in illegal mining in the panchayati land of village Kohliwala.	
13.	2880 10.10.2017	& Sh. Gurjeet Singh, Mining Officer	For taking legal action against the illegal mining in the panchayati land of Vill. Mandewala done by Sh. Sethpal S/o Sh. Balwant Singh, Sh. Rajkumar S/o Sh. Dharm Singh, Sh. Satish Kumar S/o Sh. Dharm Singh, Atinder Singh S/o Sh. Sharaab Singh & Sh. Bhupinder Singh S/o Sh. Sharaab Singh as informed by BDPO, Chhachhrauli vide memo no. 4009 dt. 06.10.2017.	FIR No. 180/11.10.2017
14.	2933 10.10.2017	& Sh. Gurjeet Singh, Mining Officer	For taking action against the illegal mining in the panchayati land of Vill. Kohliwala done by Sh. Jasbir S/o Sh. Imal Singh Vill. Niwazpur as informed by BDPO, Chhachhrauli vide memo no. 4006 dt. 06.10.2017.	
15.	SPL-I 26.02.2018	& Sh. Om Dutt Sharma, Inspector Mining	For taking action against Ajay kumar S/o Sh. Rajkumar of village Dekriwala and	FIR No. 18/26.02.2018

			528 Mrs. Gori Shankar Mining Plant Vill. Kohliwala carrying illegal mining in the panchayati land of Vill. Kohliwala.		
16.	SPL-IV 27.04.2018	& Sh. Om Dutt Sharma, Mining Inspector	For taking legal action against the illegal mining in the panchayati land of Vill. Mandewala done by Sh. Raj Kumar S/o Sh. Dharam Singh as informed by BDPO, Khizrabad vide memo no. 199 dt. 23.04.2018.	FIR 88/29.05.2018	No.
17.	SPL-V 27.04.2018	& Sh. Om Dutt Sharma, Mining Inspector	For taking legal action against the illegal mining in the panchayati land of Vill. Mandewala done by Sh. Satish Kumar S/o Sh. Dharam Singh as informed by BDPO, Khizrabad vide memo no. 208 dt. 23.04.2018.	FIR 89/29.05.2018	No.
18.	956 21.05.2018	& Sh. Gurjeet Singh, Mining Officer	For taking action against the illegal mining in the panchayati land of Vill. Kohliwala done by Sh. Balwinder Singh S/o Sh. Lakhi Ram and Sh. Bhopal S/o Sh. Lakhi Ram Vill. Kohliwala as informed by BDPO, Chhachhrauli vide memo no. 253-54 dt. 01.05.2018 and 255- 56 dated 01.05.2018.	FIR 90/30.05.2018	No.
19.	SPL-1 08.06.2018	& Sh. Om Dutt Sharma, Mining Inspector	For taking legal action against the illegal mining in the panchayati land of Vill. Kohliwala done by JCB driver Sh. Om Parkash S/o Sh. Ranjit Vill. Bhood Kalan and owner of Gupta Enterprises.	FIR 102/08.06.2018	No.

529

20.	SPL-V 04.07.2018	&	Sh. Om Dutt Sharma, Mining Inspector	For taking legal action against the illegal mining in the panchayati land of Vill. Kohliwala done by Sh. Mahavir Singh S/o Sh. Bhagwan Singh Vill. Gulabgarh and Chaudhary Screening Plant, Kohliwala.	FIR 121/15.07.2018	No.
21.	SPL-IV 18.09.2018	&	Sh. Om Dutt Sharma, Mining Inspector	For taking legal action against the illegal mining in the panchayati land of Vill. Kohliwala (Khasra No. 24//10, 11) done by Sh. Raj Kumar S/o Sh. Dharam Singh & Sh. Satish Kumar S/o Sh. Dharam Singh Vill. Mandewala.	FIR 166/20.09.2018	No.
22.	SPL-I 08.12.2018	&	Sh. Om Dutt Sharma, Mining Inspector	For taking legal action against the illegal mining in the panchayati land of Vill. Mandewala done by Sh. Mange Ram S/o Sh. Prem Chand & Sh. Anil Kumar S/o Sh. Samay Singh Vill. Mandewala.	FIR 180/22.10.2018	No.
23.	SPL-II 18.09.2018	&	Sh. Om Dutt Sharma, Mining Inspector	For taking legal action against the illegal mining in the panchayati land of Vill. Mandewala done by Sh. Bhupinder Singh S/o Sh. Sharaab Singh.	FIR 184/25.10.2018	No.
24.	SPL-I 08.12.2018	&	Sh. Om Dutt Sharma, Mining Inspector	For taking legal action against the illegal mining in the panchayati land of Vill. Kohliwala done by Sh. Rishipal S/o Sh. Bachiter Singh Vill. Kohliwala and M/s Jai Maa Santoshi Screening Plant, Vill. Kohliwala.		

यह कार्य में सहायता के दिशा में
FIR में उचित उपाय का
नाम प्रस्तावित है

530

25.	1245 11.07.2019	&	Sh. Sanjay Simberwal, Assistant Mining Engineer	For taking legal action against the illegal mining in the panchayati land of Vill. Kohliwala done by tractor trollies of villagers of the Kohliwala.	
26.	1423 19.08.2019	&	Sh. Sanjay Simberwal, Assistant Mining Engineer	For taking legal action against the illegal mining in the panchayati land of Vill. Kohliwala.	FIR No. 105/16.08.2019
27.	1842 15.07.2020	&	Sh. Om Dutt Sharma, Inspector Mining	For taking legal action against the illegal mining in the panchayati land of Vill. Kohliwala done by Sh. Sham Lal, Parmal Vill. Kotda, Teh. Behat, Distt. Sharanpur as informed by BDPO Partapnagar vide memo no. 1240 dated 27.06.2020 & 3055 dated 02.07.2020.	

The department has also caught the vehicles involved in illegal mining/illegal transportation of minerals whose details are as under as per office record:

Sr. No.	Year	Vehicle Seized	Fine Recovered
1.	2017-18	320	₹ 56,44,925
2.	2018-19	584	₹ 1,07,21,500
3.	2019-20	597	₹ 2,58,80,180

Now, the department has installed the check posts/nakas for checking of the illegal transportation in the district Yamunanagar. Police personals and mining officials are also deputed for checking of illegal mining in the district by the orders of Chairman DLTFC-cum-DC, Yamunanagar.

It is also intimated that in persuance of orders of the Hon'ble NGT, New Delhi dt. July 26, 2022:


1. The complaint regarding the illegal mining in the panchayati land of Vill. Kohliwala was received in the department on dated 14.08.2017 from Sh.

Balwinder Kumar (i.e. also complainant in the present case). Moreover, the complainant i.e. Sh. Balwinder Kumar has also registered the same complaints with same matter on CM Window Portal CMOFF/N/2021/086507 & CMOFF/N/2021/087009 dated 21.09.2021 & 22.09.2021 respectively.

2. The department had registered the complaint for legal action in the concerned P. S. Partapnagar vide memo no. SPL-IV dated 13.09.2017 on the above said complainant.
3. Further, the department have also registered the complaint for legal action in the concerned P. S. Partapnagar vide memo no. 956 dated 21.05.2018 against the complainant Sh. Balwinder Singh S/o Sh. Lakhi Ram and Sh. Bhopal S/o Sh. Lakhi Ram Vill. Kohliwala as informed by BDPO, Khizrabad vide memo no. 253-54 dt. 01.05.2018 and 255-56 dated 01.05.2018 as both were involved in illegal mining. The SHO, Partapnagar had lodged the FIR No. 90 dated 30.05.2018.

Pendrive having G.P.S photos of the site and the spot videography of the inspection conducted is enclosed alongwith. The report is submitted for your information and further necessary action, please.

Enclosed: As above.


Aman

(Mining Inspector)



Rohit Singh Rana
(Mining Inspector)

एमान हलकी वलिनड कुमार S/O भी लखी राम
जनान माइनिंग अधिकारियों के सन 2017 से लेकर 2022 तक FIR दर्ज की
ए जनान माइनिंग अधिकारियों व डीडीपी/आई माइनिंग वुमर डीलर
प्रशासन के साथ मिलकर रफ्त करवा पिपा कोई कारवाई नहीं कारवाई
सिर्फ एमारे उपर सन 30/5/2018 को जहाकि जनान में सन 2016 से लेकर
आज तक डिकेयव दर्ज करवा रहा है। इस रिपोर्ट के आधार कुल
वेस दर्ज 14 आदमी व मर्कट लौग लेकिन जनान कोर्ट में वेस सिर्फ
90/2018 वलिनड कुमार के नाम-पल रहा है।

वलिनड कुमार
दिनांक: 11/01/2023